



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2018-2019



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2018-2019

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xviii
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xx-xxi
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1-4
भारित विनियोग-लोक ऋण	5-6
01. सामान्य प्रशासन	7-12
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	13-14
03. पुलिस	15-18
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	19-21
05. जेल	22-23
06. वित्त	24-29
07. वाणिज्यिक कर	30-34
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	35-40
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	41-43
10. वन	44-50
11. उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	51-53
12. ऊर्जा	54-59
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	60-68
14. पशुपालन	69-76
15. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	77
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	78-79
17. सहकारिता	80-83
18. श्रम	84-86
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87-91
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	92-99
21. लोक सेवा प्रबन्धन	100-102
22. नगरीय विकास एवं आवास	103-109
23. जल संसाधन	110-128

	पृष्ठ
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	129-136
25. खनिज साधन	137-139
26. संस्कृति	140-144
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	145-149
28. राज्य विधान मण्डल	150-151
29. विधि और विधायी कार्य	152-157
30. ग्रामीण विकास	158-161
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	162-164
32. जनसंपर्क	165-166
33. जनजातीय कार्य	167-174
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	175-177
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	178-181
36. परिवहन	182-184
37. पर्यटन	185-186
38. आयुष	187-191
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	192-195
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	196-202
41. सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	203
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	204-206
43. खेल और युवक कल्याण	207-209
44. उच्च शिक्षा	210-215
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	216-218
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	219-221
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	222-227
48. नर्मदा घाटी विकास	228-238
49. अनुसूचित जाति कल्याण	239-243
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	244-247
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	248-249
52. चिकित्सा शिक्षा	250-255
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	256-261
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	262
55. महिला एवं बाल विकास	263-268

	पृष्ठ
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	269-271
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	272
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	273-277
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	278
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	279-280
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	281
62. पंचायत	282
63. अल्प संख्यक कल्याण	283-284
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	285-288
65. विमानन	289-290
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	291-293
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	294-298
68. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	299
69. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	300-302
70. प्रवासी भारतीय	303
71. पर्यावरण	304
72. आनंद	305

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	307
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	309

प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उपशीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उपशीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत कि राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:-

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उपशीर्ष के कुल प्रावधान में उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-				
<i>प्रभारित</i>	1,29,17,43,37	1,26,95,69,36	2,21,74,01	
भारित विनियोग- लोक ऋण पूंजीगत-				
<i>प्रभारित</i>	1,24,97,51,85	1,35,23,72,22	0	10,26,20,37 (10,26,20,36,707)
01 सामान्य प्रशासन राजस्व-				
दत्तमत	5,25,85,09	4,29,89,31	95,95,78	
<i>प्रभारित</i>	57,87,32	32,19,52	25,67,80	
पूंजीगत-				
दत्तमत	73,49,41	38,88,58	34,60,83	
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-				
दत्तमत	89,35,53	78,41,64	10,93,89	
03 पुलिस राजस्व-				
दत्तमत	67,39,59,61	64,16,68,97	3,22,90,64	
<i>प्रभारित</i>	1,31,51	1,26,17	5,34	
पूंजीगत-				
दत्तमत	4,92,88,10	3,70,17,40	1,22,70,70	
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-				
दत्तमत	49,24,86	51,66,99	0	2,42,13 (2,42,12,789)
<i>प्रभारित</i>	1,00	0	1,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	75,01	75,00	1	
<i>प्रभारित</i>	1	0	1	
05 जेल राजस्व-				
दत्तमत	3,49,17,85	3,28,54,44	20,63,41	
06 वित्त राजस्व-				
दत्तमत	1,35,11,47,35	1,21,82,84,54	13,28,62,81	
<i>प्रभारित</i>	22,81,09	2,98,86	19,82,23	
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,80,70,01	95,06,84	85,63,17	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
07 वाणिज्यिक कर राजस्व—				
दत्तमत	28,14,65,04	20,26,35,72	7,88,29,32	
<i>प्रभारित</i>	1,42	0	1,42	
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व—				
दत्तमत	16,53,67,44	13,85,51,24	2,68,16,20	
<i>प्रभारित</i>	2,53,50	1,15,94	1,37,56	
पूँजीगत-दत्तमत	1,61,13,77	94,28,77	66,85,00	
09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय राजस्व—				
दत्तमत	55,83,62	45,37,60	10,46,02	
<i>प्रभारित</i>	4,70	0	4,70	
पूँजीगत-दत्तमत	10,10,00	47,07	9,62,93	
10 वन राजस्व—				
दत्तमत	23,59,93,44	16,00,74,21	7,59,19,23	
<i>प्रभारित</i>	30,00	29,87	13	
पूँजीगत-दत्तमत	12,25,64,37	8,36,85,78	3,88,78,59	
11 उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व—				
दत्तमत	4,65,01,48	2,92,56,42	1,72,45,06	
पूँजीगत-दत्तमत	4,74,66,04	4,74,66,00	4	
12 ऊर्जा राजस्व—				
दत्तमत	1,63,26,81,60	98,11,34,03	65,15,47,57	
<i>प्रभारित</i>	5,72,00,00	5,72,00,00	0	
पूँजीगत-दत्तमत	38,26,83,10	22,99,12,31	15,27,70,79	
13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व—				
दत्तमत	1,68,64,45,23	97,46,13,84	71,18,31,39	
<i>प्रभारित</i>	33,85	12,08	21,77	
पूँजीगत-दत्तमत	1	0	1	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
14 पशुपालन				
राजस्व—				
दत्तमत	10,41,86,54	8,49,93,78	1,91,92,76	
प्रभारित	12,00	11,99		1
पूँजीगत-				
दत्तमत	18,89,01	8,38,02	10,50,99	
15 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	2	0		2
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	91,61,64	73,19,27	18,42,37	
प्रभारित	3,00	3,00		0
17 सहकारिता				
राजस्व—				
दत्तमत	13,91,23,92	5,05,82,93	8,85,40,99	
प्रभारित	1	0		1
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,66,48,05	11,19,91,67	46,56,38	
18 श्रम				
राजस्व—				
दत्तमत	11,20,89,22	9,74,96,80	1,45,92,42	
प्रभारित	1,00	0		1,00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	63,39,28,21	49,46,12,70	13,93,15,51	
प्रभारित	10,40	6,32		4,08
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,00,00,02	1,46,85,30	1,53,14,72	
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	6,12,45,07	5,53,24,13	59,20,94	
प्रभारित	1,00,00	65,18		34,82
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,10,34,79	19,76,14,32	3,34,20,47	

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
21	लोक सेवा प्रबन्धन राजस्व—			
	दत्तमत	83,14,02	46,03,83	37,10,19
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	7,00,00	92,12	6,07,88
22	नगरीय विकास एवं आवास राजस्व—			
	दत्तमत	80,94,91,86	49,41,01,88	31,53,89,98
	प्रभारित	29,77	27,68	2,09
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	15,89,98,12	7,98,48,30	7,91,49,82
	प्रभारित	15,00,00	0	15,00,00
23	जल संसाधन राजस्व—			
	दत्तमत	10,29,93,31	8,86,21,20	1,43,72,11
	प्रभारित	1,00	0	1,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	53,60,29,14	50,08,08,31	3,52,20,83
	प्रभारित	8,00,00	88,40	7,11,60
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल राजस्व—			
	दत्तमत	15,38,03,81	9,98,13,29	5,39,90,52
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	76,25,50,11	68,91,80,72	7,33,69,39
	प्रभारित	2,00,00,00	3,35	1,99,96,65
25	खनिज साधन राजस्व—			
	दत्तमत	43,79,30	39,69,61	4,09,69
	प्रभारित	7,00,05,00	6,43,71,85	56,33,15
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	8,50,00	60,01	7,89,99
26	संस्कृति राजस्व—			
	दत्तमत	1,90,81,51	1,58,58,60	32,22,91
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	77,25,04	71,47,99	5,77,05
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्व—			
	दत्तमत	1,10,58,38,38	82,86,97,70	27,71,40,68
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	4,02,74,08	1,39,61,81	2,63,12,27

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
28 राज्य विधान मण्डल				
राजस्व—				
दत्तमत	93,43,87	83,49,38	9,94,49	
प्रभारित	85,30	48,18	37,12	
29 विधि और विधायी कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	15,06,65,53	12,24,75,04	2,81,90,49	
प्रभारित	1,71,46,98	1,33,86,38	37,60,60	
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,00	0	10,00	
30 ग्रामीण विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	11,53,76,41	9,56,42,41	1,97,34,00	
प्रभारित	3,06	0	3,06	
पूँजीगत-				
दत्तमत	30,34,00,01	19,37,14,66	10,96,85,35	
31 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	1,26,28,99	88,44,69	37,84,30	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,61,86,52	1,40,49,93	21,36,59	
32 जनसंपर्क				
राजस्व—				
दत्तमत	5,06,94,77	4,18,15,23	88,79,54	
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,00,00	66,72	4,33,28	
33 जनजातीय कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	39,66,66,09	29,12,55,43	10,54,10,66	
प्रभारित	5,50	1,24	4,26	
पूँजीगत-				
दत्तमत	12,81,00,06	9,91,15,51	2,89,84,55	
34 सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	7,55,54,65	5,01,09,91	2,54,44,74	
प्रभारित	3,00	0	3,00	
35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
राजस्व—				
दत्तमत	7,76,16,60	7,12,51,73	63,64,87	
प्रभारित	28,76	26,74	2,02	
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,09,10,05	68,07,08	2,41,02,97	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
36	परिवहन राजस्व—				
	दत्तमत	86,29,37	73,11,54	13,17,83	
	प्रभारित	4,00	0	4,00	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	45,75,10	9,20,34	36,54,76	
37	पर्यटन राजस्व—				
	दत्तमत	1,55,48,76	1,03,58,30	51,90,46	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	83,00,04	66,95,01	16,05,03	
38	आयुष राजस्व—				
	दत्तमत	4,78,15,52	4,19,82,44	58,33,08	
	प्रभारित	1,00	0	1,00	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	23,20,00	9,59,79	13,60,21	
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व—				
	दत्तमत	17,30,22,18	13,07,26,34	4,22,95,84	
	प्रभारित	2,50	25	2,25	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	5,12,04	2,26,17	2,85,87	
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व—				
	दत्तमत	35,15,24,57	26,28,82,93	8,86,41,64	
	प्रभारित	20,00	1,58	18,42	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	5,72,55,01	2,15,32,81	3,57,22,20	
41	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय राजस्व—				
	दत्तमत	1	0	1	
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व—				
	दत्तमत	1,14,60,86	1,02,83,49	11,77,37	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	19,00,94	0	19,00,94	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
43	खेल और युवक कल्याण राजस्व—				
	दत्तमत	1,48,44,44	1,23,10,20	25,34,24	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	75,78,10	48,08,95	27,69,15	
44	उच्च शिक्षा राजस्व—				
	दत्तमत	21,74,06,28	16,28,76,91	5,45,29,37	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,77,84,01	3,34,80,71	1,43,03,30	
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व—				
	दत्तमत	2,01,95,25	1,62,70,27	39,24,98	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	7,82,89,00	6,23,38,12	1,59,50,88	
46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्व—				
	दत्तमत	3,00,15,52	1,73,47,80	1,26,67,72	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	7,50,00	2,25,00	5,25,00	
47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राजस्व—				
	दत्तमत	12,67,80,74	8,72,37,44	3,95,43,30	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,39,21,12	1,91,97,55	1,47,23,57	
48	नर्मदा घाटी विकास राजस्व—				
	दत्तमत	36,85,25	21,88,69	14,96,56	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	33,62,42,13	31,19,81,60	2,42,60,53	
	प्रभारित	3,55,00	3,02,00	53,00	
49	अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व—				
	दत्तमत	10,70,53,85	7,77,60,94	2,92,92,91	
	प्रभारित	1,00	20	80	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,91,30,03	1,98,98,41	92,31,62	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			
	राजस्व—			
	दत्तमत	16,25,28,73	13,71,62,96	2,53,65,77
	प्रभारित	1,00	0	1,00
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व			
	राजस्व—			
	दत्तमत	2,57,58,00	1,89,05,78	68,52,22
	प्रभारित	50	0	50
52	चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व—			
	दत्तमत	10,71,95,60	9,06,74,75	1,65,20,85
	पूजीगत-			
	दत्तमत	12,50,57,72	10,61,27,21	1,89,30,51
53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व—			
	दत्तमत	3,45,68,78,01	2,69,79,07,76	75,89,70,25
	पूजीगत-			
	दत्तमत	2,15,97,95	72,25,31	1,43,72,64
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,87,78,03	1,87,77,98	5
55	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व—			
	दत्तमत	52,76,56,90	41,94,34,25	10,82,22,65
	प्रभारित	15,00	0	15,00
	पूजीगत-			
	दत्तमत	1,33,52,06	28,62,43	1,04,89,63

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य
(हजार ₹ में)				
56	कृटीर एवं ग्रामोद्योग			
	राजस्व—			
	दत्तमत	2,29,83,55	1,91,11,76	38,71,79
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,41,40	72,09	2,69,31
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें			
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1	0	1
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	25,40,80,95	24,49,99,58	90,81,37
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	6,00,00	4,08,37	1,91,63
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें			
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	10,00,00,00	8,00,00,00	2,00,00,00
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	44,65,00	43,81,05	83,95
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	4,92,22,35	4,13,01,94	79,20,41
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय			
	राजस्व—			
	दत्तमत	2,05,79	1,85,14	20,65
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	30,00,11	29,99,99	12

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
62	पंचायत			
	राजस्व—			
	दत्तमत	1,96,48,13	1,71,60,32	24,87,81
	प्रभारित	1,20	0	1,20
63	अल्प संख्यक कल्याण			
	राजस्व—			
	दत्तमत	25,18,37	16,21,15	8,97,22
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	6,00,00	23,31	5,76,69
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व—			
	दत्तमत	80,90,67,94	73,17,77,88	7,72,90,06
	प्रभारित	4,87,17,20	4,86,29,73	87,47
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,16,93,00	76,12,61	40,80,39
65	विमानन			
	राजस्व—			
	दत्तमत	38,10,11	27,79,19	10,30,92
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,00,02	0	1,00,02
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व—			
	दत्तमत	9,34,44,44	8,14,28,50	1,20,15,94
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	26,75,02	10,10,70	16,64,32
67	लोक निर्माण कार्य-भवन			
	राजस्व—			
	दत्तमत	6,85,22,03	5,02,19,72	1,83,02,31
	प्रभारित	2,10,00	1,96,21	13,79
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	4,03,67,52	2,53,33,73	1,50,33,79

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
	राजस्व—				
	दत्तमत	2,73,80,26	2,57,91,76	15,88,50	
69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण				
	राजस्व—				
	दत्तमत	32,65,38	13,08,11	19,57,27	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,00,00	2,79,35	2,20,65	
70	प्रवासी भारतीय				
	राजस्व—				
	दत्तमत	1,00,00	39,05	60,95	
71	पर्यावरण				
	राजस्व—				
	दत्तमत	60,82,14	54,73,92	6,08,22	
72	आनंद				
	राजस्व—				
	दत्तमत	8,50,00	3,44,25	5,05,75	
योग		23,83,02,66,20	18,78,30,16,70	5,15,01,11,99	10,28,62,49
राजस्व:					
	दत्तमत	17,07,58,93,86	12,86,43,70,68	4,21,17,65,31	2,42,13
	<i>प्रभारित</i>	<i>1,49,38,75,95</i>	<i>1,45,73,48,33</i>	<i>3,65,27,62</i>	<i>0</i>
पूँजीगत-					
	दत्तमत	3,98,80,89,53	3,10,85,31,73	87,95,57,80	0
	<i>प्रभारित</i>	<i>1,27,24,06,86</i>	<i>1,35,27,65,96</i>	<i>2,22,61,27</i>	<i>10,26,20,37</i>
महायोग					
	राजस्व:	18,56,97,69,81	14,32,17,19,01	4,24,82,92,93	24,213
	पूँजीगत:	5,26,04,96,39	4,46,12,97,69	90,18,19,07	10,26,20,37

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित अनुदान संख्या एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है—

<u>अनुदान संख्या और नाम</u>	<u>अनुभाग</u>
भारित विनियोग-लोक ऋण	पूँजीगत प्रभारित
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व दत्तमत

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय से राजस्व अनुभाग में ₹ 62,18.75 लाख (दत्तमत) 31 मार्च 2019 को आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	12,86,43,70,68	1,45,73,48,33	3,10,85,31,73	1,35,27,65,96
घटाइये-वसूलियों का जोड़	10,31,59,46	36,38,90	5,74,35,33	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	12,76,12,11,22	1,45,37,09,43	3,05,10,96,40	1,35,27,65,96

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 |
| (ii) | पूँजीगत-अनुदान संख्या | 01, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 55, 62 |
| (ii) | पूँजीगत-अनुदान संख्या | 04, 22, 23, 24, 48 |

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हे एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुये विवरणों से संकलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिये की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण के महत्वपूर्ण मामले :-

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे/मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता तथा पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और लोक वित्त पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण हेतु आवश्यक है -

1. राज्य विधान सभा द्वारा 01 अनुदान तथा 01 विनियोग के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के अवधि में प्राधिकृत राशि से ₹ 1,028.62 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया। राज्य विधान सभा द्वारा 10 अनुदानों तथा 08 विनियोगों के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में प्राधिकृत राशि ₹ 639.70 करोड़ के अधिक संवितरण का राज्य विधान सभा द्वारा नियमितिकरण होना अभी शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि राज्य विधान सभा विधि द्वारा किये गये विनियोग के अतिरिक्त संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है।

उक्त मामलों पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों का विवरण मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिया गया है।

दिनांक: 27 अक्टूबर 2020

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)

राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,28,67,29,37			
पूरक	50,14,00	1,29,17,43,37	1,26,95,69,36	(-)2,21,74,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,21,82

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 50,14.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,21,74.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,21.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 2,21,74.01 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

[अ] बचत

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.9123- 8.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल 1,25,40.00	1,25,40.00	62,70.00	(-)62,70.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.9124- 8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल 1,24,06.00	1,24,06.00	62,02.50	(-)62,03.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.200.3732- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिये गए ऋणों पर ब्याज	मूल 6,00,00.00	6,00,00.00	4,46,31.68	(-)1,53,68.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.200.3752- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज	मूल 30,00.00	30,00.00	18,86.51	(-)11,13.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.305.2624-पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	10,29.00	(-)89,71.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.104.0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00	(-)11,00.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.104.4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	71,50.00	71,50.00	47,98.38	(-)23,51.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.108.0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00	(-)11,00.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-04.109.5691-12वें वित्त आयोग की सिफरिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,66,02.37	(-)1,33,97.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6587-अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल	1,80,00.00	1,80,00.00	15.18	(-)1,79,84.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	61,43.28	61,43.28	0.00	(-)61,43.28	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	80,11.03	80,11.03	0.00	(-)80,11.03	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

[ब] आधिक्य

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.0706- 7.57 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	मूल	75,70.00	75,70.00	1,03,96.24	+28,26.24	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.2029- 8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल	1,24,05.00	1,24,05.00	1,86,07.50	+62,02.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.2345- 8.05 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	1,61,00.00	1,61,00.00	2,41,50.00	+80,50.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.5848- 6.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2018	मूल	20,00.00	20,00.00	51,87.50	+31,87.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.6444- 8.41 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1,00,92.00	1,00,92.00	1,35,04.00	+34,12.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.6763- नया बाजार ऋण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	1,85,72.72	+85,72.72	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.6876- 8.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	83,60.00	83,60.00	1,46,30.00	+62,70.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.7421-9.68 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	48,40.00	48,40.00	96,80.00	+48,40.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.9030- 8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	86,40.00	86,40.00	1,29,60.00	+43,20.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.101.9126- 8.16 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल	81,60.00	81,60.00	1,44,30.00	+62,70.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.200.1217- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिये गये ऋणों पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	39,00.00 (-)4,21.82	34,78.18	1,61,09.77	+1,26,31.59	समर्पण के रूप में ₹ 4,21.82 लाख की प्रत्याशित बचत विद्युत वितरण कंपनियों से कम राशि के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-01.200.3087- भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	मूल	3,34.00	3,34.00	16,19.10	+12,85.10	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.200.4486- सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	मूल	53.00	53.00	4,03.42	+3,50.42	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2049-04.101.3707- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	3,96,00.00	3,96,00.00	6,03,60.77	+2,07,60.77	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(4) बिना विनियोग के व्यय:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मूल	0.00	0.00	1,16.35	+1,16.35	बजट में बिना विनियोग के ₹ 1,16.35 लाख का व्यय भारतीय रिजर्व बैंक को अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

भारित विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूंजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,24,97,51,85			
पूरक	0	1,24,97,51,85	1,35,23,72,22	+10,26,20,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

- (1) प्रभारित विनियोग से हुये ₹ 10,26,20,36,707 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (2) विनियोग में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-101.5878- 8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2018	मूल	10,10,00.00	10,10,00.00	20,10,25.00	+10,00,25.00	आधिक्य राशि रु. ₹ 10,00,00.00 लाख के ऋण पुनः जारी किए जाने के कारण हुआ। (फरवरी 2020)।
6003-110.0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	33,76,38.00	+13,76,38.00	आधिक्य ऋणों के पुनर्भुगतान सीधे आर.बी.आई. द्वारा ही राज्य शासन के खाते से विकलित जाने के कारण हुआ (फरवरी 2020)।
6003-111.6835- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	मूल	11,50,00.00	11,50,00.00	18,85,52.95	+7,35,52.95	आधिक्य ऋणों के पुनर्भुगतान सीधे आर.बी.आई. द्वारा ही राज्य शासन के खाते से विकलित जाने के कारण हुआ (फरवरी 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
6004-02.101.9086- बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	मूल	4,40,00.00	4,40,00.00	5,24,11.82	+84,11.82	आधिक्य ऋणों के पुनर्भुगतान सीधे आर.बी.आई. द्वारा ही राज्य शासन के खाते से विकलित जाने के कारण हुआ (फरवरी 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारत विनियोग-लोक ऋण समाप्त

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया गया:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779- कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम	मूल पुनर्वि.	20,00,00.00 (-)1,08,00.00	18,92,00.00	0.00	(-)18,92,00.00	₹ 1,08,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान योजना शीर्षान्तर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-01.115.2644- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कर्ज	मूल	4,03.47	4,03.47	3,57.91	(-)45.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2020)।
6004-02.101.3052- ब्लॉक कर्ज	मूल	3,80,41.37	3,80,41.37	2,43,89.11	(-)1,36,52.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-04.102.3128- भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	मूल	1,70.28	1,70.28	0.00	(-)1,70.28	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 2020)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,30,52,09	5,25,85,09	4,29,89,31	(-)95,95,78
पूरक	95,33,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				81,41,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	57,80,52	57,87,32	32,19,52	(-)25,67,80
पूरक	6,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				14,64,24

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	73,49,41	73,49,41	38,88,58	(-)34,60,83
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				16,56,42

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 95,95.78 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 (₹ 50,00.00 लाख), जनवरी 2019 (₹ 40,33.00 लाख) एवं फरवरी 2019 (₹ 5,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 95,33.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 95,95.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 81,41.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-.03.102.9060- वैकेकिक अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)63.20	36.80	36.80	0.00	₹ 63.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) पद रिक्त रह जाने एवं मितव्ययिता के कारण हुई।
2013-101.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	5,12.35 (-) 2,95.40	2,16.95	2,16.95	0.00	₹ 2,95.40 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त रह जाने के कारण हुई (₹ 20.00 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-102.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	8,10.00 (-)3,65.84	4,44.16	4,44.16	0.00	₹ 3,65.84 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-108.3283- मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	मूल पुनर्वि.	45.00 (-)0.04	44.96	10.99	(-)33.97	₹ 0.04 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	24,01.50 (-)16,99.84	7,01.66	6,32.37	(-)69.29	₹ 16,99.84 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 17,17.84 लाख की कमी (समर्पण ₹ 16,31.09 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 86.75 लाख) और ₹ 18.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः ई. व्ही.एम. के सुधार के उपरांत ECIL हैदराबाद को भुगतान के कारण हुई (₹ 11.00 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	42.00 (-)15.22	26.78	23.08	(-)3.70	₹ 15.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-090.4327-सचिवालय	मूल पूरक पुनर्वि.	1,14,42.97 15,66.00 (-)32,43.22	97,65.75	1,00,28.17	+2,62.42	₹ 32,43.22 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 33,88.22 लाख की कमी (समर्पण ₹ 25,43.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,45.00 लाख) एवं ₹ 1,45.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रह जाने (₹ 82.00 लाख) एवं वृद्धि वेतन भुगतान, आगामी माह हेतु एच.आर.ए. के भुगतान, अ.भा.से. हेतु चिकित्सा देयकों के भुगतान, मंत्रियों के निजी स्थापना का भुगतान, उच्च अधिकारियों के बैठक देयकों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2052-091.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	27.00 (-)14.72	12.28	11.99	(-)0.29	₹ 14.72 लाख की प्रत्याशित बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आई.टी. प्रशिक्षण की मांग न होने एवं फर्नीचर की मांग न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2052-091.9414-विशेष आयुक्त कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	96.25 (-)47.09	49.16	50.03	+0.87	₹ 47.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 55.39 लाख की कमी (समर्पण ₹ 47.09 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8.30 लाख) एवं ₹ 8.30 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी विशेष आयुक्त का पद खाली रह जाने, मितव्ययिता के कारण, एवं मरम्मत कार्य न होने जबकि वृद्धि 7वें वेतनमान के देयकों के भुगतान एवं दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित दर पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-102.1922-पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्ते	मूल पुनर्वि.	52.00 11.94	63.94	63.94	0.00	₹ 11.94 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 12.06 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 24.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2013-103.3282-मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	48.00 (-)31.14	16.86	86.36	+69.50	₹ 31.14 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.3342 – मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली	मूल पुनर्वि.	2,05.00 55.57	2,60.57	2,52.57	(-)8.00	₹ 55.57 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4.43 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 60.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी नए म.प्र. भवन के निर्माण के कारण वर्तमान म.प्र. भवन पर लघु निर्माण कार्य पर व्यय न होने जबकि वृद्धि सफाई कार्य एवं म. प्र. भवन के अनुरक्षण कार्य एवं मैसर्स एन.आई.एस. मैनेजमेंट लिमिटेड को 12/2018 से 02/2019 के देयकों भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 6.80 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 25,67.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 14,64.24 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-03.105.1357-चिकित्सा सुविधाएं (भारित)	मूल पुनर्वि.	40.00 (-)38.68	1.32	1.32	0.00	₹ 38.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) पद रिक्त रह जाने एवं मितव्ययिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.800.3609-यात्रा व्यय (भारित)	मूल पुनर्वि.	20.10 (-)6.42	13.68	9.01	(-)4.67	₹ 6.42 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) पद रिक्त रह जाने एवं मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2015-101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2051-102.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पूरक पुनर्वि.	46,36.25 0.80 (-)12,81.84	33,55.21	22,54.18	(-)11,01.03	₹ 12,81.84 लाख की प्रत्याशित बचत विनियोग में ₹ 13,86.24 लाख की कमी (समर्पण ₹ 12,81.84 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,04.40 लाख) एवं ₹ 1,04.40 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 34,60.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 16,56.42 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1341- मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)28,61.97	31,38.03	13,76.43	(-)17,61.60	₹ 28,61.97 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 10,61.97 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 18,00.00 लाख) एन.बी.सी.सी. (नए म.प्र. भवन, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नियुक्त एजेंसी) से व्यय का कम अनुमान प्राप्त होने, म.प्र. भवन की निर्माण एजेंसी को द्विमासिकी भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4059-01.051.0101.5817- प्रशासनिक भवन का निर्माण	मूल	60.00	60.00	17.21	(-)42.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6605- प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,71.11 (-)2,47.17	23.94	23.94	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,47.17 लाख की प्रत्याशित बचत शासन से स्वीकृति (योजना को जारी रखने के संबंध में) मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन	मूल पुनर्वि.	0.01 99.99	1,00.00	1,00.00	0.00	₹ 99.99 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,00.01 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रशासनिक स्वीकृति लंबित होने से मध्यांचल विस्तार निर्माण कार्य न होने जबकि वृद्धि एन.बी.सी.सी. (नए मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नियुक्त एजेंसी) को भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4059-01.051.0101.1343- नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालय की स्थापना हेतु अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	18.27 13,52.74	13,71.01	13,71.01	0.00	₹ 13,52.74 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,47.26 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी किदवई नगर, नई दिल्ली में प्रस्तावित क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल प्राप्त होने एवं वृद्धि निर्माण एजेंसी (एन.बी.सी. सी.) को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86,90,22			
पूरक	2,45,31	89,35,53	78,41,64	(-)10,93,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				4,60,47

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 41.31 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,04.00 लाख) में प्राप्त किया ₹ 2,45.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ₹ 10,93.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,60.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.4062- विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण	मूल पुनर्वि.	1,05.00 (-)58.99	46.01	46.01	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 58.99 लाख की प्रत्याशित बचत विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के भ्रमण पर हुये व्यय का भुगतान न होने के कारण हुई।
2070-105.4079- विशेष जांच आयोग	मूल पूरक पुनर्वि.	3,05.01 1.83 (-)2,80.71	26.13	21.59	(-)4.54	₹ 2,80.71 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,87.71 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,80.71 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.00 लाख) एवं ₹ 7.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,11.31 (-)80.76	4,30.55	4,00.18	(-)30.37	₹ 80.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,23.98 लाख की कमी (समर्पण ₹ 92.64 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 31.34 लाख) एवं ₹ 43.22 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई (₹ 31.34), जबकि वृद्धि वेतन एवं भत्ते शीर्षान्तर्गत प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। ₹ 92.64 लाख की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.7405-संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) की स्थापना/ गठन	मूल पूरक	1,30.60 4.00	1,34.60	77.03	(-)57.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2235-60.800.1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	मूल	4,50.00	4,50.00	3,31.58	(-)1,18.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 03 पुलिस

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	64,70,20,03			
पूरक	2,69,39,58	67,39,59,61	64,16,68,97	(-)3,22,90,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,82,21,09

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,30,03			
पूरक	1,48	1,31,51	1,26,17	(-)5,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,86

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,36,90,10			
पूरक	1,55,98,00	4,92,88,10	3,70,17,40	(-)1,22,70,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,06,79,70

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 1,50,89.00 लाख), जनवरी 2019 (₹ 1,18,50.58 लाख) एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 2,69,39.58 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,22,90.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,82,21.09 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) यद्यपि ₹ 3,22,90.64 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	पूरक	14.00	14.00	0.00	(-)14.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2055-115.0101.7348- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	पूरक	14,52.00	14,52.00	11,07.42	(-)3,44.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2055-800.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	32,00.00 (-) 8,51.70	23,48.30	17,36.42	(-)6,11.88	समर्पण के रूप में ₹ 8,51.70 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन द्वारा दस प्रतिशत की राशि प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई (₹ 1,51.30 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.0801.1948- नेशनल इमर्जेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम	मूल	5,32.00	5,32.00	0.00	(-)5,32.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0101.7327-राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	मूल पूरक पुनर्वि.	6,94.18 3,40.00 (-)1,12.69	9,21.49	7,98.85	(-) 1,22.64	₹ 1,12.69 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,35.48 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,12.69 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 22.79 लाख) एवं ₹ 22.79 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शासन द्वारा विगत व्यय के आधार पर व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने, स्वीकृत पदों के न भरे जाने, कम कार्यालयीन यात्राओं, पर्याप्त टिकट होने से डाक टिकटों का क्रय न किये जाने, होमगार्ड विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के बिजली देयकों का भुगतान किये जाने एवं क्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि निविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1.48 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 5.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 3.86 लाख अभ्यर्पित किये गये।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1,22,70.70 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 1,55,98.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में प्राप्त किया गया (₹ 1,40,62.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 15,36.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 1,22,70.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,06,79.70 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 03-पुलिस समाप्त

शीर्ष		कूल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4055.109.0101.7186- बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	पूरक	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4055.207.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	3,31.10 (-)1,16.60	2,14.50	1,59.50	(-)55.00	₹ 1,16.60 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4055.208.4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	पूरक	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4055.211.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	2,59.00 (-)2,59.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4055.211.0101.3059- मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,20,00.00 1,20,62.00 (-)1,02,34.10	1,38,27.90	1,38,27.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,02,34.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4055.800.0801.1948- नेशनल इमर्जेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम	पूरक	8,86.00	8,86.00	0.00	(-)8,86.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4070.800.0101.7188- आपदा प्रबंधन के लिए निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)70.00	30.00	30.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	48,90,40			
पूरक	34,46	49,24,86	51,66,99	+2,42,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,11,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	75,01			
पूरक	0	75,01	75,00	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) दत्तमत अनुदान से हुये ₹ 2,42,12,789 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।
- (2) ₹ 2,42.13 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 34.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (3) ₹ 2,42.13 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को ₹ 10,11.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक था।
- (4) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2235.60.102.6241- दिसम्बर 1992 में घटित दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन	मूल 5.00	5.00	3,36.50	+3,31.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जनवरी 2020)।
2235-60.200.0686- साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	मूल 1,00.00	1,00.00	13,61.31	+12,61.31	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जनवरी 2020)।

- (5) उपरोक्त टिप्पणी (4) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2235-60.200.2653- पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान	मूल 2,00.00 पुनर्वि. (-)60.00	1,40.00	43.66	(-)96.34	पुनर्विनियोग के रूप में ₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जनवरी 2020)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 में भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.6072- आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान	मूल	5,50.00	5,50.00	4,95.00	(-).55.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (जनवरी 2020)।

अनुदान संख्या 05-जेल
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2056-जेल)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,36,54,85			
पूरक	12,63,00	3,49,17,85	3,28,54,44	(-)20,63,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				29,15

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 2,30.00 लाख), जनवरी 2019 (₹ 33.00 लाख) एवं फरवरी 2019 (₹ 10,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,63.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 20,63.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 29.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-101.0938- केन्द्रीय तथा जिला जेलें	मूल पूरक पुनर्वि.	3,08,25.51 10,00.00 (-)55.02	3,17,70.49	3,05,39.27	(-)12,31.22	₹ 55.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,42.52 लाख की कमी एवं ₹ 5,87.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः वीडियों कान्फ्रेंसिंग केबिन के निर्माण, प्रतिकर एवं ई-प्रिजन कार्य के भुगतान के कारण हुई (₹ 2,20.00 लाख)।, ₹ 3,67.50 लाख की अवशेष वृद्धि के विशिष्ट कारणों तथा कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-101.7071- कैदियों की मृत्यु पर आश्रितों को क्षतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	50.00 40.00	90.00	0.00	(-)90.00	₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अंशतः मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण हुई (₹ 10.00 लाख)। ₹ 30.00 लाख की अवशेष वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2056-101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	5.00 2,30.00 93.82	3,28.82	11.60	(-)3,17.22	₹ 93.82 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः ई-प्रिजन कार्य हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (₹ 69.00 लाख)। अवशेष वृद्धि (₹ 24.82 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2056-101.0101-5048- बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	3,41.00 (-)1,50.00	1,91.00	85.32	(-)1,05.68	₹ 1,50.00 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2056-101-0101-7724- सेल फोन फ्री-एक्टीवेटर (जेमर)	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 06 वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,35,10,47,35			
पूरक	1,00,00	1,35,11,47,35	1,21,82,84,54	(-)13,28,62,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 तथा 31 मार्च 2019)				8,77,31

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	22,81,09			
पूरक	0	22,81,09	2,98,86	(-)19,82,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,75,70,01			
पूरक	5,00,00	1,80,70,01	95,06,84	(-)85,63,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				35,98,20

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान फरवरी 2019 में प्राप्त किया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,28,62.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 तथा 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 8,77.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) हालांकि कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम थी, निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत उल्लेखनीय विविधताएं देखी गई हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-800.101.7623- वेंचर केपिटल कंपनी	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-1,00.00)	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत का कारण वेंचर केपिटल कंपनी द्वारा मांग प्राप्त न होना।
2054-095.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	45,00.00 (-1,58.00)	43,42.00	12,11.49	(-31,30.51)	₹ 1,58.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 7,58.00 लाख की कमी एवं ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होना तथा योजना के अन्तर्गत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हेतु देय राशि का भुगतान कम होना था। जबकि वृद्धि का कारण आई.एफ.एम.आई. एस. अंतर्गत मैनेज्ड आई.टी. फेज वाई 3, वाई 4 तथा वाई 5 के भुगतान करना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.0101.0224- अन्य व्यय	मूल	6,93,73.32	6,93,73.32	0.00	(-6,93,73.32)	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2071-01.105.9998- मध्य प्रदेश	मूल	3,73,87.68	3,73,87.68	2,70,93.56	(-1,02,94.12)	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.105.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	18,30,21.70	18,30,21.70	16,26,55.92	(-)2,03,65.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.115.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	3,56,47.92	3,56,47.92	2,25,67.22	(-)1,30,80.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	मूल	20,39.40	20,39.40	1.07	(-)20,38.33	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.6357- पी. पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	6,35.65 1,16.65	7,52.30	7,52.30	0.00	₹ 1,16.65 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 41,35.00 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 1,58.00 लाख की वृद्धि (पुनर्विनियोग के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि का कारण परामर्श सेवाओं के व्ययों में वृद्धि होना था। जबकि कमी का कारण व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगीयों में बचत होना था।
2071-01.101.9998-मध्य प्रदेश	मूल	12,10,00.00	12,10,00.00	14,95,15.88	+2,85,15.88	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2071-01.102.9998-मध्य प्रदेश	मूल	9,26.64	9,26.64	35,17.70	+25,91.06	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01-102-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	18,53.28	18,53.28	43,46.02	+24,92.74	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.111.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	17,78.96	17,78.96	24,19.44	+6,40.48	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.117.6854- अशदायी पेंशन योजना	मूल	4,24,34.83	4,24,34.83	7,28,88.39	+3,04,53.56	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित

- (5) ₹ 19,82.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	18,53.28	18,53.28	0.00	(-)18,53.28	संपूर्ण मूल विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	2,31.66	2,31.66	0.00	(-)2,31.66	संपूर्ण मूल विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.5158- सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	77.22	77.22	2,13.40	+1,36.18	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में प्राप्त किया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 85,63.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान ₹ 35,98.20 लाख मात्र राशि दिनांक 30 मार्च 2019 को अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.0101.7624- एम.एस.एम.आई. वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत का कारण वेंचर केपिटल कंपनी द्वारा राशि की मांग प्राप्त न होना तथा सीमित व्यय हाने के कारण बचत हुई।
4425-107.0101.6782- म.प्र. वित्त निगम की अंशपूँजी में निवेश	पूरक	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
6075-800.6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)10,00.00	40,00.00	0.00	(-) 40,00.00	₹ 10,00.00 लाख (पुनर्विनियोग के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्डस् के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण मूल विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.1005- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी में धनवेष्टन	मूल पुनर्वि.	9,99.99 14,70.01	24,70.00	24,70.00	0.00	₹ 14,70.01 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार द्वारा मध्याचल ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी निवेश हेतु दी गई स्वीकृति अनुसार राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया।
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल पुनर्वि.	50,00.00 10,00.00	60,00.00	65,00.00	+5,00.00	₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एम. पी.आर.डी.सी. को ऋण दिए जाने हेतु किया गया। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण, 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	27,33,65,04			
पूरक	81,00,00	28,14,65,04	20,26,35,72	(-)7,88,29,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,41,17

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,42			
पूरक	0	1,42	0	(-)1,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में ₹ 81,00.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,88,29.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,41.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,71.41 68.00	6,39.41	5,23.92	(-)1,15.49	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 68.00 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 8.22 की कमी एवं ₹ 76.22 की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी का कारण संभावित बचत, जबकि वृद्धि का कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम प्रावधान होने से महानिरीक्षक पंजीयन के शेष 6 माहों के मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु, कम प्रावधान होने से, प्राप्त बजट से जिला पंजीयक मंदसौर के कुर्की प्रकरण के भुगतान था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-01.001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	14,74.72 (-)6,50.00	8,24.72	4,33.72	(-)3,91.00	₹ 6,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 10,39.85 लाख की कमी एवं ₹ 3,89.85 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी का मुख्य कारण वित्त वर्ष 2018-19 के तीन महीनों में प्रतिस्थापन की कोई मांग नहीं होना और वित्तीय वर्ष 2018-19 में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर खरीद के लिए कोई प्रावधान नहीं होना, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के रखरखाव में प्रावधानित राशि से ई-स्टॉपिंग के लिए अनुबंधित संस्था मेसर्स एनटीएल के बिलों के भुगतान के कारण उक्त मद की राशि की बचत होने की संभावना के कारण था। जबकि वृद्धि का कारण वित्त वर्ष 2018-19 में कम प्रावधान होने एवं कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए अनुबंधित संस्था को हार्डवेयर बिलों के भुगतान करना था।
2030-01.102.4611- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	मूल	3,00.00	3,00.00	1,32.23	(-)1,67.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2030-02.102.2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	मूल	60,00.00	60,00.00	3,88.33	(-)56,11.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2030-02.797.0817- पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुदांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	मूल	4,75,00.00	4,75,00.00	0.00	(-)4,75,00.00	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2039-001.1470- जिला कार्यापालिक स्थापना	मूल	1,56,47.28	1,56,47.28	1,28,24.88	(-)28,22.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2039-001.0101. 8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	12,00.02	12,00.02	1,48.36	(-)10,51.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2040-001.7086- वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल	मूल पुनर्वि.	5,98.06 (-)2,30.17	3,67.89	3,70.32	+2.43	₹ 2,30.17 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,55.59 (पुनर्विनियोग ₹ 25.42 लाख + समर्पण ₹ 2,30.17 लाख) लाख की कमी एवं ₹ 25.42 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत एवं स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की पूर्ति नही होना था, जबकि वृद्धि का कारण कम प्रावधान, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अपील बोर्ड में होने के कारण इन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त 125 एवं 136 प्रतिशत डी.ए. दिये जाने के कारण, अपील बोर्ड भोपाल में एक एवं इंदौर में दो वाहन किराये पर लेने के कारण, रिक्त पदों के विरुद्ध सेडमेप के माध्यम से तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के मेनपावर का भुगतान करने एवं कार्यालय में पेपरलेस कार्य प्रक्रिया हेतु सात कम्प्यूटर सेट का क्रय किये जाना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2043-001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	25,85.01 (-)11,10.00	14,75.01	10,78.27	(-)3,96.74	₹ 11,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 11,75.00 लाख की कमी एवं ₹ 65.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण विधान सभा चुनाव आचार संहिता एवं संभावित बचत होना था, जबकि वृद्धि का कारण विभाग के कम्प्यूटर/हार्डवेयर के रखरखाव, वित्तीय वर्ष 2017-18 के उपकरणों की डिलीवरी और स्थापना के लिए ठेकेदारों को भुगतान हेतु एवं ऑनलाइन काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए 20 लैपटॉप की खरीद और जीएसटीएन के कार्यान्वयन, देयताओं और स्टेशनरी के संवितरण होना था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-101.1509- जिला स्थापना	मूल	2,18,27.80	2,18,27.80	1,76,28.02	(-)41,99.78	बचत चुनाव आचार संहिता के कारण नवीन नियुक्तियां नहीं होने के कारण हुई।
2045-797.0550.2360- म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि	पूरक	54,00.00	54,00.00	0.00	(-)54,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2045-797.530.2359- म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि	पूरक	27,00.00	27,00.00	2,41.23	(-)24,58.77	बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-02.101.2456- न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	मूल पुनर्वि.	25,00.00 13,00.00	38,00.00	37,47.22	(-)52.78	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 13,00.00 लाख की निधियों के आवर्धन का कारण वित्तीय वर्ष में कम प्रावधान होने, शेष माहों के नासिक एवं हैदराबाद मुद्रणालय के देयकों के अदत्त व्यय के भुगतान होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2030-03.001.5815- परिक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना	मूल	2,99.55	2,99.55	3,61.12	+61.57	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2039-104.4173- स्पिरिट की खरीद	मूल पुनर्वि.	10.00 2,40.00	2,50.00	1,12.18	(-) 1,37.82	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,40.00 लाख की निधियों के आवर्धन का कारण पर्याप्त बजट प्राप्त नहीं होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर समाप्त

(4) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2018 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था। वर्ष के दौरान कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2019 को निधि में जमा शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2018-19 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

प्रभारित

(5) ₹ 1.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 08—मू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2029-मू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,69,02,44			
पूरक	1,84,65,00	16,53,67,44	13,85,51,24	(-)2,68,16,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				1,73,01,29

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,03,50			
पूरक	50,00	2,53,50	1,15,94	(-)1,37,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				92,65

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,61,13,77			
पूरक	0	1,61,13,77	94,28,77	(-)66,85,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,90,35

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में (₹ 25,50.00 लाख), जनवरी 2019 में (₹ 1,59,15.00 लाख) एवं फरवरी 2019 में (सांकेतिक) प्राप्त किया गया ₹ 1,84,65.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,68,16.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,73,01.29 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-001.0456- आयुक्त भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	10,00.55 (-)2,13.06	7,87.49	7,86.97	(-)0.52	समर्पण के रूप में ₹ 2,13.06 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-001.6846- भू-प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	1,03,55.99 (-)36,69.83	66,86.16	66,66.08	(-)20.08	₹ 36,69.83 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 39,81.33 लाख की कमी (समर्पण ₹ 35,89.83 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,91.50 लाख) एवं ₹ 3,11.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अनुबंधित कर्मचारियों के पद रिक्त रह जाने के कारण हुई (₹ 0.12 लाख) और वृद्धि अंशतः क्षेत्रीय उपायुक्त कार्यालय, भू-अभिलेख तथा प्रबंधन, म.प्र. भोपाल की सुरक्षा हेतु सुरक्षा एजेंसी को भुगतान, आयुक्त कार्यालय, भू-अभिलेख तथा प्रबंधन एवं भू-अभिलेख के अधीक्षक कार्यालयों के पी.ओ.एल. देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 11.50 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.2494- पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्था	मूल पुनर्वि.	82.55 (-)45.18	37.37	37.39	+0.02	समर्पण के रूप में ₹ 45.18 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-103.6155- कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय	मूल पुनर्वि.	50.00 (-)43.62	6.38	6.38	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 43.62 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2029-103.0801.9981- लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	मूल पुनर्वि.	1,42.60 (-)89.30	53.30	31.94	(-)21.36	समर्पण के रूप में ₹ 89.30 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.5070- कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	मूल पुनर्वि.	20,60.02 (-)20,60.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः सांकेतिक राशि के कारण हुई (₹ 0.02 लाख)। शेष समर्पण राशि ₹ 20,60.00 लाख के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.7167- एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)79.22	2,20.78	96.00	(-)1,24.78	समर्पण के रूप में ₹ 79.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	20,05.20 (-)17,83.17	2,22.03	2,22.03	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 17,83.17 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-099.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	59.00 (-)50.45	8.55	7.05	(-)1.50	₹ 50.45 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 35.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 14.95 लाख) अंशतः डिजिटलाइजेशन कार्य एजेंसी से अपेक्षित प्रगतिशील कार्य प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1509- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,90,20.97 (-)2,28.00	2,87,92.97	2,24,66.33	(-)63,26.64	₹ 2,28.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,85.00 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,57.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी कोई नई पदस्थापना न होने, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कोई कर्मचारी पदोन्नत न होने, कम पदस्थापना एवं पदोन्नति, कम शासकीय वाहनों, किराये के वाहनों की स्वीकृति प्राप्त होने एवं वृद्धि अंशतः लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के कारण अधिक स्टेशनरी की आवश्यकता एवं अधिकारियों के अधिक स्थानान्तरण होने के कारण हुई (₹ 7.00 लाख)। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-093.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	1,00.01	1,00.01	8.70	(-)91.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2053-094.0102.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	1,10.00	1,10.00	11.32	(-)98.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2053-094.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	3,30.00	3,30.00	89.10	(-)2,40.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2053-101.0452- आयुक्त	मूल पुनर्वि.	27,42.09 2.00	27,44.09	19,87.93	(-)7,56.16	₹ 2.00 लाख निधियों का आवर्धन ₹ 31.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 29.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि शहडोल कार्यालय के चिकित्सा देयकों के भुगतान, दो माह हेतु पी.ओ.एल. के भुगतान एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के कारण हुई। कमी आयुक्त कार्यालय हेतु किराये के वाहनों की कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.1478- मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन	मूल	1,58.24	1,58.24	78.44	(-)79.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-102.3132-भू-सुधार कार्यालय	मूल पुनर्वि.	91.16 45.96	1,37.12	1,37.12	0.00	₹ 45.96 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 34.04 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अधीनस्थ डी.डी.ओ. एवं आयुक्त कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को वेतन एवं सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान के कारण हुई। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2029-103.0701.6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल. आर.एम.पी)	मूल पूरक	0.01 (-) 0.01	0.00	0.89	+0.89	समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2029-01.800.0196-अन्य प्रभार (भारित)	मूल पूरक	0.01 (-) 0.01	0.00	3.30	+3.30	समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 1,37.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 92.65 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657-राजस्व बोर्ड	मूल पुनर्वि.	1,92.00 (-)91.83	1,00.17	1,10.13	+9.96	₹ 91.83 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-093.1509-जिला स्थापना	मूल पूरक	10.00 50.00	60.00	5.38	(-)54.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 66,85.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 19,90.35 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0103.6664- तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	8,80.00	8,80.00	1,58.88	(-)7,21.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4059-01.051.0102.6664- तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	11,00.00	11,00.00	3,63.08	(-)7,36.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	30,80.01	30,80.01	20,10.94	(-)10,69.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4059-01.051.0101.6980- भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./ पटवारी आवास)	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)19,90.34	9.66	9.66	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 19,90.34 लाख की प्रत्याशित बचत पिछले वर्षों के लंबित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को राशि हस्तांतरित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0102.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	5,50.00	5,50.00	5,67.35	+ 17.35	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

(मुख्य शीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	55,61,62			
पूरक	22,00	55,83,62	45,37,60	(-)10,46,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				9,86,36

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,70			
पूरक	0	4,70	0	(-)4,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				4,70

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	10,00,00	10,10,00	47,07	(-)9,62,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				9,62,93

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, माह जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 22.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,46.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को ₹ 9,86.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2058-001.2286- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	2,92.80 22.00 (-)48.64	2,66.16	2,65.29	(-)0.87	₹ 48.64 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 72.14 लाख की कमी (समर्पण ₹ 48.64 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 23.50 लाख) एवं ₹ 23.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी देयकों के प्राप्त न होने, शासन द्वारा क्रय पर प्रतिबंध होने, पद रिक्त होने, देयक त्रुटिपूर्ण प्राप्त होने एवं सातवें वेतनमान में मंहगाई भत्ता कम होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान होने, सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि होने एवं श्री नंदकिशोर गजभिये, सहायक ग्रेड-3 द्वारा निजी चिकित्सालय में गंभीर बीमारी के इलाज से संबंधित देयक प्राप्ति से राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2058-103.4202- शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	मूल पुनर्वि.	50,90.34 (-)9,30.65	41,59.69	41,29.38	(-)30.31	₹ 9,30.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 9,35.15 लाख की कमी (समर्पण ₹ 9,30.65 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4.50 लाख) एवं ₹ 4.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, मितव्ययता उपाय अपनाये जाने, क्रय पर प्रतिबंध होने, देयक कम प्राप्त होने, भण्डार गृह इन्दौर के किराये की दरों में कमी के आधार पर, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं एक बी.सी. ओ. से अन्य बी.सी.ओ. को राशि का अंतरण किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि गंभीर बीमारी के चिकित्सा देयकों के अधिक प्राप्त होने एवं आगामी माह के संभावित व्यय को दृष्टिगत रखने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 9,62.93 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	मूल	10.00	47.07	47.07	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 9,62.93 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय व्यय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,62.93				

अनुदान संख्या 10-वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,97,72,77			
पूरक	1,62,20,67	23,59,93,44	16,00,74,21	(-)7,59,19,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,69,97,58

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,00			
पूरक	0	30,00	29,87	(-)13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,08,32,37			
पूरक	7,17,32,00	12,25,64,37	8,36,85,78	(-)3,88,78,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				54,04,80

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 1,62,20.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,59,19.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,69,97.58 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0103.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	84.00 (-)75.60	8.40	0.00	(-)8.40	समर्पण के रूप में ₹ 75.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.001.0102.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	84.00 (-)75.60	8.40	0.00	(-)8.40	समर्पण के रूप में ₹ 75.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.001.0101.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	2,52.00 (-)2,26.80	25.20	0.00	(-)25.20	समर्पण के रूप में ₹ 2,26.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.004.0101.2330- वन मानचित्रों का डिजिटलईजेशन	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.101.0701.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	पूरक	1,50,00.00	1,50,00.00	30,31.66	(-)1,19,68.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2406-01.101.0701.7489-आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन	मूल पुनर्वि.	25.00 (-)22.50	2.50	0.00	(-)2.50	समर्पण के रूप में ₹ 22.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0102.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,72,47.21 (-)1,02,95.70	69,51.51	66,17.42	(-)3,34.09	समर्पण के रूप में ₹ 1,02,95.70 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,30,11.76 (-)99,78.61	8,30,33.15	8,30,59.16	+26.01	₹ 99,78.61 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92,82.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,92,60.61 लाख की कमी (समर्पण ₹ 98,59.71 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 94,00.90 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन भुगतान एवं आगामी पाँच माहों के व्यय के भुगतान हेतु अपर्याप्त राशि की उपलब्धता के कारण एवं कमी अंशतः जी.एस.टी. लागू होने, वैट कर हटाये जाने एवं शीर्ष में भावी संभावित बचत के कारण हुई (₹ 94,00.90 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य ₹ 26.01 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0101.0674-दीनदयाल वनांचल सेवा	मूल पुनर्वि.	5,20.00 (-)3,08.11	2,11.89	1,56.20	(-)55.69	समर्पण के रूप में ₹ 3,08.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 10-वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.2298-काष्ठ एवं बांस विक्रय केन्द्र की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)4,50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹ 4,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 25.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,25.00 लाख) प्रावधान में अंशतः वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 4,25.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.101.0101.2299-मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,57.00	43.00	23.00	(-)20.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,57.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.101.0101.2301-बांस शिल्पकारों को छात्रवृत्ति योजना	मूल पुनर्वि.	1,25.00 (-)1,12.50	12.50	0.00	(-)12.50	₹ 1,12.50 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 12.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,00.00 लाख) प्रावधान में अंशतः वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 1,00.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.101.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)52.96	47.04	23.36	(-)23.68	समर्पण के रूप में ₹ 52.96 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.102.1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	28,32.00 (-)18,76.79	9,55.21	0.00	(-)9,55.21	प्रावधान में ₹ 18,76.79 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 18,36.18 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 40.61 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.102.7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	66,00.00 (-)46,82.28	19,17.72	19,17.72	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 46,82.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.102.0101.0833-नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)3,37.43	11,62.57	0.00	(-)11,62.57	समर्पण के रूप में ₹ 3,37.43 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.190.0701.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	2,00,20.00 (-1,51,81.26)	48,38.74	28,36.74	(-20,02.00)	₹ 1,51,81.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,52,57.26 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,51,81.26 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 70.00 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन भुगतान के कारण हुई कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.190.0103.7691-निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	36.00 (-28.60)	7.40	3.80	(-3.60)	समर्पण के रूप में ₹ 28.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.190.0102.7691-निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	36.00 (-24.98)	11.02	7.42	(-3.60)	समर्पण के रूप में ₹ 24.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.190.0101.2027-केम्पा योजना राज्य का हिस्सा	मूल पुनर्वि.	2,86.00 (-2,44.82)	41.18	12.58	(-28.60)	₹ 2,44.82 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 19.82 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,25.00 लाख) अंशतः केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अनुसार पाँच शहरों पर राज्यांश के रूप में 20 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् बचत के कारण हुई (₹ 2,25.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0101.7691-निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	1,08.00 (-43.04)	64.96	38.88	(-26.08)	समर्पण के रूप में ₹ 43.04 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 10-वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-02.110.0701.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-)42,81.04	27,18.96	27,23.19	+4.23	समर्पण के रूप में ₹ 42,81.04 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.003.0101.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल पुनर्वि.	16,04.31 2,89.60	18,93.91	18,42.82	(-)51.09	₹ 2,89.60 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,39.51 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,49.91 लाख की कमी (समर्पण ₹ 6,14.91 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 35.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्थायी कर्मचारियों एवं वन विद्यालयों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान, 2018 में चयनित वनपाल एवं सहायक वन संरक्षकों को छात्रवृत्ति, यात्रा भत्ता, शिक्षण शुल्क के भुगतान एवं उपकरण भत्ता अग्रिम भुगतान एवं कमी अंशतः 09 वन विद्यालयों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुई (₹ 35.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2406-01.203.0534- वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यापवर्तित वन भूमि से वनोपज का विदोहन	मूल पुनर्वि.	2,04.00 79.00	2,83.00	2,66.21	(-)16.79	₹ 79.00 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 71.00 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदकों/संस्थाओं से प्राप्त राशि जो राजस्व शीर्ष के अधीन जमा की गई से विदोहन व्यय के कारण हुई एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 3,88,78.59 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 7,17,32.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 3,88,78.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 54,04.80 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0102.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-)3,60.00	40.00	0.00	(-)40.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4406-01.101.0101.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)4,23.99	76.01	26.01	(-)50.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,23.99 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4406-01.102.0102.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	42,00.00 (-)25,66.79	16,33.21	16,33.01	(-)0.20	समर्पण के रूप में ₹ 25,66.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4406-01.102.0101.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	10.36 (-)10.36	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4406-01.190.5323- म.प्र. वन विकास निगम	पूरक	1,95,00.00	1,95,00.00	0.00	(-)1,95,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार कौशल विकास, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,65,01,48			
पूरक	0	4,65,01,48	2,92,56,42	(-)1,72,45,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				40,08

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,74,66,04			
पूरक	0	4,74,66,04	4,74,66,00	(-)4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

1. ₹ 1,72,45.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 40.08 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
2. प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-01.102.8034- स्टीम बॉइलरों का निरीक्षण	मूल पुनर्वि.	1,57.11 (-)40.08	1,17.03	1,16.26	(-)0.77	₹ 40.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 42.38 लाख की कमी (समर्पण ₹ 40.08 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 2.30) एवं ₹ 2.30 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी बॉइलर संचालनालय के तीन कार्यालयों का विलय हो जाने से एवं कर्मचारियों/अधिकारियों को भेल, भोपाल में क्वार्टर आवंटित किये जाने से एवं पद रिक्त होने के कारण हुई (₹ 2.30 लाख)। वृद्धि भेल, भोपाल द्वारा मकान किराया भत्ते में वृद्धि किये जाने एवं कर्मचारियों को संशोधित छठवें एवं सातवें वेतनमान में अंतर की राशि के भुगतान के कारण हुई। ₹ 40.08 लाख की अवशेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2852-80.800.0101.2123- निवेश प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	4,37,00.00 (-)2,65.00	4,34,35.00	2,64,57.50	(-)1,69,77.50	₹ 2,65.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः दावा (क्लेम) प्रकरणों के लंबित न होने के कारण हुई (₹ 2,25.00 लाख)। ₹ 40.00 लाख की अवशेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2852-80.800.0101.5531- डेस्टिनेशन म.प्र. इन्वेस्टमेन्ट ड्राइव	मूल	15,00.00	15,00.00	13,50.00	(-)1,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2852-80.800.0101.7066- म.प्र. ट्रायफेक को संधारण अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,50.00 (-)29.50	3,20.50	2,85.50	(-)35.00	₹ 29.50 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-102.0101.7504- एम.आई.एस. प्रणाली के लिये एकल खिडकी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,50.00 2,25.00	5,75.00	5,75.00	0.00	₹ 2,25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पूर्व निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त एम.पी. आई.डी.सी. की सहायक कंपनियों के संविलियन उपरान्त केन्द्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली/एम.पी.एल.एस. की स्थापना हेतु राशि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।
3475-200.6408- अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन	मूल पुनर्वि.	3,97.37 92.77	4,90.14	4,53.13	(-37.01)	₹ 92.77 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 97.57 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः म.प्र. शासन के आदेश पत्र क्रमांक 5-1/2013/1/13 भोपाल दिनांक 07.10.2016 द्वारा नौ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने से, कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से वेतन भत्तों के भुगतान चिकित्सा देयकों एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ-साथ अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। वर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801-बिजली, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,38,75,28,60			
पूरक	24,51,53,00	1,63,26,81,60	98,11,34,03	(-)65,15,47,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				18,92,67,82

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,72,00,00			
पूरक		5,72,00,00	5,72,00,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	32,86,63,10			
पूरक	5,40,20,00	38,26,83,10	22,99,12,31	(-)15,27,70,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				12,86,90,98

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 24,51,53.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 65,15,47.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 18,92,67.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0103.5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	19,12,11.00 2,75,00.00 (-)7,25,00.00	14,62,11.00	14,62,45.57	+34.57	₹ 7,25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी के दावे प्राप्त न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0103.7313-टैरिफ अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	5,54,91.50 97,00.00 (-)97,00.00	5,54,91.50	5,54,91.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 97,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0102.7313-टैरिफ अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	5,54,91.50 1,30,00.00 (-)1,30,00.00	5,54,91.50	5,54,91.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,30,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2801-80.101.0101.0688-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	46,22,00.00 10,05,00.00 (-)10,05,00.00	46,22,00.00	0.00	(-)46,22,00.00	₹ 10,05,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत (संपूर्ण मूल प्रावधान) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2045-103.4281-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क	मूल पुनर्वि.	33,51.00 6,51.39	40,02.39	39,91.05	(-)11.34	₹ 6,51.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,48.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने एवं व्यय कम होने के कारण हुई (₹ 7,48.61 लाख)। ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि एवं अवशेष कमी ₹ 1,00.00 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2801-80.101.2361-समाधान योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 80,00.00	80,00.00	80,00.00	0.00	₹ 80,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 6,00,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,20,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना क्रियान्वयन के कारण मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अनुदान के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2801-80.101.2362-सरल बिजली बिल योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 50,00.00	50,00.00	50,00.00	0.00	₹ 50,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,05,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,55,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना क्रियान्वयन के कारण मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अनुदान के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0102.5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु	मूल	12,74,74.00	17,24,74.00	17,24,74.00	0.00	₹ 2,70,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,50,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,80,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि उपभोक्ता श्रेणी के दावे निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त होने के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पूरक	1,80,00.00				
	पुनर्वि.	2,70,00.00				

(7) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

इस निधि में 01 अप्रैल 2018 को ₹ 16,25,59.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान राशि रु 5,72,00.00 लाख निधि में जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि में से ₹ 18,00.00 लाख व्यय किया गया। 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 21,79,59.62 लाख के अंतशेष था। इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2018-19 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 5,40,20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 15,27,70.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 12,86,90.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-02.190.0101.6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	मूल पुनर्वि.	3,10,00.00 (-1,70,00.00)	1,40,00.00	59,28.27	(-80,71.73)	समर्पण के रूप में ₹ 1,70,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4801-05.190.9133-सरदार सरोवर परियोजना	मूल पुनर्वि.	2,50,00.00 (-60,09.55)	1,89,90.45	1,89,90.45	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 60,09.55 लाख की प्रत्याशित बचत म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
4801-05.190.0410.7900-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-72,00.00)	18,00.00	18,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 72,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4801-05.190.0101.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,28,00.00 (-64,00.00)	64,00.00	64,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 64,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.1201.1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल पुनर्वि.	1,60,00.00 (-)65,80.98	94,19.02	94,19.02	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 65,80.98 लाख की प्रत्याशित बचत पावर ट्रान्समिशन कंपनी से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
6801-190.1201.5523- कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	मूल	77,90.98	77,90.98	26,02.79	(-)51,88.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
6801-190.0101.7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	1,35,00.00 2,80,47.00 (-)3,89,47.00	26,00.00	26,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,89,47.00 लाख की प्रत्याशित बचत का बजट आवंटन (अनुपूरक अनुदान) प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
6801-205.1201.0700- ग्रीन कोरीडोर	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-)1,34,22.91	65,77.09	65,77.09	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,34,22.91 लाख की प्रत्याशित बचत कंपनियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-205.1201.5523- कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	पूरक पुनर्वि.	1,97,57.00 (-)93,23.60	1,04,33.40	0.00	(-)1,04,33.40	समर्पण के रूप में ₹ 93,23.60 लाख की प्रत्याशित बचत पावर विद्युत वितरण कंपनियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,71,73,82			
पूरक	77,92,71,41	1,68,64,45,23	97,46,13,84	(-) 71,18,31,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11-20-29-31 मार्च 2019)				70,75,35,64

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत(-) (हजार ₹ में)
मूल	23,85			
पूरक	10,00	33,85	12,08	(-) 21,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				21,77

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 71,18,31.39 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 77,92,71.41 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में प्राप्त किया गया (₹ 1,00,00.00 लाख) अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया (₹ 76,92,71.41 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 71,18,31.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 11-20-29-31 मार्च 2019 को ₹ 70,75,35.64 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.1201.0733- ग्रीन कृषि	मूल पुनर्वि.	2,80.00 (-)2,80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त न होने के कारण हुई (₹ 2,69.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0703.7496- सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	मूल पुनर्वि.	10.01 (-)10.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त न होने के कारण हुई (₹ 9.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0703.7499- सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	1,01.25 (-)1,01.25	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः ए.ए.एस. निविदा प्रक्रिया निर्धारित होने, अन्य उपकरणों के निविदा प्रक्रिया एवं इंस्टालेशन हो जाने के पश्चात् देयकों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ (₹ 9.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0703.7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	9,90.40 (-)9,51.16	39.24	39.24	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 9,51.16 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः प्रावधान अनुसार भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 9,14.01 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0702.7243- कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,21.00 27.30 (-)1,45.19	3.11	3.11	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,45.19 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः हितग्राहियों द्वारा योजना में कोई रुचि न दिखाये जाने के कारण हुई (₹ 1,06.74 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0702.7496- सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	मूल पुनर्वि.	50.01 (-)50.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 45.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0702.7499- सब मिशन स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	1,68.13 (-)1,68.13	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः ए.ए.एस. निविदा प्रक्रिया निर्धारित होने, अन्य उपकरणों के निविदा प्रक्रिया एवं इंस्टालेशन हो जाने के पश्चात् देयकों का विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ (₹ 1,54.62 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0702.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	13,96.00 (-)13,36.16	59.84	59.84	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,36.16 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः प्रावधान अनुसार भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 12,60.72 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7496- सब मिशन क्लाइमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	मूल पुनर्वि.	10.03 (-)10.03	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः प्रावधान अनुसार भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 9.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-102.0701.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	2,08,89.36 (-)2,03,25.13	5,64.23	5,64.23	0.00	₹ 2,03,25.13 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 4,04.24 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,99,20.89 लाख) अंशतः भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण एवं शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान में राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई (₹ 1,99,20.89 लाख)। शेष बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-105.0103.6666- नवीन खाद्य एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला	मूल पुनर्वि.	1,48.20 (-)1,43.89	4.31	4.31	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,43.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-105.0102.6666- नवीन खाद्य एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला	मूल पुनर्वि.	74.99 (-)73.56	1.43	1.43	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 73.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-109.0701.7493- नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-)5,31.66	18.34	18.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,31.66 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 5,17.16 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-109.0103.7670- कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	1,88.56 (-)1,86.77	1.79	1.79	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,86.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-109.0102.7670- कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	2,11.44 (-)2,11.44	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-109.0101.7670- कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-)4,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-110.0103.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,95,00.00 1,51,46.00 (-) 3,22,74.63	1,23,71.37	1,24,76.80	+ 1,05.43	₹ 3,22,74.63 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण हुई (₹ 3,21,03.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-110.0102.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	4,51,00.00 2,31,68.00 (-) 5,17,72.83	1,64,95.17	1,66,36.60	+1,41.43	समर्पण के रूप में ₹ 5,17,72.83 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति न मिलने के कारण, द्वितीय अनुपूरक की स्वीकृत राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई (₹ 5,14,81.00 लाख)। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-110.0101.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	12,54,11.44 6,43,51.00 (-)13,61,06.40	5,36,56.04	5,40,78.03	+4,22.00	₹ 13,61,06.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 13,41,06.40 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20,00.00 लाख) अंशतः वित्त विभाग द्वारा आहरणों का निकास न किये जाने के कारण, वित्त विभाग द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई (₹ 13,34.54 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0801.5907- पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट (एस.एम.ए. एम.)	मूल पुनर्वि.	35.20 (-)35.20	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0801.6697- नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में परीक्षण (एस. एम.ए.एम.)	मूल पुनर्वि.	30.02 (-)30.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0703.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,97.96	2.04	2.04	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,97.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0703.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	6,00.00 7,98.87 (-) 3,64.35	10,34.52	2,35.65	(-) 7,98.87	समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0702.7450- ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	मूल पूरक पुनर्वि.	9,00.00 20,40.69 (-) 38.78	29,01.90	15,32.86	(-) 13,69.04	समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-113.0702.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,94.68	5.32	5.32	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,94.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0702.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	6,00.00 5,81.96 (-) 3,36.82	8,45.14	2,63.18	(-) 5,81.96	समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0701.7450- ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	मूल पूरक पुनर्वि.	33,00.00 17,05.17 (-) 62.73	49,42.44	32,37.27	(-) 17,05.17	समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0701.7452- कृषि यंत्रीकृत गतिविधियां एवं ग्राम विकास (एस.एम.ए.एम.)	मूल पूरक पुनर्वि.	55.00 4,44.17 (-) 14.95	4,84.22	40.05	(-) 4,44.17	समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0701.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)5,78.60	21.40	21.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,78.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0103.7080- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	मूल पुनर्वि.	25.00 (-)25.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0102.7080- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	मूल पुनर्वि.	25.10 (-)25.10	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0101.7080- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	मूल पुनर्वि.	1,10.00 (-)1,10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-113.0101.8174- मशीन, ट्रेक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	95.00 (-)95.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-800.0801.0908- कृषि संगणना	मूल पुनर्वि.	7,27.85 (-) 6,90.40	37.45	1,83.94	+ 1,46.49	समर्पण के रूप में ₹ 6,90.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0102.1941- मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-) 1,56,22.69	43,77.31	43,77.70	+ 0.39	₹ 1,56,22.69 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 19,99.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,36,23.61 लाख) के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-800.0101.5319- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	पूरक पुनर्वि.	50,00,00.00 (-)24,67,70.49	25,32,29.51	25,32,29.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 24,67,70.49 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत पूर्ण राशि विमुक्त न किये जाने के कारण एवं आचार संहिता के कारण हुई (₹ 23,74,35.00 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-800.0101.5321- भावांतर/फ्लेट रेट योजना	पूरक पुनर्वि.	15,00,00.00 (-) 13,98,12.44	1,01,87.56	1,01,87.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,98,12.44 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आचार संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत पूर्ण राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-103.0701.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,81,14.53	1,81,14.53	1,81,14.53	0.00	₹ 1,81,14.53 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99,20.89 लाख की वृद्धि एवं ₹ 18,06.36 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-113.0101.5647- कृषकों को कृषि यंत्रों/ सिंचाई यंत्रों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	मूल पुनर्वि.	40.00 1,73.37	2,13.37	2,13.37	0.00	₹ 1,73.37 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 76.63 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि आगामी वित्तीय वर्ष से योजना के जारी न रहने के कारण पिछले वित्त वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-800.0103.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल पुनर्वि.	6,85,09.50 1,47,18.50	8,32,28.00	8,33,28.18	+1,00.18	₹ 1,47,18.50 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50,44.18 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,25.68 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सहायता वितरित किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-800.0102.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल पुनर्वि.	10,42,78.50 1,29,97.12	11,72,75.62	11,73,75.24	+99.61	₹ 1,29,97.12 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,36,23.61 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,26.49 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सहायता वितरित किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0101.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल	19,22,12.00	23,68,37.07	23,70,41.31	+2,04.25	₹ 3,46,25.07 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,48,32.22 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,07.15 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को राज्य सहायता वितरित किये जाने के कारण हुई (₹ 3,28,32.22 लाख)। शेष वृद्धि और कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	1,00,00.00				
	पुनर्वि.	3,46,25.07				

राजस्व:

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-113.4204- शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	मूल	20.00	8.23	8.23	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 11.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	(-) 11.77				

अनुदान संख्या 14—पशुपालन

(मुख्य शीर्ष— 2059-लोक निर्माण कार्य, 2403-पशुपालन, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,91,86,54			
पूरक	50,00,00	10,41,86,54	8,49,93,78	(-1,91,92,76)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				1,38,99,48

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	7,00	12,00	11,99	(-1)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,65,01			
पूरक	3,24,00	18,89,01	8,38,02	(-10,50,99)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				9,98,98

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 (₹ 50,00.00 लाख) एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,91,92.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,38,99.48 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.1468-जिला एवं संभागीय स्तर	मूल पुनर्वि.	31,59.77 (-3,45.21)	28,14.56	28,14.48	(-)0.08	₹ 3,45.21 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,53.14 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,33.21 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 19.93 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.93 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन में संभावित बचत के कारण हुई (₹ 1.00 लाख) एवं वृद्धि अंशतः नवम्बर माह के व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (₹ 1.00 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-001.4297-संचालनालय स्तर	मूल पुनर्वि.	12,49.54 (-)2,88.68	9,60.86	9,75.86	+15.00	₹ 2,88.68 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 3,08.68 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी माँग न होने, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न होने, सांकेतिक प्रावधान, जिला स्तर पर आहरण न होने, समयमान वेतन/पदोन्नति स्वीकृत न होने, आई.एफ.एम.आई.एस. सिस्टम के बजट पटल पर बजट दर्शित न होने एवं वृद्धि नये वाहन क्रय न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-101.0703.1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	76.01 (-)52.19	23.82	14.00	(-)9.82	₹ 52.19 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 10.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 42.18 लाख) भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0103.2549- पशु चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	22,10.41 (-)3,86.95	18,23.46	18,23.46	0.00	₹ 3,86.95 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,90.42 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,86.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.47 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.47 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने के कारण एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई (₹ 3,86.95 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0103.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	71.00 (-)27.09	43.91	32.00	(-)11.91	समर्पण के रूप में ₹ 27.09 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण एजेंसी द्वारा राशि का उपयोग न किये जाने के कारण एवं उपकरण क्रय न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-101.0102.5007- पशु औषधालय	मूल पुनर्वि.	32,17.46 (-)3,96.00	28,21.46	28,21.46	0.00	₹ 3,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 4,08.89 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,96.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 12.89 लाख) एवं पुनर्विनियोजन ₹ 12.89 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः नवम्बर माह के व्यय एवं अनुग्रह राशि के भुगतान के कारण हुई (₹ 2.00 लाख) एवं कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने एवं वेतन में संभावित बचत के कारण हुई (₹ 3,98.00 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0102.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	68.31 (-)38.34	29.97	29.97	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 38.34 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण एजेंसी द्वारा राशि का उपयोग न किये जाने, उपकरणों का क्रय न होने एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0101.5007-पशु औषधालय	मूल पुनर्वि.	1,08,52.59 (-)14,89.25	93,63.34	93,63.34	0.00	₹ 14,89.25 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34.35 लाख की वृद्धि ₹ 15,23.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 14,89.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 34.35 लाख) का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने एवं सांकेतिक प्रावधान होने के कारण हुई (₹ 14,89.25 लाख)। वृद्धि एवं शेष कमी के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-101.0101.5899-पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर	मूल पुनर्वि.	25,68.00 (-)7,19.04	18,48.96	18,48.96	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,19.04 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पिछले दो त्रैमास की अव्ययित राशि विमुक्त न किये जाने के कारण एवं 30.03.2019 को सर्वर समस्या के कारण 10 प्रतिशत राशि अव्ययित रह जाने के कारण हुई।
2403-101.0101.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवार्ये	मूल पुनर्वि.	7,46.00 (-)4,64.30	2,81.70	2,81.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,64.30 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा प्रक्रिया एवं अक्टूबर माह में प्रशासनिक स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के कारण एवं सीमा समाप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-102.2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	मूल पुनर्वि.	15,61.35 (-)3,77.62	11,83.73	11,83.73	0.00	₹ 3,77.62 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.18 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,79.80 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,77.62 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2.18 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि व्ययों एवं जनवरी माह के एरियर के भुगतान के कारण हुई एवं कमी वेतन में संभावित बचत, माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-102.0701.1930-एफ.एम.डी.सी.पी. कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	26,63.47 (-)4,75.85	21,87.62	21,87.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,75.85 लाख की प्रत्याशित बचत परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के कारण राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.0103.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	30,85.59 (-)4,40.70	26,44.89	26,44.85	(-)0.04	₹ 4,40.70 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.43 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,57.13 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,40.70 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 16.43 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः क्षतिपूरक अनुदान एवं अनुग्रह भुगतान के कारण हुई (₹ 6.00 लाख) एवं कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-102.0102.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	37,51.19 (-)5,42.78	32,08.41	32,08.41	0.00	₹ 5,42.78 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.01 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,51.79 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,42.78 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 9.01 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः नवम्बर माह के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई (₹ 2.00 लाख) एवं कमी अंशतः वेतन/भत्तों में बचत, माँग न होने, समयमान/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने, क्रय प्रतिबंध एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-102.0101.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,40,07.74 (-)22,27.63	1,17,80.11	1,17,80.10	(-)0.01	₹ 22,27.63 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56.62 लाख की वृद्धि एवं ₹ 22,84.25 लाख की कमी (समर्पण ₹ 17,32.63 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,51.62 लाख) का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने, सांकेतिक प्रावधान एवं जे.के. ट्रस्ट के कोई लंबित भुगतान न होने के कारण हुई (₹ 7,20.00 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.0101.7153- गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन	मूल पूरक पुनर्वि.	77.00 50,00.00 (-)54.82	50,22.18	22.18	(-)50,00.00	समर्पण के रूप में ₹ 54.82 लाख की प्रत्याशित बचत माँग न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-103.3578- मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र	मूल पुनर्वि.	18,95.20 (-)3,16.29	15,78.91	15,87.91	0.00	₹ 3,16.29 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.27 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,22.56 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,16.29 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6.27 लाख) का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माँग न होने, समयमान वेतन/क्रमोन्नति स्वीकृत न होने एवं सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई (₹ 3,16.29 लाख)। वृद्धि एवं शेष कमी (₹ 6.27 लाख) के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2403-107.0701.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	14,14.01 (-)8,80.42	5,33.59	5,33.59	0.00	₹ 8,80.42 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 4,50.21 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,30.22 लाख) केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त न होने, सांकेतिक प्रावधान एवं भारत सरकार से दिसम्बर 2018 को जारी राशि प्राप्त होने एवं आचार संहिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत अंशतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.0102.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,64.23 1,67.66	5,31.89	5,31.89	0.00	₹ 1,67.66 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,06.90 लाख की वृद्धि एवं ₹ 39.24 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। कमी समयमान वेतन एवं वेतन क्रमोन्नति स्वीकृत न होने के कारण जबकि वृद्धि वेतन/भत्तों हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-106.0701.1928- पशु संजीवनी योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 30.21	30.22	30.22	0.00	₹ 30.21 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.22 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.01 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि पशु संजीवनी योजना हेतु राशि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2403-800.0801.6625- पशु संगणना की योजना	मूल पुनर्वि.	0.06 1,18.04	1,18.10	1,18.10	0.00	₹ 1,18.04 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,81.96 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि पशु संगणना कार्य हेतु भुगतान एवं कमी पशु संगणना कार्य प्रगति पर होने के कारण पर्यवेक्षक/संगणकों को मानदेय राशि के भुगतान के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 3,24.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 10,50.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को केवल ₹ 9,98.98 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0103.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	1,25.00 (-)1,25.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0102.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	2,20.00 (-),2,11.99	8.01	16.66	8.65	समर्पण के रूप में ₹ 2,11.99 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0101.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,92.00 (-),1,61.77	1,30.23	93.65	(-),36.58	समर्पण के रूप में ₹ 1,61.77 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण एजेंसी द्वारा राशि का उपयोग न किये जाने, मासिक 10 प्रतिशत व्यय सीमा एवं उपकरणों का क्रय न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0101.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-),1,97.10	52.90	41.03	(-),11.87	समर्पण के रूप में ₹ 1,97.10 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	मूल पुनर्वि.	2,20.00 (-),2,20.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की आवश्यकता न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या-15 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से
संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2			
पूरक	0	2	0	(-)2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,33,54			
पूरक	3,28,10	91,61,64	73,19,27	(-)18,42,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,45,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	3,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 3,28.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 18,42.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,45.75 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	40,54.89	40,54.89	36,25.90	(-)4,28.99	इस शीर्ष में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (₹ 6.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0703.0665-नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	2,79.98	2,79.98	1,55.79	(-)1,24.19	बचत केन्द्रांश की पूर्ण राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई।
2405-101.0702.0665-नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	2,00.00	2,00.00	46.45	(-)1,53.55	बचत केन्द्रांश की पूर्ण राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0701.0665-नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	10,20.02	10,20.02	9,15.81	(-)1,04.21	बचत केन्द्रांश की पूर्ण राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-101.0102.3314-मत्स्य बीज उत्पादन	मूल पुनर्वि.	2,66.95 (-)70.24	1,96.71	1,27.60	(-)69.11	समर्पण के रूप में ₹ 70.24 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण से हुई। अंतिम बचत सरकार द्वारा आहरण सीमित किये जाने एवं 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।
2405-101.0101.3314-मत्स्य बीज उत्पादन	मूल पुनर्वि.	9,75.23 (-)24.24	9,50.99	7,49.18	(-)2,01.81	समर्पण के रूप में ₹ 24.24 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण से हुई। अंतिम बचत सरकार द्वारा आहरण सीमित किये जाने एवं 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-800.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पूरक	1,37.00 72.90	2,09.92	1,26.00	(-)83.92	बचत सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की कटौती, द्वितीय अनुपूरक बजट में प्राप्त राशि के आहरण की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा न दिये जाने एवं आचार संहिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-800.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पूरक	1,49.00 78.71	2,27.71	1,43.05	(-)84.66	बचत सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की कटौती, द्वितीय अनुपूरक बजट में प्राप्त राशि के आहरण की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा न दिये जाने एवं आचार संहिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-800.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पूरक	5,65.00 1,76.47	7,41.47	5,40.00	(-)2,01.47	बचत सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की कटौती, द्वितीय अनुपूरक बजट में प्राप्त राशि के आहरण की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा न दिये जाने एवं आचार संहिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-001.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	6,50.57	6,50.57	5,50.34	(-)1,00.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,91,23,92			
पूरक	0	13,91,23,92	5,05,82,93	(-)8,85,40,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,65,25,32

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,66,48,05			
पूरक	10,00,00,00	11,66,48,05	11,19,91,67	(-)46,56,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				38,03,88

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 8,85,40.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,65,25.32 की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-101.9088- म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	मूल पुनर्वि.	1,50.98 (-)66.85	84.13	81.50	(-)2.63	₹ 66.85 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 10 प्रतिशत कटौती किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2425-107.0103.9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,32.00 (-)1,03.40	8,28.60	4,35.40	(-)3,93.20	₹ 1,03.40 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण बैंक से लेखापरीक्षित दावे प्राप्त न होने के कारण और अंतिम बचत राज्य सरकार द्वारा आहरण की स्वीकृत न दिये जाने के कारण हुई।
2425-107.0103.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	28,80.00 (-)1,62.94	27,17.06	5,68.89	(-)21,48.17	₹ 1,62.94 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 10 प्रतिशत कटौती किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0102.9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	27,96.00 (-)25,10.79	2,85.21	5.61	(-)2,79.60	₹ 25,10.79 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण बैंक से लेखापरीक्षित दावे प्राप्त न होने के कारण और अंतिम बचत राज्य सरकार द्वारा आहरण की स्वीकृत न दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0102.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	75,60.00 (-1,88.24)	73,71.76	9,32.81	(-64,38.95)	₹ 1,88.24 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 10 प्रतिशत कटौती किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0101.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल	10,28.79	10,28.79	7,27.70	(-3,01.09)	₹ 3,01.09 लाख की बचत का कारण 10 प्रतिशत कटौती एवं तृतीय त्रैमास तक अव्ययित राशि, की चतुर्थ त्रैमास में आहरण की छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2425-107.0101.9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,95,72.00 (-1,02,98.43)	92,73.57	1,22.78	(-91,50.79)	₹ 1,02,98.43 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण बैंक से लेखापरीक्षित दावे प्राप्त न होने के कारण और अंतिम बचत राज्य सरकार द्वारा आहरण की स्वीकृत न दिये जाने के कारण हुई।
2425-107.0101.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,29,20.00 (-20.00)	5,29,00.00	0.00	(-5,29,00.00)	₹ 20.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण मांग न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-108.0101.6682-बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	6,50.00 (-2,34.00)	4,16.00	3,51.00	(-65.00)	₹ 2,34.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण सेटअप के अनुसार भर्ती नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2425-800.0910.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-14,00.00)	6,00.00	3,99.33	(-2,00.67)	₹ 14,00.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण मांग न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता समाप्त

पुंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 46,56.38 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 46,56.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 38,03.88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) हालांकि संपूर्ण बचत कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय विविधिताएं पाई गईं—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)17,50.00	7,50.00	7,49.60	(-)0.40	₹ 17,50.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण मांग न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4425-107.0101.6684- नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)4,70.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹ 4,70.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण मांग न होने के कारण एवं बचत के आहरण की स्वीकृति नहीं देने के कारण हुई। अंतिम बचत, कोषालय द्वारा देयक पास न किये जाने के कारण, आहरण न किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार तथा कौशल विकास)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,20,89,22			
पूरक	8,00,00,00	11,20,89,22	9,74,96,80	(-)1,45,92,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				86,27,59

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में ₹ 9,74,96,80,153 के कुल व्यय में 24.05.2018 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि ₹ 2,24,95,80,370 सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,45,92.42 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 8,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,45,92.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 86,27.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 18—श्रम जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.0791- कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	मूल	98,61.98	98,61.98	86,33.86	(-)12,28.12	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 8.80 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। ₹ 12,28.12 लाख की अंतिम बचत विभाग द्वारा बजट प्रावधान में दस प्रतिशत कटौती एवं अधिक व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। शीर्षान्तर्गत वर्ष 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के अन्तर्गत भी बचत हुई थी।
2210-01.102.3676- राज्य बीमा अस्पताल	मूल	45,90.55	45,90.55	38,05.93	(-)7,84.62	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 11.52 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। ₹ 7,84.62 लाख की अंतिम बचत विभाग द्वारा बजट प्रावधान में दस प्रतिशत कटौती एवं अधिक व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-01.101.4272- श्रम न्यायालय	मूल	10,87.65	10,87.65	9,21.27	(-)1,66.38	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 30.00 लाख) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। शीर्षान्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.101.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	1,52.00 (-)1,28.72	23.28	8.08	(-)15.20	₹ 1,28.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-01.102.5810- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	8,03.80 (-)1,76.23	6,27.57	6,15.23	(-)12.34	₹ 1,76.23 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.112.0101.2340- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)80,00.00	20,00.00	10,00.00	(-)10,00.00	इन शीर्षों के अन्तर्गत समर्पण के रूप में ₹ 80,00.00 लाख एवं ₹ 1,30.18 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-01.112.0101.2837- बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	मूल पुनर्वि.	2,26.00 (-)1,30.18	95.82	73.22	(-)22.60	

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-01.001.4268- श्रम आयुक्त	मूल पुनर्वि.	4,03.78 18.26	4,22.04	4,26.64	+4.60	₹ 18.26 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 61.11 लाख वृद्धि एवं ₹ 42.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	53,89,14,21			
पूरक	9,50,14,00	63,39,28,21	49,46,12,70	13,93,15,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,33,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,40			
पूरक	0	10,40	6,32	(-)4,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,00,00,02			
पूरक	0	3,00,00,02	1,46,85,30	(-)1,53,14,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में ₹ 14.00 लाख का एवं जून 2018 में ₹ 9,50,00.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,93,15.51 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 5,33.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0703.2315- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	मूल पूरक	15,00.00 56,00.00	71,00.00	27,71.02	(-)43,28.98	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-01.110.0703.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	3,15,00.02	3,15,00.02	2,75,87.33	(-)39,12.69	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-01.110.0702.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	5,18,00.02	5,18,00.02	2,92,33.31	(-)2,25,66.71	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-01.110.0701.2315- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	मूल पूरक	42,00.00 2,10,00.00	2,52,00.00	20,00.00	(-)2,32,00.00	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-01.110.0701.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	11,42,00.02	11,42,00.02	10,27,80.00	(-)1,14,20.02	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-03.103.0102.5868- राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	मूल	30,00.00	30,00.00	10,79.96	(-)19,20.04	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-03.103.0101.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल	4,93,21.94	4,93,21.94	4,19,90.98	(-)73,30.96	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-03.103.0101.5868- राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	मूल	60,00.00	60,00.00	35,17.47	(-)24,82.53	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-06.196.0101.4245- भीत ज्वर	मूल	1,12,25.54	1,12,25.54	94,31.83	(-)17,93.71	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-80.800.0103.2366- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता	पूरक	96,00.00	96,00.00	52,50.00	(-)43,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-80.800.0102.2366- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता	पूरक	1,44,00.00	1,44,00.00	45,36.00	(-)98,64.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2210-80.800.0101.2366- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता	पूरक	3,60,00.00	3,60,00.00	1,38,24.00	(-)2,21,76.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2211-198.0803.0621- उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	1,06,99.29	1,06,99.29	79,39.13	(-)27,60.16	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।

प्रभारित

(4) ₹ 4.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 1,53,14.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0422.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	28,00.00 (-)28,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.0422.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	28,00.00 (-)28,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.0101.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	31,62.00	31,62.00	19,50.44	(-)12,11.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.104.1401.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल	13,31.00	13,31.00	3,78.65	(-)9,52.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.104.0103.5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	90,97.99	90,97.99	17,21.89	(-)73,76.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.104.0102.5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	40,69.99 (-)14.32	40,55.67	10,26.97	(-)30,28.70	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14.32 लाख की प्रत्याशित बचत का कारण संभावित बचत है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.1703.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	पुनर्वि.	6,00.00	6,00.00	1,80.00	(-)4,20.00	₹ 6,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.1702.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	पुनर्वि.	10,00.00	10,00.00	3,00.00	(-)7,00.00	₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.1701.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	पुनर्वि.	12,00.00	12,00.00	3,60.00	(-)8,40.00	₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.0103.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	23,00.00	23,00.00	31,52.67	+8,52.67	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-01.110.0102.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	12,00.00	12,00.00	14,88.63	+2,88.63	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-02.103.0101.5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	0.01	0.01	83.32	+83.31	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.104.1703.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 4,00.00	4,00.01	1,20.00	(-)2,80.01	₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-02.104.1702.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 10,00.00	10,00.01	3,00.00	(-)7,00.01	₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-02.104.1701.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 14,00.00	14,00.01	4,20.00	(-)9,80.01	₹ 14,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-02.104.1403.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल	14,93.00	14,93.00	20,20.72	+5,27.72	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4210-02.104.1402.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	मूल	50.00	50.00	1,11.14	+61.14	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,55,70,07			
पूरक	56,75,00	6,12,45,07	5,53,24,13	(-)59,20,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	65,18	(-)34,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,42,33,63			
पूरक	2,68,01,16	23,10,34,79	19,76,14,32	(-)3,34,20,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,69,24,41

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 20,00.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 36,75.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 56,75.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 59,20.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2714-प्रशासन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,57,56.37 1,75.00 (-)16,60.00	1,42,71.37	1,39,88.73	(-)2,82.64	₹ 16,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 17,04.85 लाख की कमी एवं ₹ 44.85 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि निलंबित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते के भुगतान एवं उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। ₹ 2,82.64 लाख की अंतिम बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0102.1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल पूरक	8,00.00 10,25.00	18,25.00	12,25.46	(-)5,99.54	₹ 5,99.54 लाख की बचत वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0102.2219-नल कूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	25,35.50 (-)4,50.00	20,85.50	16,06.83	(-)4,78.67	₹ 4,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5,23.00 लाख की कमी एवं ₹ 73.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि निलंबित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोर्ट के निर्णय अनुसार एरियर्स के भुगतान के कारण हुई। ₹ 4,78.67 लाख की अंतिम बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.102.0101.1194- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल	28,60.00	61,85.00	43,68.43	(-)18,16.57	₹ 5,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। ₹ 18,16.57 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	27,75.00				
	पुनर्वि.	5,50.00				
2215-01.102.0101.7166- हेण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण	मूल	11,76.64	6,26.64	5,05.38	(-)1,21.26	₹ 5,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। ₹ 1,21.26 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)5,50.00				
2215-01.102.0101.8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल	0.01	5,00.01	0.00	(-)5,00.01	₹ 5,00.01 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता वित्त विभाग से आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण होना सूचित किया गया।
	पूरक	5,00.00				

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.102.0101.2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल	2,29,42.27	2,53,32.27	2,50,60.87	(-)2,71.40	₹ 23,90.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 30,85.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,95.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि आगामी माह के वेतन भुगतान, निलंबित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते के भुगतान एवं सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के एरियर्स के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। ₹ 2,71.40 लाख की अंतिम बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण होना सूचित की गई।
	पुनर्वि.	23,90.00				

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(5) <u>उचंत लेन देन:-</u>
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2018-19 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अन्तर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।
(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।
प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-
(i) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
(ii) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
(iv) कार्यशाला उचंत-किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।
वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे +जमा (-)
2215-जल पूर्ति तथा सफाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)44,10.17	0.00	0.00	(-)44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	0.00	0.00	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	0.00	0.00	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	0.00	0.00	+ 1,68,42.76

प्रभारित

- (6) ₹ 34.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (7) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	65.18	(-)34.82	₹ 34.42 लाख की बचत वेतन एवं भत्तों के वास्तविक भुगतान के कारण होना सूचित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,68,01.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 (9) ₹ 3,34,20.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,69,24.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
 (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1202.2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)20,00.00	60,00.00	60,00.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।
4215-01.102.0702.9029-सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई. एफ.)	मूल	35,98.00	35,98.00	11,72.26	(-)24,25.74	₹ 24,25.74 लाख की बचत विभिन्न जिलों में निविदा आमंत्रण में विलम्ब के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0423.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	16,00.00 (-)16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 16,00.00 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के स्वीकृत न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0422.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के स्वीकृत न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0420.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)60,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 60,00.00 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के स्वीकृत न होने के कारण होना सूचित की गई।
4215-01.800.1702.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	69,82.00 (-)63,94.12	5,87.88	5,67.14	(-)20.74	₹ 63,94.12 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 43,94.12 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20,00.00 लाख) अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई (₹ 20,00.00 लाख) ₹ 20.74 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 43,94.12 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.1701.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	85,30.00 (-)75,08.72	10,21.28	9,21.28	(-)1,00.00	₹ 75,08.72 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 45,08.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 30,00.00 लाख) अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने से संभावित बचत के कारण हुई (₹ 30,00.00 लाख)। ₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 45,08.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.800.0423.1414- खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	1,04,24.00 (-)89,69.53	14,54.47	14,46.97	(-)7.50	₹ 89,69.53 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 82,19.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,50.00 लाख) अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने से संभावित बचत के कारण हुई (₹ 7,50.00 लाख)। ₹ 7.50 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 82,19.53 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.800.0422.1414- खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	1,26,80.00 (-)36,82.94	89,97.06	89,95.06	(-)2.00	₹ 36,82.94 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 29,32.94 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,50.00 लाख) अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने से संभावित बचत के कारण हुई (₹ 7,50.00 लाख)। ₹ 2.00 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 29,32.94 लाख की अवशेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.800.0420.1414- खनिज क्षेत्र विकास निधि खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	3,03,96.00 (-)56,69.11	2,47,26.89	2,47,21.89	(-)5.00	₹ 56,69.11 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 21,69.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 35,00.00 लाख) मुख्यतः कार्य की प्रगति धीमी होने से संभावित बचत के कारण हुई। ₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना हुई। ₹ 21,69.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

(11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0701.3862- लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	मूल पुनर्वि.	8,01.54 3,57.11	11,58.65	10,17.40	(-)1,41.25	₹ 3,57.11 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,52.11 लाख की वृद्धि एवं ₹ 95.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। ₹ 1,41.25 लाख की अंतिम बचत भारत सरकार से आवंटन के अनुरूप राशि प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0103.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	16,00.00 10,10.00	26,10.00	24,98.09	(-),1,11.91	₹ 10,10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 17,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7,40.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (₹ 7,50.00 लाख)। ₹ 1,11.91 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 10,00.00 लाख की अवशेष वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.102.0103.4379- समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	16,00.00 6,00.00	22,00.00	20,10.62	(-),1,89.38	₹ 1,89.38 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 6,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.102.0102.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 32,70.00	52,70.00	51,61.36	(-),1,08.64	₹ 32,70.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 41,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,80.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 27,50.00 लाख)। ₹ 1,08.64 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 14,00.00 लाख की अवशेष वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.102.0102.4379- समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 26,00.00	46,00.00	39,05.18	(-),6,94.82	₹ 26,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ (₹ 20,00.00 लाख)। ₹ 6,94.82 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। अवशेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4215-01.102.0101.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	64,00.00 76,20.00	1,40,20.00	1,33,24.67	(-),6,95.33	₹ 76,20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,07,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 30,80.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (₹ 65,00.00 लाख)। ₹ 6,95.33 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण होना सूचित की गई। ₹ 42,00.00 लाख की अवशेष वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	83,14,02			
पूरक	0	83,14,02	46,03,83	(-)37,10,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				36,10,88

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00,00			
पूरक	0	7,00,00	92,12	(-)6,07,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				5,17,84

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 37,10.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को ₹ 36,10.88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1201.7628- सर्व सेवा परियोजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)20,00.00	5,00.00	5,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययता उपाय अपनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.1923- मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,46.00	54.00	54.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,46.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)2,40.00	5,60.00	5,60.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण व्ही.जी. एफ. में राशि में बचत हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.7364- जिला ई- गवर्नेंस सोसायटी को अनुदान	मूल पुनर्वि.	8,50.00 (-)3,94.00	4,56.00	4,56.00	0.00	₹ 3,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटित राशि में लोक सेवा केन्द्रों के अलावा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदनों के प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,60.00 (-)1,36.60	1,23.40	1,23.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,36.60 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं मितव्ययता उपाय अपनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0101.5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	23,00.00 (-)5,93.00	17,07.00	17,07.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,93.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 6,07.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 5,17.84 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783-लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	7,00.00 (-)5,17.84	1,82.16	92.12	(-)90.04	समर्पण के रूप में ₹ 5,17.84 लाख की प्रत्याशित बचत क्रियान्वयन एजेंन्सी द्वारा व्यय अधिक नहीं किये जाने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,71,10,64			
पूरक	46,23,81,22	80,94,91,86	49,41,01,88	(-)31,53,89,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				2,22,04

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00			
पूरक	27,77	29,77	27,68	(-)2,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,88,98,11			
पूरक	1,01,00,01	15,89,98,12	7,98,48,30	(-)7,91,49,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00,00			
पूरक	0	15,00,00	0	(-)15,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 31,53,89.98 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 46,23,81.22 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में प्राप्त किया गया (₹ 13,40,00.00 लाख) अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया (₹ 32,33,81.22 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ एवं फरवरी 2019 में प्राप्त किया गया (₹ 50,00.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 31,53,89.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,22.04 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.800.0101.1249- प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	मूल	20,00.00	20,00.00	6,00.00	(-)14,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-01.001.0101.6754- प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना	मूल पुनर्वि.	98.80 (-)98.32	0.48	0.11	(-)0.37	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 98.32 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का "2621" योजना कोड में संविलयन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.7400- सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	मूल पुनर्वि.	1,18,01.64 (-)1,71.61	1,16,30.03	95,01.53	(-)21,28.50	समर्पण के रूप में ₹ 1,71.61 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0703.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	75,00.00	75,00.00	10,74.78	(-)64,25.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0702.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	2,83,90.00	2,83,90.00	2,53,66.58	(-)30,23.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0702.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	60,00.00	60,00.00	11,13.88	(-)48,86.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0701.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल पूरक	10,38,70.00 32,40,26.52	42,78,96.52	28,51,27.91	(-)14,27,68.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0701.1238- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	मूल पूरक पुनर्वि.	6,55,00.00 13,28,39.00 22,75.00	20,06,14.00	6,77,75.00	(-)13,28,39.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,75.00 लाख निधियों का आवर्धन नगर निगम, भोपाल से जारी बॉन्ड की प्रोत्साहन राशि (भारत सरकार से प्राप्त) के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0701.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	1,80,00.00 (-)23,75.00	1,56,25.00	79,94.21	(-)76,30.79	₹ 23,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0103.5373- युवा स्वाभिमान योजना	पूरक	8,00.00	8,00.00	1,80.00	(-)6,20.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0102.5373-युवा स्वाभिमान योजना	पूरक	11,00.00	11,00.00	2,20.00	(-)8,80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0101.0681-रियल स्टेट रेम्यूलेटरी अथॉरिटी	मूल	5,00.00	5,00.00	90.00	(-)4,10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0101.2045-शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	मूल	15,00.00	15,00.00	1,57.97	(-)13,42.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.2288-नगरीय क्षेत्र में तीर्थ यात्री कर को समाप्त कर क्षतिपूर्ति अनुदान	मूल	2,00.00	2,00.00	81.91	(-)1,18.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0101.5373-युवा स्वाभिमान योजना	पूरक	31,00.00	31,00.00	6,00.00	(-)25,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.0101.5726-म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.7406-म.प्र. राज्य केशशिल्पी मण्डल	मूल पुनर्वि.	2.94 39.50	42.44	22.00	(-)20.44	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39.50 लाख निधियों का आवर्धन बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति, बोर्ड के कार्यालय भवन किराये का भुगतान, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के यात्रा हेतु यातायात प्रबंधन, अध्यक्ष को मानदेय भुगतान एवं अध्यक्ष के लंबित यात्रा देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2217-05.800.7408-मध्यप्रदेश राज्य सिलाई कला मण्डल	मूल पुनर्वि.	1.71 23.00	24.71	19.27	(-)5.44	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.00 लाख निधियों का आवर्धन बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति, बोर्ड के कार्यालय भवन किराये का भुगतान एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के यात्रा हेतु यातायात प्रबंधन के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

- (5) ₹ 2.09 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 27.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 2.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 7,91,49.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 1,01,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में (सांकेतिक), जनवरी 2019 में (₹ 1,00,00.00 लाख) एवं फरवरी 2019 में (₹ 1,00.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 7,91,49.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.700.6989-	मूल	3,50.00	3,50.00	39.29	(-)3,10.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत						
4217-01.050.0101.7218-	मूल	1,82,00.00	1,82,00.00	1,14,58.05	(-)67,41.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
मंत्रालय का विस्तार						
4217-01.051.0101.0284-	मूल	8,00.00	8,00.00	1,61.40	(-)6,38.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
अरिहायशी भवन						
4217-01.051.0101.4339-	मूल	20,00.00	20,00.00	8,02.70	(-)11,97.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
सड़कें और पुल						

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-03.190.0701.7705-स्मार्ट सिटी	मूल पुनर्वि.	7,00,00.00 (-1,00,00.00)	6,00,00.00	2,45,00.00	(-)3,55,00.00	₹ 1,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। अंतिम बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-03.190.0101.5372-सुपर मिनी स्मार्ट सिटी	पूरक	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4217-03.190.0101.7400-सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिए	मूल	31,96.00	31,96.00	10,20.00	(-)21,76.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4217-60.800.1203.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्पूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	75,00.00	75,00.00	45,93.74	(-)29,06.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1202.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्पूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	50,00.00	50,00.00	30,62.50	(-)19,37.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1201.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्पूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	70,00.00	70,00.00	42,87.49	(-)27,12.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1201.7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	40,00.00	40,00.00	20,00.00	(-)20,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.800.0103.7711- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	60,00.00	60,00.00	30,00.00	(-)30,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	84,00.00	84,00.00	51,44.99	(-)32,55.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.800.1201.7711- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	50,00.00	(-)50,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(10) सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(11) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.050.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र का विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत—

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,29,93,31			
पूरक		10,29,93,31	8,86,21,20	(-)1,43,72,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित—

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत—

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,14,29,04			
पूरक	3,46,00,10	53,60,29,14	50,08,08,31	(-)3,52,20,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

प्रभारित—

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	7,00,00	8,00,00	88,40	(-)7,11,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,43,72.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-11.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल	17,52.10	17,52.10	6,40.30	(-)11,11.80	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 2,49.00 लाख) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी उद्देश्यशीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2700-11.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	49,58.60 4,22.00	53,80.60	42,86.69	(-)10,93.91	₹ 4,22.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,20.00 लाख की कमी एवं ₹ 5,42.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-17.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	12,38.00 1,00.00	13,38.00	8,31.08	(-)5,06.92	₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु राशि के आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-27.101.1573- सुक्ता परियोजना	मूल पुनर्वि.	7,77.00 (-)61.00	7,16.00	1,12.09	(-)6,03.91	₹ 61.00 लाख की प्रत्याशित बचत उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-31.101.7050- हाइड्रोलाजी परियोजनाएं	मूल पुनर्वि.	17,41.00 (-)6,00.00	11,41.00	4,82.71	(-)6,58.29	₹ 6,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2700-32.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	8,25.11 (-)1,20.00	7,05.11	3,28.95	(-)3,76.16	₹ 1,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2700-32.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	35,69.85 1,06.00	36,75.85	27,27.07	(-)9,48.78	₹ 1,06.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,06.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। जबकि कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2700-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	20,48.00	20,48.00	14,70.63	(-)5,77.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2701-80.001.0275- अबियाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	61,71.32 (-)26,77.00	34,94.32	31,54.00	(-)3,40.32	₹ 26,77.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 32,87.00 लाख की कमी एवं ₹ 6,10.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.800.5837- भवनों का अनुरक्षण	मूल	12,62.00	12,62.00	4,50.63	(-)8,11.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2701-80.800.0102.2250- नहरें तथा तालाब	मूल पुनर्वि.	20,00.90 1,57.00	21,57.90	12,67.13	(-)8,90.77	₹ 1,57.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,73.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 16.00 लाख कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-80.005.0101.9957- कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	मूल पुनर्वि.	19,69.35 2,81.15	22,50.50	22,56.29	+5.79	₹ 2,81.15 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,83.15 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
2701-80.001.0101.0814- कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	मूल पुनर्वि.	14,37.13 4,03.25	18,40.38	17,14.38	(-)1,26.00	₹ 4,03.25 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,03.25 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2701-80.001.0101.3302- मंडल स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	मूल पुनर्वि.	3,18.45 1,20.00	4,38.45	4,12.32	(-)26.13	₹ 1,20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(4) उचंत लेन—देन:—
<p>इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2018—19 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गये ₹ 1,53.02 लाख सम्मिलित है। उचन्त के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।</p> <p>वर्ष 2018—19 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप—शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—</p>

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-)23,09.78	0.00	0.00	(-)23,09.78
(ii) भण्डार	+ 3,75.27	1,53.02	0.00	+5,28.29
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+38,21.65	0.00	10.31	+38,11.34
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 6,64.04	0.00	0.00	+6,64.04
योग	+ 25,51.18	1,53.02	10.31	+26,93.89

पूँजीगत:

दत्तमत—

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 0.08 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 3,46,00.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,46,00.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 3,52,20.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-13.800.0101.5327-बाणसागर यूनिट-2	पूरक	29,00.00	29,00.00	3,51.67	(-)25,48.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-18.800.1401.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)38,05.00	51,95.00	51,86.11	(-)8.89	₹ 38,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 43,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 4,95.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017—18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-23.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)29,99.90	0.10	0.00	(-)0.10	₹ 29,99.90 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं वृद्धि वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
4700-35.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)73,00.00	2,00.00	1,98.95	(-)1.05	₹ 73,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-39.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)53,21.79	21,78.21	18,48.53	(-)3,29.68	₹ 53,21.79 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 63,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 9,78.21 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-68.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)94,00.00	6,00.00	5,95.95	(-)4.05	₹ 94,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4700-80.001.0101.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल	49,00.00	49,00.00	0.00	(-)49,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-84.800.1201.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	4,00,00.00 (-)1,00,00.00	3,00,00.00	3,17,34.95	+17,34.95	₹ 1,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-84.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	1,50,00.00 60,00.00 (-)1,19,00.00	91,00.00	82,14.27	(-)8,85.73	₹ 1,19,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण की धीमी प्रगति एवं अन्य शीर्षान्तर्गत राशि उपलब्ध होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-48.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)43,44.00	6,56.00	6,55.28	(-)0.72	₹ 43,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-76.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)46,00.00	4,00.00	3,99.81	(-)0.19	₹ 46,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 48,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.001.1401.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल	60,00.00	60,00.00	0.00	(-)60,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-80.001.0101.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल	80,00.00	80,00.00	0.00	(-)80,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-80.800.0102.1910- डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)99,88.18	11.82	11.81	(-)0.01	₹ 99,88.18 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4701-80.800.0102.1911- करंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)24,99.99	0.01	0.00	(-)0.01	₹ 24,99.99 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0638- हिरन मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)35,79.46	4,20.54	3,98.89	(-)21.65	₹ 35,79.46 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 36,01.11 लाख की कमी एवं ₹ 21.65 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.0670- टेम मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)49,80.00	20.00	19.74	(-)0.26	₹ 49,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.1903- भाम (राजगढ़) मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)23,61.00	1,39.00	43.56	(-)95.44	₹ 23,61.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
4701-80.800.0101.1905- कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)39,58.75	41.25	40.88	(-)0.37	₹ 39,58.75 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने, कार्य की प्रगति धीमी होने, वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत एवं निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.1906- कडान मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)14,91.65	25,08.35	25,03.51	(-)4.84	₹ 14,91.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 18,91.65 लाख की कमी एवं ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण प्रारंभ न होने एवं कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वन विभाग को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
4701-80.800.0101.1907- सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)35,37.80	4,62.20	4,62.19	(-)0.01	₹ 35,37.80 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	94,90.08 (-80,98.88)	13,91.20	13,66.33	(-)24.87	₹ 80,98.88 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 83,30.00 लाख की कमी एवं ₹ 2,31.12 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने, कार्य की धीमी प्रगति एवं वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य एवं वेतन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.6599- रूझ परियोजना	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)27,83.03	2,16.97	2,16.96	(-)0.01	₹ 27,83.03 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4701-83.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)39,89.00	11.00	9.62	(-)1.38	₹ 39,89.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं वृहद निर्माण कार्य के शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
4701-97.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)79,60.57	39.43	39.42	(-)0.01	₹ 79,60.57 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने एवं निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-98.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)45,33.58	4,66.42	4,65.61	(-)0.81	₹ 45,33.58 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.1202.6258- डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	मूल	2,00.00	2,00.00	5,03.69	+3,03.69	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.1201.6258-डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	3,00.00 10,00.00	13,00.00	9,04.78	(-)3,95.22	₹ 10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन ड्रिप कार्यों के भुगतान हेतु, राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-12.001.0101.2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	17,04.10 (-)1,07.19	15,96.91	19,32.69	+3,35.78	₹ 1,07.19 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन उद्देश्य शीर्ष के अंतर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-12.001.0101.3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक	मूल पुनर्वि.	1,90.62 60.24	2,50.86	2,46.12	(-)4.74	₹ 60.24 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 79.40 लाख की वृद्धि एवं ₹ 19.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी उद्देश्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
4700-13.001.0101.2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	18,63.51 12.90	18,76.41	25,18.79	+6,42.38	₹ 12.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 47.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन, भत्ते एवं यात्रा भत्ता मद के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-13.001.0101.3300-मण्डल स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,41.73 78.55	2,20.28	2,99.25	+78.97	₹ 78.55 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,08.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 29.45 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी मुख्यतः उद्देश्यशीर्ष वेतन के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-13.800.0101.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,94,95.85 45,60.64	2,40,56.49	2,25,31.98	(-)15,24.51	₹ 45,60.64 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 47,45.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,84.36 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन एवं मजदूरी शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-19.800.0101.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,10,00.00 13,80.00	1,23,80.00	1,22,95.94	(-)84.06	₹ 13,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4700-21.800.0101.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	7,50.00 1,85.00	9,35.00	9,34.99	(-)0.01	₹ 1,85.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4700-22.001.0101.4641-स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,80.26 66.93	4,47.19	4,96.29	+49.10	₹ 66.93 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन, भत्ते शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-24.001.0101.4641-स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,79.44 95.45	3,74.89	4,29.65	+54.76	₹ 95.45 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,20.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 24.55 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-24.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	4,92.80 2,91.25	7,84.05	6,79.83	(-)1,04.22	₹ 2,91.25 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 6,52.11 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,60.86 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन शीर्षान्तर्गत संभावित बचत एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-26.001.0101.4641- स्थापना	मूल पुनर्वि.	12,50.00 2,91.20	15,41.20	16,63.61	+1,22.41	₹ 2,91.20 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,82.55 लाख की वृद्धि एवं ₹ 91.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-26.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	30,36.00 1,04.33	31,40.33	34,26.08	+2,85.75	₹ 1,04.33 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 7,48.01 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,43.68 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी वेतन एवं मजदूरी शीर्षान्तर्गत एवं कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-27.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 1,18,33.10	1,93,33.10	1,92,64.73	(-)68.37	₹ 1,18,33.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,50,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 31,66.90 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-50.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	75,00.00	1,35,00.00	1,35,00.00	0.00	₹ 18,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 56,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 38,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण हुई।
	पूरक	42,00.00				
	पुनर्वि.	18,00.00				
4700-56.800.0102.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,56,28.00	1,56,28.00	1,50,72.04	(-)5,55.96	₹ 1,56,28.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-56.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	75,00.00	3,43,50.00	3,25,12.43	(-)18,37.57	₹ 2,08,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,58,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 50,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	60,00.00				
	पुनर्वि.	2,08,50.00				
4700-60.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,18,55.00	1,18,55.00	1,18,55.00	0.00	₹ 1,18,55.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,20,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,45.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-63.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,02,33.10 1,03,26.01	2,05,59.11	2,04,40.61	(-)1,18.50	₹ 1,03,26.01 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,06,42.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,15.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य एवं भू-अर्जन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वेतन शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-69.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 1,02,44.47	2,02,44.47	2,02,44.44	(-)0.03	₹ 1,02,44.47 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,15,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 12,55.53 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4700-86.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	50,00.00 25,00.00 60,00.00	1,35,00.00	1,34,30.41	(-)69.59	₹ 60,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 65,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4700-87.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 2,56.09	2,56.09	2,41.76	(-)14.33	₹ 2,56.09 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,90.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 33.91 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान एवं निर्माण कार्य के प्रारंभ करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4700-88.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,50.80	1,50.80	1,50.58	(-)0.22	₹ 1,50.80 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-25.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	51,78.30 26,55.00	78,33.30	66,95.33	(-)11,37.97	₹ 26,55.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 36,02.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,47.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन, वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-40.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 2,50.00	3,50.00	3,49.49	(-)0.51	₹ 2,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-43.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	5,00.00 59.98	5,59.98	5,57.09	(-)2.89	₹ 59.98 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-62.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 2,03.13	3,03.13	3,03.12	(-)0.01	₹ 2,03.13 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,46.87 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं वृहद निर्माण कार्य शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई।
4701-80.005.0101.3363- मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	50.00 78.00	1,28.00	1,04.05	(-)23.95	₹ 78.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सर्वेक्षण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0102.1913- हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 39,03.00	64,03.00	64,02.93	(-)0.07	₹ 39,03.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 49,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,97.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0641- साजली मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 1,04,44.12	1,44,44.12	1,42,98.71	(-)1,45.41	₹ 1,04,44.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,19,44.12 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य एवं भू-अर्जन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-80.800.0101.2347- इन्दोख बैराज मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 8,85.00	10,85.00	10,84.86	(-)0.14	₹ 8,85.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 14,85.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4701-80.800.0101.2364- भावसा मध्यम परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 20,10.00	20,10.00	20,04.90	(-)5.10	₹ 20,10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्य प्रारंभ करने, वन भूमि एवं वन भूमि के व्यपवर्तन प्रकरणों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-80.800.0101.5583- सेमरी तालाब	मूल पुनर्वि.	1,00.00 3,10.00	4,10.00	4,09.91	(-)0.09	₹ 3,10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 40.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.5588- बघरू मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	1.00 1,83.33	1,84.33	1,84.23	(-)0.10	₹ 1,83.33 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,11.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 27.67 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार भू-अर्जन के भुगतान एवं निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4701-80.800.0101.5592- सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 2,93.00	12,93.00	12,42.29	(-)50.71	₹ 2,93.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,48.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,55.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4701-91.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 17,40.00	37,40.00	35,38.57	(-)2,01.43	₹ 17,40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 32,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 14,60.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-94.800.0101.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 12,50.00	12,60.00	10,30.45	(-)2,29.55	₹ 12,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-99.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 65,41.57	1,15,41.57	1,11,80.28	(-)3,61.29	₹ 65,41.57 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(9) उचंत लेन-देन:-
इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।
वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-)22,89.29	0.00	0.00	(-)22,89.29
(ii) भण्डार	+ 40,22.86	0.00	0.00	+ 40,22.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,87.16	0.00	0.00	+ 11,87.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)2,11.06	0.00	0.00	(-)2,11.06
योग	+ 27,09.67	0.00	0.00	+ 27,09.67
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

प्रभारित

- (10) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 7,00.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (11) ₹ 7,11.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (12) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल पूरक	1,00.00 7,00.00	8,00.00	88.40	(-) 7,11.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

(मुख्य शीर्ष- 3053-नागर विमानन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,05,96,81			
पूरक	32,07,00	15,38,03,81	9,98,13,29	(-)5,39,90,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,25,96,09

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60,28,50,03			
पूरक	15,97,00,08	76,25,50,11	68,91,80,72	(-)7,33,69,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,13,69,69

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,00,00			
पूरक	0	2,00,00,00	3,35	(-)1,99,96,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,99,96,65

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2019 (₹ 32,07.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,07.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,39,90.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,25,96.09 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-01.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	17,32.71 (-)4,50.77	12,81.94	3,95.51	(-)8,86.43	₹ 4,50.77 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 4,63.17 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,50.77 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 12.40 लाख) एवं ₹ 12.40 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3054-03.337.0103.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)8,50.00	8,50.00	8,50.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-03.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	10,46.22 (-)5,38.22	5,08.00	5,08.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,38.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-03.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पूरक पुनर्वि.	20,00.00 25,00.00 (-)9,00.00	36,00.00	11,04.30	(-)24,95.70	समर्पण के रूप में ₹ 9,00.00 लाख की बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0103.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	24,00.00 (-)24,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3054-04.337.0103.4557- सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	32,00.00 (-)5,76.01	26,23.99	9,76.10	(-)16,47.89	समर्पण के रूप में ₹ 5,76.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.337.0102.4557- सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)10,99.46	29,00.54	0.00	(-)29,00.54	समर्पण के रूप में ₹ 10,99.46 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0101.4557- सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,28,00.00 (-)33,65.52	94,34.48	13,33.92	(-)81,00.56	समर्पण के रूप में ₹ 33,65.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	3,20,00.00 (-)53,76.91	2,66,23.09	1,64,61.74	(-)1,01,61.35	समर्पण के रूप में ₹ 53,76.91 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3053-60.102.4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	30.00 (-)30.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-80.001.2418- निष्पादन	मूल	50,47.20	50,47.20	57,22.48	+6,75.28	इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 14.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3054-80.001.3300- मण्डल स्थापना	मूल	19,49.31	19,49.31	24,85.48	+5,36.17	प्रावधान में आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3054-80.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पूरक	34,25.80 7,07.00	41,32.80	48,84.43	+7,51.63	प्रावधान में आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3054-80.001.3914- वास्तुकला स्थापना	मूल	1,44.48	1,44.48	2,38.04	+93.56	प्रावधान में आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 7,33,69.39 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में (₹ 0.08 लाख), जनवरी 2019 में (₹ 15,97,00.00 लाख) एवं फरवरी 2019 में (सांकेतिक) प्राप्त किया गया ₹ 15,97,00.08 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 7,33,69.39 लाख की उपलब्ध बचत राशि के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,13,69.69 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.1403.5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल पुनर्वि.	42,00.00 (-)37,12.23	4,87.77	4,87.76	(-)0.01	₹ 37,12.23 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 20,00.00 लाख + समर्पण ₹ 17,12.23 लाख) के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.1203.2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पुनर्वि.	48,00.00 (-)36,84.83	11,15.17	6,15.16	(-)5,00.01	समर्पण के रूप में ₹ 36,84.83 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.1202.2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)3,87.42	56,12.58	4,12.58	(-)52,00.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,87.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.1201.2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पुनर्वि.	1,92,00.00 (-)1,33,96.61	58,03.39	33,03.39	(-)25,00.00	₹ 1,33,96.61 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 1,27,00.00 लाख + समर्पण ₹ 6,96.61 लाख) अंशतः इस शीर्ष के अंतर्गत कार्य स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण हुई (₹ 1,27,00.00 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.0103.6651-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.0101.6651-रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	मूल पुनर्वि.	54,00.00 (-)40,83.52	13,16.48	13,16.48	0.00	₹ 40,83.52 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 40,00.00 लाख + समर्पण ₹ 83.52 लाख) अंशतः शीर्ष के अंतर्गत कार्य स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण हुई (₹ 40,00.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.337.0803.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00 (-)55,44.23	64,55.77	59,04.12	(-)5,51.65	समर्पण के रूप में ₹ 55,44.23 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.337.0802.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)1,26,84.62	23,15.38	23,15.37	(-)0.01	समर्पण के रूप में ₹ 1,26,84.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.0801.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक	4,80,00.00 4,00,00.00	8,80,00.00	6,82,69.05	(-)1,97,30.95	शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	पूरक पुनर्वि.	50,00.00 (-)50,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-04.800.0423.2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)46,56.94	3,43.06	2,31.11	(-)1,11.95	समर्पण के रूप में ₹ 46,56.94 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-05.337.1203.7368-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	मूल पुनर्वि.	48,00.00 (-)16,60.59	31,39.41	3,39.41	(-)28,00.00	समर्पण के रूप में ₹ 16,60.59 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-80.800.0103.5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस शीर्ष में कार्य की स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण हुई।
5054-80.800.0102.5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)3,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस शीर्ष में कार्य की स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण हुई।
5054-80.800.0101.5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस शीर्ष में कार्य की स्वीकृति आवश्यक न होने के कारण हुई।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.1401.5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	31,00.00	31,00.00	46,35.42	+15,35.42	शीर्ष में आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.0102.4149-वृहद पुलों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	40,00.00 सांकेतिक 10,51.78	50,51.78	50,51.78	0.00	₹ 10,51.78 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,48.22 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्य की प्रगति के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.101.0101.4149-वृहद पुलों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	1,28,00.00 0.01 40,00.00	1,68,00.01	2,22,06.21	+54,06.20	₹ 40,00.00 लाख निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.337.1202.5003-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित)	मूल पूरक पुनर्वि.	2,00,00.00 60,00.00 3,00.00	2,63,00.00	3,33,15.00	+70,15.00	₹ 3,00.00 लाख निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-03.337.1201.0837-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (एन.डी.बी.)	मूल पूरक पुनर्वि.	5,00,00.00 3,00,00.00 1,39,00.00	9,39,00.00	9,39,00.00	0.00	₹ 1,39,00.00 लाख निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-04.800.0103.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल	1,50,00.00	1,64,06.46	1,81,43.98	+17,37.52	₹ 14,06.45 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7,93.55 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	0.01				
	पुनर्वि.	14,06.45				
5054-04.800.0101.7088- सर्वेक्षण कार्य	मूल	3,00.00	7,27.05	9,06.82	+1,79.77	₹ 4,27.05 लाख निधियों का आवर्धन ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 72.95 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कार्य की प्रगति के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	4,27.05				

(9) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिंट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800 'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रभारित

(10) ₹ 1,99,96.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को लगभग सम्पूर्ण बचत राशि अभ्यर्पित की गई।

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-80.800.0103.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	32,00.00 (-)32,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-80.800.0102.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)40,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5054-80.800.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	1,28,00.00 (-)1,27,96.65	3.35	3.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,27,96.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	42,20,55			
पूरक	1,58,75	43,79,30	39,69,61	(-)4,09,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00,05,00			
पूरक	0	7,00,05,00	6,43,71,85	(-)56,33,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,50,00			
पूरक	0	8,50,00	60,01	(-)7,89,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1,58.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,09.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	28,87.91 (-3.50)	28,84.41	26,94.42	(-1,89.99)	₹ 3.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 15.62 लाख की कमी एवं ₹ 12.12 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि जिलों में वेतन एवं एरियर्स के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत रिक्त पदों की भर्ती में विलम्ब एवं कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई।
2853-02.102.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण	मूल पूरक	12,50.67 1,58.75	14,09.42	11,96.90	(-2,12.52)	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (₹ 6.20 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। इसी उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि जिलों के वेतन एवं एरियर्स के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत रिक्त पदों की भर्ती में विलम्ब एवं कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 56,33.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.797.0420.6606- खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अन्तरण	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	6,43,71.85	(-)56,28.15	₹ 56,28.15 लाख की बचत कुल विनियोग के विरुद्ध पिछले वित्त वर्ष में निधि में अंतरण हेतु राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।

पूंजीगत:

दत्तमत

(6) ₹ 7,89.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.004.0420.2713- प्रयोगशाला	मूल	1,00.00	1,00.00	50.76	(-)49.24	बचत कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4853-01.800.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण	मूल	7,50.00	7,50.00	9.24	(-)7,40.76	बचत कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,90,81,51			
पूरक	सांकेतिक	1,90,81,51	1,58,58,60	(-)32,22,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				31,29,14

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	52,25,04			
पूरक	25,00,00	77,25,04	71,47,99	(-)5,77,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,65,56

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 32,22.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 31,29.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.7982-संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	8,44.77 (-)1,15.29	7,29.48	7,28.79	(-)0.69	₹ 1,15.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त होने, मितव्ययता उपाय अपनाये जाने एवं नियम न बनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.6377-भारत भवन	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-)1,20.00	10,80.00	10,80.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा रोकी गई राशि विमुक्त न करने के कारण हुई।
2205-102.6379-संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	5,57.37 सांकेतिक (-)2,16.88	3,40.49	3,40.42	(-)0.07	₹ 2,16.88 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,26.73 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,66.23 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 60.50 लाख) एवं ₹ 9.85 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः अनुरक्षण कार्य के शेष न होने, प्रशिक्षण आयोजित न होने, वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त न करने एवं मितव्ययता उपाय अपनाये जाने के कारण हुई (₹ 1,66.23 लाख)। वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध ग्रेड-पे एवं अन्य मदों में प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। ₹ 60.50 लाख की अवशेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2205-102.0101.6042-रवीन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	3,35.76 (-)86.48	2,49.28	2,49.11	(-)0.17	₹ 86.48 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 87.25 लाख की कमी (समर्पण ₹ 86.48 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.77 लाख) एवं ₹ 0.77 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः अनुरक्षण/लघु निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त बचत के कारण हुई। वृद्धि एरियर्स एवं अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.0101.7073-म.प्र. संस्कृति परिषद	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)3,50.00	31,50.00	31,50.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-103.0101.0598-उत्खनन तथा सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	1,35.82 (-)1,04.56	31.26	31.25	(-)0.01	₹ 1,04.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त होने, यात्रा भत्ता तथा विद्युत देयकों के प्राप्त न होने एवं उत्खनन प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति म.प्र. शासन से प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 1,00.96 लाख)। ₹ 3.60 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2205-103.0101.0758-कंजर्वेशन एवं संवर्धन	मूल पुनर्वि.	11,60.83 (-)4,53.06	7,07.77	7,07.28	(-)0.49	समर्पण के रूप में ₹ 4,53.06 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता देयकों के प्राप्त न होने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आहरण न होने, वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत मितव्ययता कटौती किये जाने, कार्य हेतु निविदा कम दरों पर प्राप्त होने, विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने तथा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।
2205-105.0101.4513-सार्वजनिक पुस्तकालय	मूल पुनर्वि.	1,40.00 (-)1,02.80	37.20	37.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,02.80 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययता उपाय अपनाये जाने, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होने एवं वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती किये जाने के कारण हुई।
2205-107.0102.6464-स्मारकों/संग्रहालयों की स्थापना, अनुरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)1,50.00	13,50.00	13,50.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा रोकी गई राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।
2205-107.0101.4283-संग्रहालय	मूल पुनर्वि.	11,36.52 (-)2,21.85	9,14.67	9,12.93	(-)1.74	₹ 2,21.85 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,53.71 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,33.66 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20.05 लाख) एवं ₹ 31.86 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, अधीनस्थ कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण कोषालय द्वारा देयक प्राप्त न करने, मंहगाई भत्ते की दर में स्वीकृत बजट अनुसार वृद्धि न होने, अधीनस्थ कार्यालयों से यात्रा भत्ता देयक/देयक प्राप्त न होने, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राज्यांश की राशि व्यय न होने एवं वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती किये जाने के कारण हुई। वृद्धि कर्मचारियों को समयमान वेतन, लंबित वेतन देयकों, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3454-02.110.0101.6041- जिला विचरणिका पुनरीक्षण	मूल पुनर्वि.	1,37.05 (-)98.09	38.96	38.96	0.00	₹ 98.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,08.05 लाख की कमी (समर्पण ₹ 62.64 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 45.41 लाख) एवं ₹ 9.96 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने, मितव्ययता उपाय अपनाये जाने एवं भुगतान हेतु देयक प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 62.64 लाख), जबकि वृद्धि वेतन, मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 45.41 लाख की अवशेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 5,77.05 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 5,77.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 5,65.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	10,00.00 25,00.00 (-)5,25.00	29,75.00	29,75.00	0.00	₹ 5,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-04.800.0101.7073- म.प्र. संस्कृति परिषद	मूल पुनर्वि.	5,00.01 (-)1,00.01	4,00.00	4,00.00	0.00	₹ 1,00.01 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-04.800.0101.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.9061- शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,34.16	65.84	54.35	(-)11.49	समर्पण के रूप में ₹ 1,34.16 लाख की प्रत्याशित बचत/अंतिम बचत (₹ 11.49 लाख) भारत माता की प्रतिमा का कार्य शौर्य स्मारक वास्तुविद संस्था के सुझाव पर उच्च स्तरीय निर्णय लंबित होने तथा विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

- (6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.7721- टैगोर कला केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,00.00 4,78.64	12,78.64	12,78.64	0.00	₹ 4,78.64 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 21.36 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य से संबंधित देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त बचत (अव्ययित राशि) के कारण हुई।

**अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,73,91,63			
पूरक	19,84,46,75	1,10,58,38,38	82,86,97,70	(-)27,71,40,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (04 फरवरी एवं 31 मार्च 2019)				27,67,85,62

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,72,74,08			
पूरक	30,00,00	4,02,74,08	1,39,61,81	(-)2,63,12,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,63,12,27

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 19,84,46.75 लाख) एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 19,84,46.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 27,71,40.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 04 फरवरी एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 27,67,85.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.1500- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	80,84.04 (-)12,73.94	68,10.10	68,17.23	+7.13	₹ 12,73.94 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 12,82.86 लाख की कमी (समर्पण ₹ 12,77.21 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.65 लाख) एवं ₹ 8.92 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.3491- माध्यमिक शालायें	पूरक पुनर्वि.	6,21,00.00 (-)6,20,68.69	31.31	0.06	(-)31.25	समर्पण के रूप में ₹ 6,20,68.69 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.101.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	पूरक पुनर्वि.	13,55,00.00 (-)13,54,85.90	14.10	0.00	(-)14.10	₹ 13,54,85.90 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.101.0702.8810- सर्व शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	8,66,23.00 (-)1,60,73.23	7,05,49.77	7,05,49.77	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,60,73.23 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0103.6484- आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को द्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)32,25.00	42,75.00	42,75.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 32,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-01.101.0102.6484- आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को द्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	62,00.00 (-)26,66.00	35,34.00	35,34.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 26,66.00 लाख की प्रत्याशित बचत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0101.0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल पुनर्वि.	18,93.00 (-)18,93.00	0.00	0.00	0.00	₹ 18,93.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः क्रय आदेश जारी न होने एवं सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0101.3491- माध्यमिक शालायें	मूल पुनर्वि.	19,13,21.14 (-)2,11,26.56	17,01,94.58	17,00,61.02	(-)1,33.56	₹ 2,11,26.56 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,17,35.94 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,11,26.06 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,09.88 लाख) एवं ₹ 6,09.38 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.101.0101.6484- आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,73,00.00 (-)74,39.00	98,61.00	98,61.00	0.00	₹ 74,39.00 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.102.0103.9949- अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)28,78.42	36,21.58	36,22.06	+0.48	इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 28,78.42 लाख, ₹ 29,12.54 लाख, ₹ 80,33.70 लाख एवं ₹ 21,30.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.102.0102.9949- अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)29,12.54	50,87.46	51,15.11	+27.65	
2202-01.102.0101.9949- अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,55,00.00 (-)80,33.70	2,74,66.30	2,74,38.66	(-)27.64	
2202-03.103.0101.2068- इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	मूल पुनर्वि.	21,30.00 (-)21,30.00	0.00	0.00	0.00	

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0703.8810- सर्व शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	4,32,00.00 1,57,93.72	5,89,93.72	5,89,93.72	0.00	₹ 1,57,93.72 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,58,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.101.0701.1502- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	मूल पुनर्वि.	55,24.33 13,57.49	68,81.82	68,72.21	(-)9.61	₹ 13,57.49 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 26,98.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 13,40.51 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सातवें वेतनमान लागू होने एवं समयमान वेतन एरियर्स का कर्मचारियों को भुगतान किये जाने के कारण हुई, जबकि कमी मुख्यतः पद रिक्त होने, प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं समयमान वेतन के एरियर्स का भुगतान कर्मचारियों को न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-01.102.0801.6344- मदरसों में गुणवत्ता परख शिक्षा एवं अद्योसंरचनात्मक विकास	मूल पूरक पुनर्वि.	1.00 8,46.75 13,82.40	22,30.15	22,30.15	0.00	₹ 13,82.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 14,19.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 36.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-03.103.4402- सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	14,49.83 3,57.46	18,07.29	18,03.16	(-)4.13	₹ 3,57.46 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,32.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,74.54 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सातवाँ वेतनमान लागू होने एवं कर्मचारियों को समयमान वेतन एरियर्स के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी मुख्यतः पद रिक्त होने, प्रस्तावों/मांगों के प्राप्त न होने एवं कर्मचारियों को समयमान वेतन एरियर्स के भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) समाप्त

पूँजीगत:

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 (₹ 30,00.00 लाख) एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0703.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	93,00.00 (-)40,58.05	52,41.95	52,41.95	0.00	₹ 40,58.05 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 0.05 लाख)। ₹ 40,58.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0702.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)15,75.17	74,24.83	74,24.83	0.00	₹ 15,75.17 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 0.17 लाख)। ₹ 15,75.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0701.8810- सर्व शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.201.0101.2068- इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	पूरक पुनर्वि.	21,30.00 (-)21,30.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 21,30.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.5481- शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)12,39.30	2,60.70	2,60.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 12,39.30 लाख की प्रत्याशित बचत चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.8799- छात्रावास भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	91,29,37			
पूरक	2,14,50	93,43,87	83,49,38	(-)9,94,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 एवं 31 मार्च 2019)				8,94,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	85,30			
पूरक	0	85,30	48,18	(-)37,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				37,12

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,14.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 9,94.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 29 एवं 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 8,94.74 लाख केवल अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007- विधायक/मंत्री	मूल पूरक पुनर्वि.	43,50.00 4.50 (-)5,34.28	38,20.22	37,61.31	(-)58.91	₹ 5,34.28 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 6,06.78 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,03.28 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 2,03.50 लाख) एवं ₹ 72.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः शासन के मितव्ययिता के निर्देशों, सहायक अनुदान के अन्तर्गत कुछ सदस्यों द्वारा ही ब्याज सब्सिडी सुविधा का लाभ लिये जाने के कारण (₹ 4,03.28 लाख) और वृद्धि अंशतः विधायकों के वेतन व भत्तों के भुगतान हेतु हुई (₹ 70.00 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.103.4312- संसदीय कार्य विभाग	मूल पुनर्वि.	2,40.61 (-)41.26	1,99.35	1,99.35	0.00	₹ 41.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 47.06 लाख की कमी (समर्पण ₹ 41.26 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 5.80 लाख) एवं ₹ 5.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शासन द्वारा मितव्ययिता के निर्देश/प्रतिबंध लगाये जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने और पद रिक्त रहने के कारण व वृद्धि ई-प्रश्नोत्तर व्यवस्था के संचालन होने एवं आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन भुगतान के कारण हुई।
2011-02.103.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	6,00.00 2,00.00 (-)1,87.05	6,12.95	5,92.95	(-)20.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,87.05 लाख की प्रत्याशित बचत शासन के मितव्ययिता के निर्देशों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

प्रभारित

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	मूल पुनर्वि.	85.10 (-)36.92	48.18	48.18	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 36.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,33,67,95			
पूरक	1,72,97,58	15,06,65,53	12,24,75,04	(-)2,81,90,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,74,35,44

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,69,32,98			
पूरक	2,14,00	1,71,46,98	1,33,86,38	(-)37,60,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				36,34,91

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-)10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,00

अनुदान संख्या 29- विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 1,72,97.58 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 (₹ 65,73.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,07,24.58 लाख) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,81,90.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,74,35.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.3337- मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	65,99.05 11.00 (-54,90.26)	11,19.79	11,18.45	(-1.34)	₹ 54,90.26 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 55,12.26 लाख (समर्पण ₹ 2,50.26 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 52,62.00 लाख) की कमी एवं ₹ 22.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7 वां वेतनमान) की सिफारिश के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारी (2013) को जारी किये गये बजट के वास्तविक व अनुपातिक व्यय के कारण संभावित बचत होने के कारण हुई। जबकि कमी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दूसरे अनुपूरक बजट में मंहगाई भत्ते चिकित्सा प्रतिपूर्ति वर्दी व्यय और अन्य आकस्मिक खर्च के तहत अतिरिक्त निधि का आवंटन नहीं करने के कारण हुई।
2014-102.0101.9063- उच्च न्यायालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-1,09.26)	90.74	71.12	(-19.62)	₹ 1,09.26 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2014-105.2410- निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	63,64.65 2,00.00 (-21,08.14)	44,56.51	44,85.74	+29.23	₹ 21,08.14 लाख (समर्पण ₹ 3,87.14 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 17,21.00 लाख) की प्रत्याशित बचत का कारण का बी.सी.ओ को आवंटित बजट में से योजना के तहत वास्तविक व्यय को देखते हुए अपेक्षित बचत चालू वित्त वर्ष में सभी अधीनस्थ जिला अदालतों में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.5315- विशेष न्यायालय एम.पी. एवं एम.एल.ए.	पूरक पुनर्वि.	60.58 (-)42.93	17.65	0.01	(-)17.64	₹ 42.93 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2014-105.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)15,98.09	4,01.91	4,15.37	+13.46	₹ 15,98.09 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2014-105.0101.1487- स्केनिंग तथा अंकीकरण	मूल पुनर्वि.	10,25.00 (-)5,03.98	5,21.02	5,03.42	(-)17.60	₹ 5,03.98 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2014-114.6251- उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अभिभावकों की फीस एवं अन्य भुगतान	मूल पुनर्वि.	1,55.00 (-)72.49	82.51	82.50	(-)0.01	₹ 72.49 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित, 10 प्रतिशत कटौती एवं पद खाली रह जाने के कारण हुई।
2014-114.9069- महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	72.66 (-)69.71	2.95	2.95	0.00	₹ 69.71 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित, 10 प्रतिशत कटौती एवं पद खाली रह जाने के कारण हुई।
2015-102.2409- निर्वाचन अधिकारी	मूल पूरक पुनर्वि.	49,75.72 1,52.00 (-)20,74.50	30,53.22	31,05.55	+52.33	₹ 20,74.50 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 21,60.70 लाख (समर्पण ₹ 13,74.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,86.20 लाख) की प्रावधान में कमी एवं ₹ 86.20 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2015-105.4311- संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	मूल पुनर्वि.	37,50.14 (-)34,08.20	3,41.94	5,41.93	+1,99.99	₹ 34,08.20 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 35,08.20 लाख (समर्पण ₹ 23,08.20 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 12,00.00 लाख) की प्रावधान में कमी एवं ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-108.9503-मतदाताओं को फोटो परियच पत्र जारी करना	मूल पुनर्वि.	10,05.00 (-)3,60.92	6,44.08	6,53.54	+9.46	₹ 3,60.92 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-090.0101.9066-विधि विभाग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,60.00 (-)1,84.04	75.96	75.95	(-)0.01	₹ 1,84.04 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान मे ₹ 1,98.04 लाख की कमी समर्पण के रूप में एवं ₹ 14.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कमी वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत कटौती, पद खाली रहने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2052-800.1950-राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	पूरक पुनर्वि.	2,62.92 (-)2,01.94	60.98	58.16	(-)2.82	₹ 2,01.94 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,06.94 लाख (समर्पण ₹ 2,01.94 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.00 लाख) की प्रावधान में कमी एवं ₹ 5.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कमी वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत कटौती, पद खाली रहने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध के कारण हुई। वृद्धि के विशिष्ट एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2225-01.800.5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	पूरक	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नही किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2235-60.200.0101.1489-ए.डी.आर. सेन्टर्स के निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,50.00 (-)4,72.50	8,77.50	8,77.50	0.00	₹ 4,72.50 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण कमी का कमी वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत कटौती, पद खाली रहने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.5104-स्थायी लोक अदालत	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)50.50	49.50	49.50	0.00	₹ 50.50 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण कमी का कमी वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत कटौती, पद खाली रहने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, ₹ 2,14.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 37,60.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 36,34.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,58,52.95 2,14.00 (-)33,86.05	1,26,80.90	1,24,90.22	(-)1,90.68	₹ 33,86.05 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 46,24.64 लाख की कमी एवं ₹ 12,38.59 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वास्तविक व्यय देखते हुए संभावित बचत, अगस्त 2018 के पश्चात् 7वें वेतन आयोग लागू होना था। वृद्धि का कारण शीर्ष के अंतर्गत कम प्रावधान किया जाना, मुख्य शाखा जबलपुर और शाखा इंदौर/ग्वालियर की न्यायिक स्थापना के उद्देश्य से अतिरिक्त धनराशि, न्यायिक अधिकारियों को 01.01.2016 से मूल वेतन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत का भुगतान और इस योजना में पहले अनुपूरक 2018-19 में प्रावधानों के अनुसार धनराशि जारी नहीं करना और इस योजना में बी.सी.ओ. (2103) के पक्ष में जारी राशि के पुनर्वितरण होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	मूल पुनर्वि.	7,85.00 (-)2,02.16	5,82.84	5,35.34	(-)47.50	₹ 2,02.16 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	2,75.00 (-)/46.67	2,28.33	3,04.44	+76.11	₹ 46.67 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल	20.00	20.00	56.38	+36.38	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

पूंजीगत:

दत्तमत

(7) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-202.9246- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)/10.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत का कारण न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण एवं अग्रिम देने के लिए नियमों का निर्धारण नहीं किया जाना था। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054-सड़क तथा सेतु, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,53,76,41			
पूरक	सांकेतिक	11,53,76,41	9,56,42,41	(-)1,97,34,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,95,62,03

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,06			
पूरक	0	3,06	0	(-)3,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,06

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	28,84,00,01			
पूरक	1,50,00,00	30,34,00,01	19,37,14,66	(-)10,96,85,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,95,53,48

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,97,34.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 1,95,62.03 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.101.0101.8774- राज्य स्तर का अमला	मूल पुनर्वि.	6,58.99 (-)1,41.67	5,17.32	5,12.33	(-)4.99	₹ 1,41.67 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,42.66 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,20.66 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 22.00 लाख) एवं ₹ 1.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि छठवें वेतनमान से संबंधित वेतन देयकों का भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-001.0101.3926- विकास आयुक्त	मूल पुनर्वि.	6,39.09 (-)1,86.78	4,52.31	4,46.35	(-)5.96	₹ 1,86.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,21.88 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,86.88 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 35.00 लाख) एवं ₹ 35.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2515-102.0101.1032- कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतिकरण आदि	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)1,11.02	1,88.98	1,59.20	(-)29.78	₹ 1,11.02 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0103.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल पुनर्वि.	18,04.91 (-)6,58.37	11,46.54	11,39.27	(-)7.27	₹ 6,58.37 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0103.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00 (-)24,00.00	96,00.00	96,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 24,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0102.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,24,50.00 (-)44,90.00	1,79,60.00	1,79,60.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 44,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।
2515-800.0101.6550- निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	मूल पुनर्वि.	95.00 (-)82.10	12.90	8.64	(-)4.26	₹ 82.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2515-800.0101.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,78,00.00 (-)83,40.00	1,94,60.00	1,94,60.00	0.00	₹ 83,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा आहरण प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-001.0101.9467- जल ग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	34.65 56.70	91.35	91.35	0.00	₹ 56.70 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन माँग अधिक होने के कारण हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,50,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 10,96,85.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 7,95,53.48 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4515-800.0703.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	पूरक	25,00.00	25,00.00	0.00	(-) 25,00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4515-800.0702.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	पूरक	25,00.00	25,00.00	0.00	(-) 25,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4515-800.0701.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	15,53,00.00 (-) 3,91,06.44	11,61,93.56	11,42,43.56	(-) 19,50.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,91,06.44 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0701.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	पूरक	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	1,79,00.00 (-) 34,57.23	1,44,42.77	24,38.16	(-) 1,20,04.61	₹ 34,57.23 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 24,57.23 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10,00.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,24,20,06			
पूरक	2,08,93	1,26,28,99	88,44,69	(-)37,84,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				31,55,65

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,56,70,00			
पूरक	5,16,52	1,61,86,52	1,40,49,93	(-)21,36,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,79,71

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 2,08.93 लाख) एवं जनवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 2,08.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ₹ 37,84.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 31,55.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.3686-राज्य योजना मण्डल	मूल पुनर्वि.	4,50.45 (-) 1,08.08	3,42.37	3,39.76 (-)2.61	₹ 1,08.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,11.58 लाख (समर्पण ₹ 1,08.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.50 लाख) की कमी तथा ₹ 3.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.0101.1935- नर्मदा सेवा मिशन सेल	पूरक पुनर्वि.	1,50.00 (-),1,50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.0101.5612- विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-),80.05	69.95	63.80	(-),6.15	₹ 80.05 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.8048- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल पूरक पुनर्वि.	53,66.81 2,08.94 (-),7,54.25	48,21.50	48,03.83	(-),17.67	₹ 7,54.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 8,37.45 लाख (समर्पण ₹ 7,54.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 83.20 लाख) की कमी तथा ₹ 83.20 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा लगाये जाने, चिकित्सा देयकों के भुगतान के समय तकनीकी खराबी आने तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (₹ 7,54.25 लाख) और वृद्धि वेतन, अ.भा.से. के चिकित्सा क्षतिपूर्ति देयकों, निलंबन अवधि के दौरान भत्ता भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान तथा 6 वें वेतनमान के भुगतान के कारण हुई। ₹ 83.20 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.800.0101.6270- जनअभियान परिषद् का गठन	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-),19,73.00	40,27.00	34,27.00	(-),6,00.00	₹ 19,73.00 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

पूजीगत:

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 5,16.52 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 21,36.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 10,79,71 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0103.6270- जनअभियान परिषद् का गठन	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)3,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0103.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	64,75.00 2,57.13 (-)4,27.87	63,04.26	56,76.07	(-)6,28.19	₹ 4,27.87 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0102.6270- जनअभियान परिषद् का गठन	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-मू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810-अपारंपरिक उर्जा के स्रोत, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,07,07,77			
पूरक	99,87,00	5,06,94,77	4,18,15,23	(-)88,79,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	66,72	(-)4,33,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 88,79.54 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 99,87.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 88,79.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 32— जनसंपर्क समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220-01.001.7248- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार	मूल पूरक	60,00.00 37,00.00	97,00.00	55,65.16	(-)41,34.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2220-01.105.0101.2822- चलचित्र इकाई की स्थापना	मूल	7,45.00	7,45.00	5,48.30	(-)1,96.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2220-60.101.0103.5621- जनहितकारी योजना का प्रचार—प्रसार	मूल	2,77.47	2,77.47	89.22	(-)1,88.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2220-60.106.0994- क्षेत्र प्रचार	मूल	25,00.00	25,00.00	14,71.52	(-)10,28.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2220-60.106.0101.5620- समन्वित प्रचार—प्रसार	मूल	6,00.00	6,00.00	2,92.69	(-)3,07.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2220-60.110.0223- प्रकाशन	मूल	4,75.00	4,75.00	1,82.43	(-)2,92.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (1) ₹ 4,33.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	66.72	(-)4,33.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	33,55,26,09			
पूरक	6,11,40,00	39,66,66,09	29,12,55,43	(-) 10,54,10,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,85,65,35

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,50			
पूरक	0	5,50	1,24	(-)4,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,26

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,81,00,06			
पूरक	सांकेतिक	12,81,00,06	9,91,15,51	(-) 2,89,84,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,68,76,93

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 6,11,40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,54,10.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 7,85,65.35 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.2773- प्राथमिक शालाएँ	पूरक पुनर्वि.	2,04,00.00 (-)2,04,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नियमित वेतनमान से शिक्षक वर्ग के वेतन का आहरण ना किये जाने के कारण हुई।
2202-01.101.3496- माध्यमिक शालाएँ	पूरक पुनर्वि.	1,98,00.00 (-) 1,98,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नियमित वेतनमान से शिक्षक वर्ग के वेतन का आहरण ना किये जाने के कारण हुई।
2202-02.109.0581- हायर सेकण्डरी शालाएँ	पूरक पुनर्वि.	1,38,00.00 (-) 1,38,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण हुई।
2202-02.109.5216- हाई स्कूल	पूरक पुनर्वि.	18,00.00 (-) 18,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों में बचत के कारण हुई।
2225-02.001.0802.5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	6,13.00 (-) 5,20.24	92.76	38.65	(-) 54.11	समर्पण के रूप में ₹ 5,20.24 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई (₹ 7.88 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.001.0102.9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	मूल पुनर्वि.	80.68 (-) 51.54	29.14	26.89	(-) 2.25	समर्पण के रूप में ₹ 51.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.2325-प्रतिभा योजना	मूल	1,50.00	1,50.00	21.50	(-) 1,28.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.102.0102.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	42,00.00 (-) 28,00.00	14,00.00	14,00.00	0.00	₹ 28,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 18,90.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 9,10.00 लाख) वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने एवं कोई व्यय नहीं होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0494-आश्रम	पूरक पुनर्वि.	42,00.00 (-) 18,29.72	23,70.28	0.00	(-) 23,70.28	₹ 18,29.72 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 3.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 18,26.40 लाख) वेतन एवं भत्तों में कुछ बचत होने के कारण हुई (₹ 3.32 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.277.0102.6813-साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-) 4,68.10	1,31.90	71.90	(-) 60.00	₹ 4,68.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,68.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,00.00 लाख) अंशतः चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक राशि आहरण की अनुमति नहीं होने के कारण हुई (₹ 2,68.10 लाख)। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.7562-उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	11,16.30 (-) 95.69	10,20.61	4,08.39	(-) 6,12.22	समर्पण के रूप में ₹ 95.69 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.277.0102.7634-आदिवासी/अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 48.49	11.51	5.51	(-) 6.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.8012- शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	45.00 (-) 26.43	18.57	14.07	(-) 4.50	समर्पण के रूप में ₹ 26.43 लाख की प्रत्याशित बचत चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.277.0102.8735- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	3,30.00 (-) 3,09.00	21.00	21.00	0.00	₹ 3,09.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,47.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,61.50 लाख) अंशतः चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दिये जाने एवं लोक सेवा प्रबंधन द्वारा राशि आहरित नहीं किये जाने के कारण हुई (₹ 1,47.50 लाख) एवं शेष बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0802.3728- आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	2,64.50 (-) 1,87.88	76.62	65.35	(-) 11.27	समर्पण के रूप में ₹ 1,87.88 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0102.2346- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 4,50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0102.4719- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,20.00 (-) 1,04.41	15.59	15.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,04.41 लाख की प्रत्याशित बचत कोई राहत दावा न होने के कारण हुई।
2225-02.800.0102.5362- जनजातीय सेवा पुरस्कार एवं पारितोषिक सम्मान	मूल पुनर्वि.	15.00 (-) 14.00	1.00	1.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 14.00 लाख की प्रत्याशित बचत चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण हुई।
2225-02.800.0102.6462- कोल जनजाति विकास अभिकरण	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 90.00	10.00	0.00	(-) 10.00	₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कोई व्यय नहीं होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0102.9819- विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	1,20.00 (-) 78.12	41.88	29.88	(-) 12.00	समर्पण के रूप में ₹ 78.12 लाख की प्रत्याशित बचत चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0102.9829-संदिग्ध दायित्व निवारण निधि	मूल पुनर्वि.	11.00 (-) 10.00	1.00	0.00	(-) 1.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोई संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0102.9855-वन्या प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	8,29.40 (-) 4,99.43	3,29.97	2,64.63	(-) 65.34	समर्पण के रूप में ₹ 4,99.43 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.2324-आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 8,42.09	8,42.10	5,76.62	(-) 2,65.48	₹ 8,42.09 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,44.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2.41 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः आकांक्षा योजना को लागू किये जाने हेतु आर.एफ.पी. अनुसार 800 छात्रों के लिए राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (₹ 4,80.00 लाख) एवं कमी जिले द्वारा कोचिंग संस्थाओं के देयक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.277.0102.5205-अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा एवं पूर्व प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	0.01 2,59.68	2,59.69	2,59.69	0.00	₹ 2,59.68 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 40.32 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अखिल भारतीय सेवा परीक्षा योजना के अंतर्गत निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत दिल्ली स्थित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/कोचिंग फीस आदि के भुगतान शीर्ष के अंतर्गत नमूना प्रावधान होने के कारण हुई जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.8003- सेटेलॉइट के माध्यम से शिक्षा	मूल पुनर्वि.	21.00 31.77	52.77	51.77	(-) 1.00	₹ 31.77 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 61.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 29.73 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि इंफिनियम इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद के लंबित देयकों के भुगतान एवं हब के अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक अकादमी को लंबित राशि के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई (₹ 24.73 लाख)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2225-02.800.0102.9853- आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	1,00.00 6,30.34	7,30.34	7,23.66	(-) 6.68	₹ 6,30.34 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,69.66 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस/बैगा संगोष्ठी/मुख्यमंत्री सह विकास यात्रा/भारतीय संगोष्ठी के आयोजन के कारण एवं कमी चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक राशि आहरित किये जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण, कार्यक्रम आयोजित नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 में भी आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 2,89,84.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,68,76.93 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.102.0802.7881- आदिवासी उपयोगना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	2,56,00.00 (-) 90,15.25	1,65,84.75	1,45,93.26	(-) 19,91.49	समर्पण के रूप में ₹ 90,15.25 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0702.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 18,32.96	1,67.04	1,67.04	0.00	₹ 18,32.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 10,32.96 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,00.00 लाख) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.277.0702.1398- सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 50,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 30,00.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20,00.00 लाख) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.277.0702.6502- महाविद्यालयीन छात्रावास	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-) 12,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,20.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,80.00 लाख) कार्य पूर्ण नहीं होने, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.277.0701.0495- जूनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 10,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 6,00.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,00.00 लाख) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.277.0102.0978- क्रीड़ा परिसर	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 5,00.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	0.01 17,35.01	17,35.02	17,32.67	(-) 2.35	₹ 17,35.01 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,64.99 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः दायित्वों के भुगतान के कारण हुई (₹ 12,00.00 लाख) एवं कमी अंशतः कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई (₹ 2,58.99 लाख)। शेष वृद्धि एवं शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4225-02.277.0102.0495- जूनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	0.01 2,40.00	2,40.01	2,40.01	0.00	₹ 2,40.00 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,60.00 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव थी। कमी कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4225-02.277.0102.1398- सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	0.01 13,37.91	13,37.92	13,37.92	0.00	₹ 13,37.91 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6,62.09 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,62.09 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,00.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई (₹ 2,62.09 लाख)। वृद्धि एवं शेष कमी के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4225-02.277.0102.6502- महाविद्यालयीन छात्रावास	मूल पुनर्वि.	0.01 87.03	87.04	87.04	0.00	₹ 87.03 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,80.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,92.97 लाख की कमी (समर्पण ₹ 92.97 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,00.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि एवं शेष कमी के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,46,00,65			
पूरक	1,09,54,00	7,55,54,65	5,01,09,91	(-)2,54,44,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,44,35,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	0	(-)3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में ₹ 1,09,54.00 लाख में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,54,44.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,44,35.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.001.2304-निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	55,32.26 (-)17,46.52	37,85.74	37,75.87	(-)9.87	₹ 17,46.52 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 17,51.52 लाख की कमी (समर्पण ₹ 17,46.52 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.00 लाख) एवं ₹ 5.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित, पद रिक्त, प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जाना और कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। जबकि वृद्धि का कारण वेतन में आबंटन न किया जाना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.0103.6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	1,76.00 (-)1,15.64	60.36	55.22	(-)5.14	प्रत्याशित बचत ₹ 1,15.64 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2235-02.001.0102.6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	2,54.10 (-)1,69.21	84.89	78.89	(-)6.00	प्रत्याशित बचत ₹ 1,69.21 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2235-02.001.0101.6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	7,62.30 (-)4,83.29	2,79.01	2,84.15	+5.14	प्रत्याशित बचत ₹ 4,83.29 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.101.0101.0073-अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	40,20.00 (-)8,11.36	32,08.64	32,08.64	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 8,11.36 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.102.0703.7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	17,50.00 (-)9,56.28	7,93.72	7,93.72	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 9,56.28 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी।
2235-60.110.0103.5247-आम आदमी बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	3,60.01 (-)3,60.01	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 3,60.01 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60.110.0103.5614-जनश्री बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	7,00.01 (-)7,00.01	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 7,00.01 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.110.0102.5247-आम आदमी बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	5,40.01 (-)5,40.01	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 5,40.01 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.110.0102.5614-जनश्री बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	10,50.01 (-)10,50.01	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 10,50.01 लाख समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-60.110.0101.5247-आम आदमी बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	9,00.00 (-)9,00.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 9,00.00 लाख समर्पण के रूप में संभावित बचत के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.110.0101.5614-जनश्री बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	17,50.00 (-)17,50.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 17,50.00 लाख समर्पण के रूप में संभावित बचत के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.191.0703.8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पुनर्वि.	5,67.60 (-)69.08	4,98.52	4,98.52	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 69.08 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी।
2235-60.191.0702.5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,81.50 3,00.00 (-)42.20	4,39.30	1,16.30	(-)3,23.00	प्रत्याशित बचत ₹ 42.20 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण वित्त विभाग द्वारा पूरक बजट की राशि प्रदान नहीं किया जाना था।
2235-60.191.0702.5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पूरक पुनर्वि.	7,97.50 16,09.00 (-)1,57.98	22,48.52	5,74.52	(-)16,74.00	प्रत्याशित बचत ₹ 1,57.98 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण वित्त विभाग द्वारा पूरक बजट की राशि प्रदान नहीं किया जाना था।
2235-60.191.0702.8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पूरक पुनर्वि.	9,06.40 39,52.00 (-)82.83	47,75.57	8,23.57	(-)39,52.00	प्रत्याशित बचत ₹ 82.83 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण वित्त विभाग द्वारा पूरक बजट की राशि प्रदान नहीं किया जाना था।
2235-60.191.0102.9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल पूरक	7,70.00 50,93.00	58,63.00	6,56.80	(-)52,06.20	बचत के कारण वित्त विभाग द्वारा पूरक बजट की राशि प्रदान नहीं किया जाना था।
2235-60.192.0702.5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	मूल पुनर्वि.	10,51.60 (-)2,31.28	8,20.32	8,20.32	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 2,31.28 लाख समर्पण के रूप में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,73,32,60			
पूरक	2,84,00	7,76,16,60	7,12,51,73	(-)63,64,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				55,40,39

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,02			
पूरक	26,74	28,76	26,74	(-)2,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,02

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	79,10,05			
पूरक	2,30,00,00	3,09,10,05	68,07,08	(-)2,41,02,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,24,49

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में (₹ 1,00.00 लाख) एवं जनवरी 2019 में (₹ 1,84.00 लाख) प्राप्त किया गया ₹ 2,84.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 63,64.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 55,40.39 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-102.0103.7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,48.92 (-)1,06.94	41.98	34.98	(-)7.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,06.94 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2851-102.0102.7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,12.67 (-)88.48	24.19	16.72	(-)7.47	समर्पण के रूप में ₹ 88.48 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2851-108.0101.7690-पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	30,00.01 (-)10,70.36	19,29.65	19,29.65	0.00	₹ 10,70.36 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 8,10.36 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,60.00 लाख) अंशतः विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दर संशोधित किये जाने के कारण हुई (₹ 2,60.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2851-800.0103.7589-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मूल पुनर्वि.	39,00.00 (-)13,45.00	25,55.00	25,55.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,45.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2851-800.0102.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-)8,00.00	62,00.00	62,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-001.3370-मध्यवर्ती कार्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	13,33.51 सांकेतिक (-) 58.38	12,75.13	14,37.02	+1,61.89	₹ 58.38 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,17.88 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,37.38 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,80.50 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,59.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः विभागीय एम.आई.एस. कार्य एम.ए.पी.आई.टी. द्वारा किये जाने से संभावित बचत, वेतन में एक प्रतिशत के स्थान पर दस प्रतिशत का त्रुटिपूर्ण प्रावधान होने के कारण हुई (₹ 1,68.00 लाख) एवं वृद्धि कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों को वेतनमान का भुगतान, वेतन में दस प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत का त्रुटिपूर्ण प्रावधान होने के कारण राशि की आवश्यकता, विभाग के पुनर्गठन होने के पश्चात् आयुक्त, उद्योग हेतु नये वाहन का क्रय, शासकीय वाहनों का संवरण, तकनीकी खराबी के कारण तीन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान अनुसार ग्रेड पे राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

प्रभारित

- (5) ₹ 2.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 26.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 2,30,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 2,41,02.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 6,24.49 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-101.0101.6749-भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 2,30,00.00 32,99.99	2,63,00.00	33,00.00	(-)2,30,00.00	₹ 32,99.99 लाख निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,00.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कलेक्टर, धार को भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4851-101.0101.6750-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	72,60.01 (-)35,64.63	36,95.38	32,51.91	(-)4,43.47	₹ 35,64.63 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 33,00.00 लाख + समर्पण ₹ 2,64.63 लाख) अंशतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कलेक्टर, धार को भुगतान जिस हेतु भू-अर्जन के लिए मुख्य सचिव द्वारा 26.04.2018 को मीटिंग रखी गई थी, के कारण हुई (₹ 33,00.00 लाख)। ₹ 2,64.63 लाख की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4851-800.0101.6820-क्लस्टर्स की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)2,90.14	9.86	9.86	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,90.14 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5002—भारतीय रेल—वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86,29,37			
पूरक	0	86,29,37	73,11,54	(-13,17,83)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				12,75,76

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,00			
पूरक	0	4,00	0	(-)4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,00,02			
पूरक	25,75,08	45,75,10	9,20,34	(-)36,54,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,50,02

अनुदान संख्या 36—परिवहन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 13,17.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 12,75.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,25.72 (-)2,64.97	5,60.75	5,36.52	(-)24.23	₹ 2,64.97 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,77.97 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,67.97 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10.00 लाख) एवं ₹ 13.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, क्रय पर प्रतिबंध एवं कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि एच. एस.आर. पी. प्रकरण में आर्बिट्रेटर को राशि के भुगतान, एवं परिवहन मुख्यालय में चार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितकरण के कारण वेतन निर्धारण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 वं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-101.4280- संग्रह प्रभार	मूल पुनर्वि.	31,96.00 (-)6,25.13	25,70.87	25,60.70	(-)10.17	₹ 6,25.13 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई।
2041-102.0679- उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	20,88.60 (-)3,63.17	17,25.43	17,20.05	(-)5.38	₹ 3,63.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 25,75.08 लाख का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 36,54.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,50.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-),2,50.00	17,50.00	9,20.34	(-),8,29.66	₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत अतिरिक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5002-01.800.0101.5316- म.प्र. में रेल्वे परियोजनाओं में राज्य का अंशदान	पूरक	25,75.08	25,75.08	0.00	(-),25,75.08	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,55,48,76			
पूरक	0	1,55,48,76	1,03,58,30	(-)51,90,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				51,89,41

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	83,00,03			
पूरक	सांकेतिक	83,00,04	66,95,01	(-)16,05,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				16,05,03

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 51,90.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 51,89.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.101.0103.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,21.00	79.00	79.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,21.00 लाख की प्रत्याशित बचत दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं तृतीय त्रैमास तक अप्रयुक्त राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.101.0102.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-1,38.00)	1,62.00	1,62.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,38.00 लाख की प्रत्याशित बचत दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं तृतीय त्रैमास तक अप्रयुक्त राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3452-80.001.0101.1271- पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-41,50.00)	28,50.00	28,50.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 41,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत हवाई उड़ान सेवायें स्थगित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5452-01.101.0103.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-4,30.50)	1,69.50	1,69.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,30.50 लाख की प्रत्याशित बचत तृतीय त्रैमास तक अप्रयुक्त राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।
5452-01.101.0102.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-3,20.00)	4,80.00	4,80.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत तृतीय त्रैमास तक अप्रयुक्त राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।
5452-01.101.0101.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	46,00.00 (-6,94.49)	39,05.51	39,05.51	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,94.49 लाख की प्रत्याशित बचत तृतीय त्रैमास तक अप्रयुक्त राशि विमुक्त नहीं किये जाने एवं केन्द्रीय योजनाओं का दावा न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,15,76,57			
पूरक	62,38,95	4,78,15,52	4,19,82,44	(-)58,33,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				26,50,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,20,00			
पूरक	0	23,20,00	9,59,79	(-)13,60,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				2,46,20

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 58,33.08 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 62,38.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 58,33.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को केवल ₹ 26,50.81 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0703.1277- राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	9,00.00	12,87.00	9,19.96	(-)3,67.04	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	4,87.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	12,00.00	11,45.90	9,06.54	(-)2,39.36	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	2,45.90				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	18,00.00	47,69.05	26,78.96	(-)20,90.09	₹ 6,00.00 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	35,69.05				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल	10,13.58	6,62.38	6,28.83	(-)33.55	₹ 3,51.20 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,58.20 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,74.20 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 84.00 लाख) एवं ₹ 7.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)3,51.20				
2210-02.102.0101.4810- होम्योपैथिक औषधालय	मूल	23,55.35	14,51.23	14,32.64	(-)18.59	₹ 9,04.12 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 9,64.12 लाख की कमी (समर्पण ₹ 71.12 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,93.00 लाख) एवं ₹ 60.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)9,04.12				

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.103.0101.8564- भोपाल यूनानी महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	15,50.19 (-)-6,97.32	8,52.87	8,30.76	(-)-22.11	₹ 6,97.32 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 49.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,48.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0103.0460- आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पूरक पुनर्वि.	33,46.70 37.00 9,10.17	42,93.87	42,22.81	(-)-71.06	₹ 9,10.17 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,55.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,44.83 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,42.83 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः सातवें वेतनमान के लागू होने के कारण हुई (₹ 2.00 लाख)। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-02.102.0102.4810- होम्योपैथिक औषधालय	मूल पुनर्वि.	7,57.35 2,05.06	9,62.41	9,50.35	(-)-12.06	₹ 2,05.06 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,66.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 60.94 लाख की कमी (समर्पण ₹ 57.94 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.00 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210.05.101.0101.0469- आयुर्वेद महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	40,44.22 7,00.00 7,98.65	55,42.87	54,99.33	(-)-43.54	₹ 7,98.65 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,44.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,45.35 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,86.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,59.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.102.0101.8068- शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय	मूल	8,94.87	13,70.12	13,27.74	(-)42.38	₹ 3,75.25 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,17.90 लाख की वृद्धि एवं ₹ 42.65 लाख की कमी (समर्पण ₹ 38.75 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.90 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	3,75.25				

प्रभारित:

(5) सम्पूर्ण विनियोग की बचत (₹ 1.00 लाख) के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(6) ₹ 13,60.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को केवल ₹ 2,46.20 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.0461- आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	मूल	6,00.00	5,80.16	3,92.26	(-)1,87.90	समर्पण के रूप में ₹ 19.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)19.84				
4210-04.101.0101.0465- आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय	मूल	4,00.00	4,00.00	1,92.22	(-)2,07.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)2,20.00				
4210-03.101.0101.0469 आयुर्वेद महाविद्यालय-	मूल	7,50.00	5,30.00	2,59.23	(-)2,70.77	समर्पण के रूप में ₹ 2,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	(-)2,20.00				

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.110.0103.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	1,10.00	1,10.00	5.54	(-)1,04.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.110.0102.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-)6.36	1,53.64	36.41	(-)1,17.23	समर्पण के रूप में ₹ 6.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.110.0101.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	3,00.00	3,00.00	74.12	(-)2,25.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 6408-खाद्य भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,30,22,17			
पूरक	1,00,00,01	17,30,22,18	13,07,26,34	(-)4,22,95,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,22,32,45

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,50			
पूरक	0	2,50	25	(-)2,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,25

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,12,04			
पूरक	0	5,12,04	2,26,17	(-)2,85,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,71,19

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2018 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,00,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,22,95.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 4,22,32.45 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.1299-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	5,26,23.20 (-1,37,04.33)	3,89,18.87	3,89,18.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,37,04.33 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति न दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.3229-म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	1,90,00.00 50,00.00 (-40,41.51)	1,99,58.49	1,99,58.49	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 40,41.51 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति न दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.3248-म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	1,24,28.00 50,00.00 (-51,60.55)	1,22,67.45	1,22,67.45	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 51,60.55 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति न दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.0103.9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,20.01 (-2,20.01)	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना प्रारंभ न हो पाने के कारण हुई।
2408-01.102.0102.9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-3,00.00)	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2408-01.102.0101.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	2,52,00.00 (-47,74.09)	2,04,25.91	2,04,25.91	0.00	₹ 47,74.09 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 47,20.80 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 53.29 लाख) अंशतः शीर्ष में संभावित बचत के कारण हुई (₹ 53.29 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.9087- खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	4,80.00 (-)4,80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2408-01.190.0103.6242- मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	मूल पुनर्वि.	59.40 (-)59.40	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2408-01.190.0102.6242- मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	मूल पुनर्वि.	81.68 (-)81.68	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2408-01.190.0101.6242- मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	मूल पुनर्वि.	2,30.18 (-)2,30.18	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.1921- म.प्र. खाद्य आयोग का गठन	पूरक पुनर्वि.	0.01 27.55	27.56	24.75	(-)2.81	₹ 27.55 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27.77 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.22 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी किराये के वाहनों का उपयोग करने के कारण और वृद्धि अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संभागीय/जिला कार्यों की मासिक निगरानी कार्य हेतु भुगतान एवं अ.भा.से. को वेतन/भत्तों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.800.1931- राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन का संचालन	मूल पुनर्वि.	0.01 12.54	12.55	12.41	(-)0.14	₹ 12.54 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7.46 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन के तत्काल संचालन के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 2,85.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,71.19 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4408-01.800.0801.0629- उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल पुनर्वि.	3,62.00 (-)1,62.98	1,99.02	1,84.34	(-)14.68	समर्पण के रूप में ₹ 1,62.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
6408-01.190.0173- अन्न का क्रय	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-)1,08.17	41.83	41.83	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,08.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	32,16,24,57			
पूरक	2,99,00,00	35,15,24,57	26,28,82,93	(-)8,86,41,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				8,86,31,68

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,00			
पूरक	0	20,00	1,58	(-)18,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				18,42

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,72,55,01			
पूरक	0	5,72,55,01	2,15,32,81	(-)3,57,22,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,36,36,98

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,99,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 8,86,41.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 8,86,31.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0581- हायर सेकण्डरी शालायें	मूल पूरक पुनर्वि.	14,02,37.93 2,99,00.00 (-)4,50,22.44	12,51,15.49	12,50,39.04	(-)76.45	₹ 4,50,22.44 लाख के निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,58,87.04 लाख की कमी एवं ₹ 8,64.60 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि का कारण अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त हेतु सेवा अभिलेखों का डाक्यूमेंटेशन/पोर्टल पर अपलोडिंग करना था। कमी के साथ ही आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0703. 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00 (-)46,10.63	73,89.37	73,89.37	0.00	₹ 46,10.63 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0702. 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)78,14.66	71,85.34	71,85.34	0.00	₹ 78,14.66 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0701. 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	4,80,00.00 (-1,79,64.71)	3,00,35.29	3,00,35.29	0.00	₹ 1,79,64.71 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0103.0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	11,98.72 (-)11,56.02	42.70	42.70	0.00	₹ 11,56.02 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना, कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील एवं प्रशासकीय प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई।
2202-02.109.0103.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	9,20.00 (-)9,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 9,20.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0103.6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	20,29.85 (-)18,19.33	2,10.52	2,10.78	+0.26	₹ 18,19.33 लाख (समर्पण ₹ 14,19.54 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 3,99.79 लाख) की प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0102.0816-छात्रावासों की स्थापनाएं एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	20,28.40 (-)20,14.79	13.61	13.61	0.00	₹ 20,14.79 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना, कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील एवं प्रशासकीय प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई।
2202-02.109.0102.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	14,50.00 (-)14,50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 14,50.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	39,31.17 (-33,30.73)	6,00.44	6,00.51	+0.07	₹ 33,30.73 लाख (समर्पण ₹ 21,26.23 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 12,04.50 लाख) की प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं प्रशासकीय प्रक्रिया में विलंब के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	47,14.88 (-38,37.04)	8,77.84	8,79.09	+1.25	₹ 38,37.04 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	45,80.00 (-36,83.55)	8,96.45	8,96.45	0.00	₹ 36,83.55 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.6968- शालाओं का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	24,09.51 (-10,33.75)	13,75.76	13,59.75	(-16.01)	₹ 10,33.75 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के कारण, महंगाई भत्ता समय पर स्वीकृत न होना, समयावधि में आहरण न होना एवं कोई प्रकार कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-105.4395- सरकारी पुस्तकालय	मूल पुनर्वि.	19,57.52 (-)11,07.99	8,49.53	8,49.24	(-)0.29	₹ 11,07.99 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 11,13.79 लाख की कमी एवं ₹ 05.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण समयावधि में आहरण नहीं किया जाना एवं कई प्रकार के प्रतिबंधों से प्रभावशील होने एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.001.0103.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	9,00.00 4,78.39	13,78.39	13,78.39	0.00	₹ 4,78.39 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 21.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-02.001.0102.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	12,00.00 5,00.00	17,00.00	17,00.00	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.001.0101.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल	41,00.00	1,45,60.15	1,45,60.15	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,04,60.15 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 1,05,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 39.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	1,04,60.15				
2202-02.106.0103.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल	28,00.00	31,99.79	31,99.79	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,99.79 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	3,99.79				
2202-02.106.0102.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल	35,00.00	47,00.00	47,00.00	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	12,00.00				
2202-80.001.0101.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल	1,12,00.00	1,32,00.00	1,32,00.00	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	20,00.00				

प्रभारित:

(5) विनियोग में मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-800.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल	20.00	1.58	1.58	0.00	₹ 18.42 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	(-)18.42				

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 3,57,22.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 3,36,36.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) समाप्त**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
4202-01.202.1703.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-15,00.00)	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई।
4202-01.202.1701.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-20,00.00)	0.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई।
4202-01.202.0103.6970- शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,01,44.00 (-71,90.82)	29,53.18	28,27.99	(-1,25.19)	₹ 71,90.82 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0102.6970- शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,01,80.00 (-43,51.12)	58,28.88	43,62.83	(-14,66.05)	₹ 43,51.12 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0101.0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	29,80.00 (-16,39.64)	13,40.36	12,34.75	(-1,05.61)	₹ 16,39.64 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202.202.0101.6970- शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	2,55,76.00 (-1,39,64.38)	1,16,11.62	1,11,68.79	(-4,42.83)	₹ 1,39,64.38 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में निर्माण ऐजेन्सी द्वारा समय पर आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-1)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,14,60,86			
पूरक	0	1,14,60,86	1,02,83,49	(-)11,77,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,97,55

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,00,94			
पूरक	0	19,00,94	0	(-)19,00,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,00,94

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 11,77.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 10,97.55 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	1,07,66.65 (-)9,04.32	98,62.33	97,82.98	(-)79.35	₹ 9,04.32 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10,44.32 लाख की कमी (समर्पण ₹ 9,04.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,40.00 लाख) एवं ₹ 1,40.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग द्वारा वित्तीय नियंत्रण लागू किये जाने एवं संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि मांग अनुसार बजट आवंटित न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	2,89.76 (-)58.24	2,31.52	2,31.25	(-)0.27	₹ 58.24 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 82.24 लाख की कमी (समर्पण ₹ 58.24 लाख+ पुनर्विनियोजन ₹ 24.00 लाख) एवं ₹ 24.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी तीन स्थायी कर्मियों का नियमितिकरण न होने, देयक प्राप्त न होने, शासन से भुगतान संबंधी निर्देश प्राप्त न होने एवं उपकरण क्रय न करने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कर्मचारियों/अधिकारियों/स्थायी कर्मियों/होमगार्ड्स के जवानों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
2235-02.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	3,98.39 (-)1,29.49	2,68.90	2,68.71	(-)0.19	₹ 1,29.49 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,41.55 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,29.49 लाख+ पुनर्विनियोजन ₹ 12.06 लाख) एवं ₹ 12.06 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां विलम्ब से प्राप्त होने, चुनाव आचार संहिता लागू होने, निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं देयक प्राप्त न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने से वेतन-भत्तों एवं एरियर्स भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास समाप्त

पूँजीगत:

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	13,90.92 (-)13,90.92	0.00	0.00	0.00	₹ 13,90.92 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रस्तावित कार्यों की स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4235-01.201.0701.6281- गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रस्तावित कार्यों की स्थायी वित्तीय समिति के अनुमोदन तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवार्ये, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,48,44,44			
पूरक	0	1,48,44,44	1,23,10,20	(-)25,34,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	75,78,10			
पूरक	0	75,78,10	48,08,95	(-)27,69,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				20,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 25,34.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2204-103.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल 23,65.00	23,65.00	14,70.13	(-)8,94.87	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 2.20 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी परीक्षा का आयोजन न किये जाने के कारण हुई। वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुल्क के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2204-800.0102.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल 9,73.63	9,73.63	8,37.37	(-)1,36.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-800.0102.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मूल	7,25.04	7,25.04	6,14.97	(-)1,10.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2204-800.0101.1190-खेल कार्यक्रमों का आयोजन	मूल	1,71.61	1,71.61	87.77	(-)83.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	33,47.49	33,47.49	29,98.83	(-)3,48.66	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 1,11.65 लाख प्रत्येक) की कमी एव वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि मुख्य तकनीकी प्रशिक्षकों/संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी (₹ 1,11.65 लाख) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2204-800.0101.7265-ओलंपिक 2020	मूल	3,35.33	3,35.33	2,12.49	(-)1,22.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2204-800.0101.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मूल	17,30.25	17,30.25	15,26.26	(-)2,03.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2204-800.0101.8841-मूलभूत सुविधाओं के उत्थान सुधार हेतु—स्टेडियम आदि	मूल	7,73.80	7,73.80	6,74.45	(-)99.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 27,69.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 20.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.800.0101.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	17,61.00	17,61.00	9,25.57	(-)8,35.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.800.0101.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	38,02.10 (-)0.02	38,02.08	28,43.45	(-)9,58.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-03.800.0103.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल	3,25.00	3,25.00	1,70.64	(-)1,54.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-03.800.0102.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	3,50.00	3,50.00	1,93.11	(-)1,56.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.800.0102.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	9,65.00 (-)20.00	9,45.00	4,25.19	(-)5,19.81	समर्पण के रूप में ₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संविरण अधिकारियों द्वारा राशि के आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.800.0101.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल	3,25.00	3,25.00	2,38.99	(-)86.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,67,13,27			
पूरक	4,06,93,01	21,74,06,28	16,28,76,91	(-)5,45,29,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				5,11,20,01

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि ₹ 16,28,76,91,494 के कुल व्यय में 11.06.2018 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि ₹ 1,00,00,000 सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,77,84,01			
पूरक		4,77,84,01	3,34,80,71	(-)1,43,03,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2019)				43,50,00

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 4,06,93.01 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2019 में ₹ 14,00.00 लाख एवं जनवरी 2019 में ₹ 3,92,93.01 लाख अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,45,29.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को केवल ₹ 5,11,20.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0101.3443- महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	21,42.74 (-)5,23.00	16,19.74	15,81.41	(-)38.33	₹ 5,23.00 लाख (समर्पण ₹ 3,88.88 लाख + पुनर्विनियोजन 1,34.12 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत का कारण संभावित बचत एवं वेतन भत्तों में बचत होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)28,00.00	2,00.00	37.33	(-)1,62.67	₹ 28,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत, समर्पण के रूप में साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	18,00.00 (-)16,65.00	1,35.00	31.18	(-)1,03.82	₹ 16,65.00 लाख की प्रत्याशित बचत, समर्पण के रूप में साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)26,00.00	14,00.00	5,10.10	(-)8,89.90	₹ 26,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत, समर्पण के रूप में विभिन्न संस्थाओं द्वारा एम.ओ.यू. प्रक्रिया पूर्ण न किये जाने के कारण हुई। जिससे राशि का व्यय/आवंटन नहीं हो सका। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.0742- अनु.जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-)2,50.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, समर्पण के रूप में किए जाने का कारण योजना के अंतर्गत नियम/निर्देश जारी नहीं किया जाना था। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 में भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0103.7463- शास. महा. में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	7,00.00 (-)3,23.77	3,76.23	3,76.22	(-)0.01	पुनर्विनियोग के रूप में ₹ 3,23.77 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-03.103.0102.7463- शास. महा. में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	13,00.00 (-)6,09.45	6,90.55	6,90.55	0.00	पुनर्विनियोग के रूप में ₹ 6,09.45 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	11,76,84.66 3,72,93.00 (-)4,56,48.57	10,93,29.09	10,87,90.31	(-)5,38.78	₹ 4,56,48.57 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रावधान में ₹ 6,93,83.57 लाख (समर्पण ₹ 4,10,98.57 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,82,85.00 लाख) की कमी एवं ₹ 2,37,35.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, 7वां वेतन आयोग लागू होना, यू.जी.सी. का वेतन 7वां सी.पी.सी. के अनुसार भुगतान न करना, यू.जी.सी. के 7वां वेतनमान के आदेश में विलम्ब, बकाया राशि का केंद्रीय हिस्सा नहीं मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती राशि जारी नहीं करने पर खर्च सीमित करने के कारण भुगतान नहीं किया गया, जबकि वृद्धि का कारण शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं दिए जाना, नए महाविद्यालयों में दरों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि एवं अतिथि विद्वान के मानदेय की दर में वृद्धि का कारण था। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 में भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.5674- निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क योजना	मूल	1,00.00				समर्पण के रूप ₹ 9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	9,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00	1,00.00	25.55	(-)74.45	
2202-03.103.0101.7463- शास. महा. में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	मूल	30,00.00				पुनर्विनियोग के रूप में ₹ 13,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	(-)13,60.00	16,40.00	15,63.00	(-)77.00	

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0701.7599- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना	मूल	3.00				₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन हेतु आवश्यकता एवं मांग के अनुसार 2018-19 के बजट में प्रावधान नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2017-18 में भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	60.00	63.00	50.00	(-)13.00	
2202-03.102.0101.2328- पं. एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल को अनुदान	मूल	0.01				₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन विश्वविद्यालय के वेतन भत्तों हेतु एवं 2018-19 के बजट में सांकेतिक प्रावधान होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	50.00	50.01	50.00	(-)0.01	
2202-03.104.0250- कस्तूरबा ग्राम रुरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान	मूल	1,60.00				₹ 1,25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 6वें वेतनमान एरियर और चौथे वेतन बैंड एरियर की किस्त का भुगतान करने के कारण हुई थी।
	पुनर्वि.	1,25.00	2,85.00	2,85.00	0.00	
2202-03.104.0103.7043- जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	6,22.50				₹ 3,23.77 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिथि विद्वानों के मानदेय दर में वृद्धि होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	3,23.77	9,46.27	9,19.79	(-)26.48	

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.104.0102.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	9,02.50	15,11.95	15,00.07	(-)11.88	₹ 6,09.45 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिथि विद्वानों के मानदेय दर में वृद्धि होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	6,09.45				
2202-03.104.0101.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	29,75.00	1,07,75.00	1,03,12.41	(-)4,62.59	₹ 58,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिथि विद्वानों के मानदेय दर में वृद्धि होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	58,00.00				

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 1,43,03.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2019 को ₹ 43,50.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.1201.7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल	1,20,00.00	1,02,50.00	43,12.19	(-)59,37.81	₹ 17,50.00 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	(-)17,50.00				
4202-01.203.0103.7643-शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल	34,00.00	24,00.00	3,68.24	(-)20,31.76	₹ 10,00.00 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पी.आई.यू./पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा व्यय न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0101.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल	70,00.00	70,00.00	51,73.84	(-)18,26.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल	31,00.00	31,00.00	35,74.11	+4,74.11	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,01,95,25			
पूरक	0	2,01,95,25	1,62,70,27	(-)39,24,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,82,88,90			
पूरक	10	7,82,89,00	6,23,38,12	(-) 1,59,50,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 39,24.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल 2,93.00	2,93.00	1,47.09 (-)1,45.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0102.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	30,26.75	30,26.75	18,82.44	(-)11,44.31	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 3,00.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0101.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	1,44,97.50	1,44,97.50	1,26,37.18	(-)18,60.32	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1,20.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई (₹ 70.00 लाख) और वृद्धि अंशतः निर्माण कार्यों के भुगतान के कारण हुई (₹ 70.00 लाख)। अवशेष कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	12,48.00	12,48.00	7,59.31	(-)4,88.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 1,59,50.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-101.0101.6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुनस्थापना	मूल	35,00.00	35,00.00	9,59.02	(-) 25,40.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4702-800.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	90,00.00	90,00.00	0.00	(-) 90,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य समाप्त

(5) उचन्त लेन-देन:-				
<p>इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।</p>				
<p>वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-</p>				
विवरण	01 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		(लाख ₹ में)		
(1) कय	(-)1,31.77	0.00	0.00	(-)1,31.77
(2) भण्डार	(-)27.12	0.00	0.00	(-)27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-)93.43	0.00	0.00	(-)93.43

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00,15,52			
पूरक	0	3,00,15,52	1,73,47,80	(-)1,26,67,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,50,00			
पूरक	0	7,50,00	2,25,00	(-)5,25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 1,26,67.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.200.0101.0144- अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां	मूल 5,50.00	5,50.00	1,65.00	(-)3,85.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
3425-60.200.0101-3950- विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता	मूल 2,10.00	2,10.00	89.00	(-)1,21.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.200.0101.4556-	मूल	3,50.00	3,50.00	1,05.00	(-)2,45.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
सुदूर संवेदन केन्द्र						
3425-60.200.0101.5255-	मूल	1,50.00	1,50.00	40.50	(-)1,09.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
मिशन एक्सीलेन्स ऑफ एम. पी. ह्यूमन रिसोर्स						
3425-60.200.0101.6634-	मूल	1,40.00	1,40.00	27.00	(-)1,13.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र						
3425-60.600.0701.7615-	मूल	9,00.00	9,00.00	0.00	(-)9,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना						
3425-60.600.0101.5818-	मूल	58,00.00	58,00.00	25,05.60	(-)32,94.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
डाटा सेंटर बिल्डिंग नेटवर्क का निर्माण						
3425-60.600.0101.6874-	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)15,00.00	45,00.00	30,00.00	(-)15,00.00	₹ 15,00.00 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना						
3425-60.600.0101.7672-	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण						
3425-60.600.0101.8808-	मूल	22,25.00	22,25.00	15,90.00	(-)6,35.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य						
3425-60.600.0101.5125-	मूल	10,00.00	10,00.00	5,50.00	(-)4,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
मैप-आई.टी. में जी.आई.एस. लैब की स्थापना						
3425-60.600.0101.7062-	मूल	60,00.00	60,00.00	45,00.00	(-)15,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना						
3425-60.600.0101.7257-	मूल	17,00.00	17,00.00	10,40.00	(-)6,60.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
राज्य आई.टी.संवर्ग हेतु अनुदान						

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाप्त

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	3,00.00 15,00.00	18,00.00	6,54.90	(-)11,45.10	₹ 15,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 5,25.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5425-800.0101.5261- परिषद् के भवन निर्माण हेतु	मूल	1,50.00	1,50.00	45.00	(-)1,05.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
5425-800.0101.5525- विज्ञान पार्क की स्थापना	मूल	6,00.00	6,00.00	1,80.00	(-)4,20.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

**अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष—2203-तकनीकी शिक्षा, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,61,80,72			
पूरक	1,06,00,01	12,67,80,74	8,72,37,44	(-)3,95,43,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,39,21,12			
पूरक	0	3,39,21,12	1,91,97,55	(-)1,47,23,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				51,72

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 1,01,00.01 लाख) एवं फरवरी 2019 (₹ 5,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,06,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,95,43.30 लाख की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0103.0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल	30,00.00	30,00.00	14,75.00	(-)15,25.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-104.0102.0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल	50,00.00	50,00.00	29,55.00	(-)20,45.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-104.0101.0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)10,96.00	79,04.00	78,24.96	(-)79.04	₹ 10,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-105.0103.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	34,59.24 (-)6,50.00	28,09.24	18,16.92	(-)9,92.32	₹ 6,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-105.0101.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	1,48,31.04 (-)8,74.00	1,39,57.04	93,26.66	(-)46,30.38	₹ 8,74.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 8,87.50 लाख की कमी एवं ₹ 13.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत था, जबकि वृद्धि का कारण इस योजना में देय भुगतानों एवं अगले माहिनों में वेतन देयकों के भुगतान करना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2203-800.0103.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	पूरक	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2203-800.0102.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	पूरक	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
2203-800.0101.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	पूरक पुनर्वि.	60,00.00 (-)11,69.00	48,31.00	19,40.00	(-)28,91.00	₹ 11,69.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.003.0103.0736- मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.0103.0740- मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.0103.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	13,50.00 (-)12,75.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹ 12,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0102.0736- मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0102.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	18,90.00 (-)17,85.00	1,05.00	0.00	(-)1,05.00	₹ 17,85.00 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101. 0717- आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	2,14,81.31 (-)2,34.26	2,12,47.05	1,91,96.05	(-)20,51.00	₹ 2,34.26 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,00.80 लाख की कमी एवं ₹ 2,66.54 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी का कारण संभावित बचत था, जबकि वृद्धि का कारण अगले माहों में आवश्यकता होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.0101. 0736- मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)15,00.00	25,00.00	22,58.44	(-)2,41.56	₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोग के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101. 0740- मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन	मूल	40,00.00	40,00.00	24,31.94	(-)15,68.06	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.003.0101. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	57,60.00 (-)54,35.80	3,24.20	0.00	(-)3,24.20	₹ 54,35.80 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0101.5885- आई.आई.टी. इंदौर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	0.01 22,65.00	22,65.01	22,65.00	(-)0.01	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 22,65.00 लाख की निधियों का आवर्धन न्यायालय के आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के कारण हुई थी।
2203-104.0101.8885- स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	मूल पुनर्वि.	56,00.00 6,00.00	62,00.00	61,98.03	(-)1.97	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2203-02.101.0101. 7877- म.प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन	मूल पुनर्वि.	3,50.00 15,00.00	18,50.00	6,66.65	(-)11,83.35	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.1203. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पुनर्वि.	12,75.00	12,75.00	52.42	(-)12,22.58	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,75.00 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहायता योजना है, जिसमें प्रावधान किया जाना था। बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.1202. 0741 -ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पुनर्वि.	17,85.00	17,85.00	2,46.02	(-)15,38.98	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17,85.00 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहायता योजना है, जिसमें प्रावधान किया जाना था। बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.003.1201. 0741 - ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पुनर्वि.	49,29.26	49,29.26	27,30.82	(-)21,98.44	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49,29.26 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 54,35.80 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,06.54 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि का कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहायता योजना है, जिसमें प्रावधान किया जाना था। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2230-03.003.0101. 6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	13,10.82 4,04.10	17,14.92	16,05.06	(-)1,09.86	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,04.10 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 4,13.10 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (5) ₹ 1,47,23.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 51.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.104.0103. 9238- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पौलीटेकनिक संस्थाएं	मूल	15,00.00	15,00.00	70.60	(-)14,29.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-02.104.0102. 9236- एकलव्य पौलीटेकनिक संस्थाएं	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों का सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2019)।
4202-02.104.0101. 6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल	84,20.00	84,20.00	58,77.32	(-)25,42.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.0103. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	24,00.00 (-)24,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 24,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.003.0102. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	23,60.00 (-)23,60.00	0.00	0.00	0.00	₹ 23,60.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.0101. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	72,40.00 (-)72,40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 72,40.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत इस योजना में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.003.1203. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 24,00.00	24,00.00	20,68.80	(-)3,31.20	₹ 24,00.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा निधि के आवर्धन का कारण योजना में प्रावधान नहीं किया जाना था। बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-03.003.1202. 0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 23,60.00	23,60.00	8,28.85	(-)15,31.15	₹ 23,60.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा निधि के आवर्धन का कारण योजना में प्रावधान नहीं किया जाना था। बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
4202-03.003.1201.0741 - ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 72,40.00	72,40.00	20,93.76	(-)51,46.24	₹ 72,40.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा निधि के आवर्धन का कारण योजना में प्रावधान नहीं किया जाना था। बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
4250-201.0102.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	मूल	28,00.00	28,00.00	30,24.43	+2,24.43	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2405-मछली उद्योग, 2801-बिजली, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36,85,25			
पूरक	0	36,85,25	21,88,69	(-)14,96,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				14,89,70

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	32,07,42,13			
पूरक	1,55,00,00	33,62,42,13	31,19,81,60	(-)2,42,60,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				95,50,28

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	35,00			
पूरक	3,20,00	3,55,00	3,02,00	(-)53,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				52,02

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 14,96.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 14,89.70 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.0101.4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	14,85.00 (-)4,63.45	10,21.55	10,14.69	(-)6.86	समर्पण के रूप में ₹ 4,63.45 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-01.001.0101.5018- बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,26.00	74.00	74.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,26.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2801-01.001.0101.6818- सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)9,00.00	11,00.00	11,00.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में ₹ 1,55,00.00 लाख एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 2,42,60.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 95,50.28 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.001.0701.7258- बरगी व्यपवर्तन योजना (सी.ए.डी. प्लान)	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)50,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-43.800.0703.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-)4,89.30	6,10.70	5,65.64	(-)45.06	₹ 4,89.30 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,06.59 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,82.71 लाख) वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-43.800.0701.6534- इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	मूल पुनर्वि.	18,80.00 (-)18,80.00	0.00	0.00	0.00	₹ 18,80.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 50.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 18,30.00 लाख) केन्द्रांश प्राप्त न होने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-45.800.0702.7369- कमान क्षेत्र विकास	मूल पुनर्वि.	48,00.00 (-)37,00.00	11,00.00	11,00.00	0.00	₹ 37,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (₹ 15,00.00 लाख)। ₹ 22,00.00 लाख की अवशेष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-45.800.0102.5177- परियोजना का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)22,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹ 22,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-51.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	30,49.99 (-)5,18.12	25,31.87	21,51.91	(-)3,79.96	समर्पण के रूप में ₹ 5,18.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त होने एवं वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-51.800.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)7,48.50	2,51.50	2,51.50	0.00	₹ 7,48.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-51.800.0101.9000- रानी अवंती बाई सागर परियोजना जबलपुर, यूनिट—दो	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)9,71.59	30,28.41	31,03.99	+75.58	₹ 9,71.59 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक बिलों के भुगतान एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-65.800.0102.5090- अपरवेदा परियोजना	मूल पुनर्वि.	11,66.41 (-)6,03.41	5,63.00	5,78.55	+15.55	₹ 6,03.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वास्तविक बिलों के भुगतान एवं कार्य की प्रगति के आधार के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.001.0101.2046- चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 25,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार के कारण हुई (₹ 5,00.00 लाख)। ₹ 20,00.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.001.0101.5013- मोरान्द गंजाल परियोजना	मूल पुनर्वि.	81,00.00 (-)80,99.43	0.57	0.00	(-)0.57	₹ 80,99.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य की प्रगति के आधार के कारण हुई।
4700-80.800.0103.1407- छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	15,00.00 15,58.03	30,58.03	9,80.70	(-)20,77.33	₹ 15,58.03 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति के आधार पर लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.0822- जावर उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)27,51.06	12,48.94	12,48.94	0.00	₹ 27,51.06 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-80.800.0101.1406- काली सिंध लिंक परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,40,00.00 25,00.00 (-)69,12.18	1,95,87.82	1,70,87.82	(-)25,00.00	₹ 69,12.18 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,06,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 36,87.82 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। वृद्धि कार्य की प्रगति के आधार पर लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1925- नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)8,33.65	1,66.35	47.43	(-)1,18.92	₹ 8,33.65 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक देयकों के भुगतान एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.1952- नमामि देवी नर्मदे	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 10,00.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-80.800.0101.1953- नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	मूल पुनर्वि.	3,00,00.00 (-)38,10.02	2,61,89.98	2,61,89.98	0.00	₹ 38,10.02 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (₹ 20,00.02 लाख)। ₹ 18,10.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.2333- एन.बी. कंपनी लिमिटेड का निवेश	मूल पुनर्वि.	3,00,00.00 (-)3,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,00,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर एवं नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड से संबंधित कार्यवाही प्रारंभिक स्थिति में होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.2334- नर्मदा—क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,75,00.00 10,00.00 (-)1,70,01.35	1,14,98.65	1,04,98.65	(-)10,00.00	₹ 1,70,01.35 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.6398- पुनास उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	24,80.00 (-)15,27.27	9,52.73	9,52.72	(-)0.01	₹ 15,27.27 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20,27.27 लाख की कमी एवं ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी कार्य की प्रगति के आधार पर हुई, जबकि वृद्धि के रखरखाव से संबंधित लंबित देयकों के परियोजना भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.6399- इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट—एक)	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)23,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	₹ 23,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (₹ 13,00.00 लाख)। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4701-45.800.0102.5152- हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)36,60.45	28,39.55	28,39.54	(-)0.01	₹ 36,60.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-01.203.0101.6403- इंदिरा सागर परियोजना यूनिट—एक का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)24,90.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹ 24,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-01.206.0101.6797- केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)9,52.45	47.55	41.79	(-)5.76	₹ 9,52.45 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (₹ 2,38.45 लाख)। ₹ 7,14.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4801-01.235.0101.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	9,75.00 (-)8,53.97	1,21.03	1,21.03	0.00	₹ 8,53.97 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (₹ 1,83.97 लाख)। ₹ 6,70.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-80.800.0101.2422- निष्पादन स्थापना (सी.ई. निचली नर्मदा परियोजना)	मूल पुनर्वि.	16,00.00 (-)15,16.00	84.00	84.00	0.00	₹ 15,16.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (₹ 10,20.00 लाख)। ₹ 4,96.00 लाख की अवशेष बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-80.800.0101.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	28,46.21 (-),8,34.96	20,11.25	20,20.49	+9.24	₹ 8,34.96 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 8,67.76 लाख की कमी एवं ₹ 32.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने एवं वास्तविक देयकों के भुगतान के आधार पर हुई। वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ते के भुगतान के कारण हुई।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.800.0701.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-),1,32.95	68,67.05	1,10,48.03	+41,80.98	₹ 1,32.95 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-45.001.0101.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	67,13.42 21,58.81	88,72.23	88,08.33	(-),63.90	₹ 21,58.81 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 23,04.70 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,45.89 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः अपर्याप्त प्रावधान होने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी पद रिक्त होने एवं वास्तविक व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.001.0101.1298- नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक सिंचाई योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	75,00.00 25,00.00 1,29,95.00	2,29,95.00	2,04,95.00	(-),25,00.00	₹ 1,29,95.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,40,16.28 लाख की वृद्धि एवं ₹ 10,21.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि देयकों के भुगतान हेतु राशि प्रावधान पर्याप्त न होने एवं लंबित राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0103.0651- उज्जैनी देवास उज्जैन पाइप लाइन योजना	मूल	35,00.00	1,19,96.08	1,10,24.62	(-)9,71.46	₹ 74,96.08 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 77,94.51 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,98.43 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः प्रावधान पर्याप्त न होने एवं कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। कमी वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	74,96.08				
4700-80.800.0103.1406- काली सिंध लिंक परियोजना	मूल	30,00.00	34,01.52	34,01.52	0.00	₹ 4,01.52 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।
	पुनर्वि.	4,01.52				
4700-80.800.0102.1250- अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल	60,00.00	2,95,89.02	2,70,88.99	(-)25,00.03	₹ 2,10,89.02 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पर्याप्त प्रावधान न होने, तीव्र प्रगति से चल रहे कार्य एवं लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	2,10,89.02				
4700-80.800.0102.2332- नर्मदा—झाबुआ—पेटलाबाद— थांदला—सरदारपुर उद्वहन योजना	मूल	10,00.00	62,30.00	62,30.00	0.00	₹ 52,30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः पर्याप्त प्रावधान न होने एवं कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पुनर्वि.	52,30.00				
4700-80.800.0101.0998- हरसूद उद्वहन सिंचाई योजना	मूल	15,00.00	60,00.00	60,00.00	0.00	₹ 45,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पर्याप्त प्रावधान न होने एवं कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पुनर्वि.	45,00.00				

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.0999- ढीमरखेड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 40,70.00	90,70.00	90,70.00	0.00	₹ 40,70.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 62,70.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 22,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 47,60.00 लाख)। ₹ 15,10.00 लाख की अवशेष वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.1001- नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 44,92.29	64,92.29	64,92.29	0.00	₹ 44,92.29 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य की प्रगति अनुसार लंबित बिलों के भुगतान एवं योजनान्तर्गत पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.1002- भीकनगांव—बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	10,00.00 10,00.00 18,36.00	38,36.00	28,35.85	(-)10,00.15	₹ 18,36.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पर्याप्त प्रावधान न होने, मोबेलाईजेशन अग्रिम का भुगतान करने एवं योजनान्तर्गत कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.1004- छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	60,00.00 30,00.00 44,91.51	1,34,91.51	1,04,72.27	(-)30,19.24	₹ 44,91.51 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन परियोजनान्तर्गत कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4700-80.800.0101.1407- छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,20,00.00 10,00.00 37,00.00	1,67,00.00	1,76,45.32	+9,45.32	₹ 37,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः परियोजनान्तर्गत कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ (₹ 26,00.00 लाख)। ₹ 11,00.00 लाख के अवशेष पुनर्विनियोग के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1408-बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल	75,00.00	1,84,48.67	1,74,48.67	(-)10,00.00	₹ 99,48.67 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 99,50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.33 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान एवं परियोजनान्तर्गत पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण हुई। कमी वास्तविक देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	99,48.67				
4801-80.800.0101.4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	मूल	1,74,26.78	3,46,51.99	3,38,91.10	(-)7,60.89	₹ 1,72,25.21 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,01,02.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 28,76.79 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि के विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु एवं कार्य की प्रगति अनुसार लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एवं कार्य की प्रगति अनुसार हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	1,72,25.21				

(7) उचन्त लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत किये गए व्यय में "उचन्त" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। "उचन्त" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे में टिप्पणी (5) में दी गई हैं।

2018-19 तक इस अनुदान में विभिन्न उचन्त उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचन्त लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंतशेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(1) भण्डार	+13.47	0.00	0.00	+13.47
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)3.82	0.00	0.00	(-)3.82
योग	+9.65	0.00	0.00	+9.65

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	(-)55.08	0.00	0.00	(-)55.08
(2) भण्डार	(-)21,11.65	0.00	0.00	(-)21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)1,02.80	0.00	0.00	(-)1,02.80
(4) कार्यशाला उचंत	(-)2,58.61	0.00	0.00	(-)2,58.61
योग	(-)25,28.14	0.00	0.00	(-)25,28.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) भण्डार	+67.09	0.00	0.00	+67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)2,37.78	0.00	0.00	(-)2,37.78
योग	(-)1,70.69	0.00	0.00	(-)1,70.69

प्रभारित

- (8) ₹ 53.00 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 3,20.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 53.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 52.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641-स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	20.00 3,20.00 (-)37.02	3,02.98	3,02.00	(-)0.98	समर्पण के रूप में ₹ 37.02 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4801-80.800.0101.4641-स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत डिफ़िकल्ट प्रकरणों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,51,89,85			
पूरक	18,64,00	10,70,53,85	7,77,60,94	(-)2,92,92,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,56,56,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	20	(-)80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				80

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,91,30,03			
पूरक	0	2,91,30,03	1,98,98,41	(-)92,31,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				26,02,19

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 18,64.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,92,92.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,56,56.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.0101.1474- जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	23,52.87 (-)8,56.25	14,96.62	14,96.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,56.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0803.7764- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	1,30,00.00 (-)14,38.85	1,15,61.15	1,15,61.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 14,38.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2225-01.277.0103.1398- सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,38,03.25 (-)27,34.95	1,10,68.30	1,03,27.23	(-)7,41.07	₹ 27,34.95 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 33,07.95 लाख की कमी (समर्पण ₹ 27,34.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,73.00 लाख) एवं ₹ 5,73.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशियों का आहरण न करने एवं संभावित बचत के कारण हुई (₹ 5,82.38 लाख)। वृद्धि संभावित व्यय एवं लंबित देयताओं के कारण हुई। ₹ 27,25.57 लाख की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2225-01.277.0103.7562- उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	13,33.27 (-4,75.33)	8,57.94	6,03.11	(-2,54.83)	₹ 4,75.33 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशियों का आहरण न करने एवं संभावित बचत के कारण हुई (₹ 16.50 लाख)। ₹ 4,58.83 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7764- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	1,70,00.00 (-1,29,58.00)	40,42.00	40,42.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,29,58.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-33,68.85)	36,31.15	36,31.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 33,68.85 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0703.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत राहत	मूल पूरक पुनर्वि.	60,80.00 9,89.00 (-15.84)	70,53.16	58,47.64	(-12,05.52)	समर्पण के रूप में ₹ 15.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2801-06.800.0603.5084- अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-15,56.38)	34,43.62	34,43.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 15,56.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	17,00.00 3,87.78	20,87.78	18,97.31	(-1,90.47)	₹ 3,87.78 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,86.56 लाख की वृद्धि एवं ₹ 98.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बजट प्रावधान पर्याप्त न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 92,31.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 26,02.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,21,00.00 (-)27,16.53	93,83.47	43,70.63	(-)50,12.84	₹ 27,16.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई (₹ 22,57.53 लाख)। ₹ 4,59.00 लाख की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4225-01.800.0103.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,18,00.00 (-)24,67.77	93,32.23	82,79.87	(-)10,52.36	₹ 24,67.77 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (₹ 3,72.71 लाख)। ₹ 20,95.06 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 22,50.00	23,50.00	20,45.23	(-)3,04.77	₹ 22,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन योजना शीर्षान्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4225-01.800.0103.6101- संत रविदास स्मारक निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 2,57.80	2,57.81	64.52	(-)1,93.29	₹ 2,57.80 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,62.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4.20 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार शिवपुरी एवं अशोकनगर में संत रविदास स्मारक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0103.6821- शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 96.81	96.82	96.82	0.00	₹ 96.81 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 97.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.19 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के आदेशानुसार भू-अर्जन अधिकारी को राशि के भुगतान के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,29,64,25			
पूरक	4,95,64,48	16,25,28,73	13,71,62,96	(-)2,53,65,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				81,19

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,53,65.77 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 4,95,64.48 लाख का अनुपूरक अनुदान जून 2018 में प्राप्त किया गया (₹ 4,84,40.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ, जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 11,24.48 लाख अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,53,65.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 81.19 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.6475- विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता भारत सरकार से राशि अप्राप्त रहने के कारण हुई।
2401-109.0701.7692- राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल	5,50.00	5,50.00	0.00	(-)5,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता भारत सरकार से राशि अप्राप्त रहने के कारण हुई।
2401-109.0101.2292- उद्यानिकी भावान्तर योजना	मूल पुनर्वि.	2,50,00.00 (-)2,50,00.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, शीर्ष में योजना के निरस्त होने के कारण हुई।
2401-119.0703.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना	मूल पुनर्वि.	48,59.77 (-)37,00.00	11,59.77	6,08.66	(-)5,51.11	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 37,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। अंतिम बचत केन्द्रांश की राशि माह मार्च के अंत में प्राप्त होने एवं आहरण प्रतिबंधित होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0702.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना	मूल पुनर्वि.	57,83.97 (-)37,00.00	20,83.97	14,78.76	(-)6,05.21	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 37,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0701.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना	मूल पुनर्वि.	1,93,56.26 (-)48,08.00	1,45,48.26	91,87.59	(-)53,60.67	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 48,08.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	57,73.23	57,73.23	11,82.51	(-)45,90.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2401-119.0103.6496-	मूल	7,60.00	7,60.00	1,59.39	(-)6,00.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना						
2401-119.0103.6497-	मूल	2,74.83	2,74.83	93.93	(-)1,80.90	बचत अधिकांश अ.जा./अ. ज.जा. कृषकों के ऋण स्वीकृत नहीं हो पाने के कारण हुई।
व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना						
2401-119.0103.6520-	मूल	1,00.00	1,00.00	24.32	(-) 75.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना						
2401-119.0103.6522-	मूल	50.00	50.00	7.47	(-)42.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना						
2401-119.0103.7370-	मूल	1,37.00	1,37.00	10.78	(-)1,26.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण						
2401-119.0102.2816-	मूल	9,48.00	9,48.00	3,74.40	(-)5,73.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
फसल बीमा योजना						
2401-119.0102.6496-	मूल	9,60.00	9,60.00	2,58.28	(-)7,01.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना						
2401-119.0102.6497-	मूल	4,00.27	4,00.27	1,90.92	(-)2,09.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना						
2401-119.0102.6520-	मूल	2,00.00	2,00.00	41.18	(-)1,58.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना						
2401-119.0102.6522-	मूल	1,50.00	1,50.00	15.54	(-)1,34.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना						

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0102.7370-शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,26.45 (-33.40)	1,93.05	36.16	(-1,56.89)	₹ 33.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2401-119.0101.2816-फसल बीमा योजना	मूल	34,40.00	34,40.00	15,34.88	(-19,05.12)	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	मूल	3,00.00	3,00.00	1,41.00	(-1,59.00)	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.6522-मसाला क्षेत्र विस्तार योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	1,71.98	(-2,28.02)	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.7370-शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	8,14.75 (-47.20)	7,67.55	1,43.58	(-6,23.97)	₹ 47.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0101.2378-कृषि समृद्ध योजना-प्याज एवं लहसुन फसल हेतु उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना	पूरक पुनर्वि.	4,84,40.00 3,72,08.00	8,56,48.00	8,55,01.43	(-1,46.57)	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,72,08.00 लाख निधियों का आवर्धन नई योजना लागू होने के कारण हुआ। अंतिम बचत आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,47,58,00			
पूरक	10,00,00	2,57,58,00	1,89,05,78	(-)68,52,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				41,84

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 (₹ 10,00.00 लाख) एवं फरवरी 2019 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 68,52.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र 41.84 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0258- अन्य संस्थाओं को अनुदान	मूल	5,00.00	5,00.00	5.00	(-)4,95.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,02.11 (-)3.10	99.01	36.12	(-)62.89	₹ 3.10 लाख की प्रत्याशित बचत वाहन क्रय के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.2003- धर्मार्थ	मूल पुनर्वि.	50.50 3.10	53.60	7.77	(-)45.83	₹ 3.10 लाख के पुनर्वियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन न्यायालयीन प्रकरणों में अधिवक्ता की फीस के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल	3,00.00	3,00.00	6.10	(-)2,93.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.6225- सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक	मूल पूरक	12,00.00 10,00.00	22,00.00	10,50.44	(-)11,49.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.6273- तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	मूल	3,00.00	3,00.00	1,21.50	(-)1,78.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.6292- धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	मूल पुनर्वि.	18,00.00 (-)41.84	17,58.16	14,77.34	(-)2,80.82	₹ 41.84 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.0101.2105- मेला प्राधिकरण	मूल	4,00.00	4,00.00	1,62.00	(-)2,38.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा योजना	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	1,59,52.49	(-)40,47.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,30,95,60			
पूरक	1,41,00,00	10,71,95,60	9,06,74,75	(-)1,65,20,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 जनवरी 2019)				2,09,81

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,85,57,72			
पूरक	1,65,00,00	12,50,57,72	10,61,27,21	(-)1,89,30,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 जनवरी 2019)				10,48,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (सांकेतिक) एवं जनवरी 2019 (₹ 1,41,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,41,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ₹ 1,65,20.85 लाख की अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 15 जनवरी 2019 को केवल ₹ 2,09.81 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.800.0103.6105- पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल 85.00	85.00	23.74	(-)61.26 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0101.2052- ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	55.00 (-)40.00	15.00	0.00	(-)15.00	समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत भर्ती विचाराधीन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-05.105.0101.5674- निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना	मूल	25.00	25.00	2.10	(-)22.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-05.105.0101.6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल	3,25.00	3,25.00	1,31.63	(-)1,93.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-05.105.0101.7502- चिकित्सा महाविद्यालयों में आई.सी.टी. सपोर्ट / प्रशिक्षण सहायता / स्मार्ट क्लास का उन्नयन	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-05.105.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	50.00	50.00	5.74	(-)44.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2210-05.105.0101.9080- रतलाम / दतिया / शिवपुरी / छिन्दवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,69,46.00 (-)41,54.19	1,27,91.81	62,70.98	(-)65,20.83	₹ 41,54.19 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 41,84.19 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,38.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 40,46.19 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी योजना के अंतर्गत छात्रों की उपलब्धता ना होना, स्वायत्त संस्था व आदर्श सेवा भत्ता 2018 के अंतर्गत व्यय किये जाने से संभावित बचत, वित्त विभाग के निर्देशानुसार किराये के वाहनों के कारण नये वाहन क्रय ना किये जाने, नये महाविद्यालय द्वारा कम खर्च किया जाना, शीर्ष के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक बजट से पहले संभावित बचत दर्शित होने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण / कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0961- कैंसर अस्पताल ग्वालियर को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1.40 1,30.00	1,31.40	1,30.00	(-)1.40	₹ 1,30.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन द्वितीय अनुपूरक बजट के विगत बकाया देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 1,65,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 1,89,30.51 लाख की अत्यधिक अंतिम बचत के विरुद्ध, 15 जनवरी 2019 को केवल ₹ 10,48.50 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	97,00.00 (-)76,00.00	21,00.00	19,96.14	(-)1,03.86	₹ 76,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 9,00.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 67,00.00 लाख) पूँजीगत शीर्ष के अधीन ग्रांट मद के शामिल होने, निर्माण एजेंसी एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य एजेंसी के बकाया देयकों का भुगतान एवं द्वितीय अनुपूरक बजट के पूर्व बकाया देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0701.1944- चिकित्सा महाविद्यालय में बायरोलॉजी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,52.67 (-)4,49.67	3.00	0.00	(-)3.00	₹ 4,49.67 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 27.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,22.67 लाख) प्रारंभिक निर्माण कार्य एजेंसियों को भुगतान, पूँजीगत शीर्ष के अधीन ग्रांट मद के शामिल होने एवं मंत्री परिषद् द्वारा विभिन्न योजनाओं को आयुर्विज्ञान संस्था, जबलपुर से वित्त पोषित किये जाने एवं शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.1946- बर्न यूनिट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)2,80.00	7,20.00	4,97.49	(-)2,22.51	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत केवल अनिवार्य व्यय किये जाने, निर्माण कार्य के बकाया देयकों के भुगतान और पी.आई.यू. को हस्तांतरित बजट में बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई।
4210-03.105.0701.2064- टरटियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	45,00.00 (-)44,50.00	50.00	30.00	(-)20.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत पी.आई.यू. को हस्तांतरित बजट में बचत होने, केवल अनिवार्य व्यय किये जाने, निर्माण कार्य के बकाया देयकों के भुगतान के दौरान विशेष परिस्थितियों में बचत, द्वितीय अनुपूरक बजट के पूर्व बचत परिलक्षित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0701.5315- एलाईट हेल्थ सेंटर	पूरक	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.2060- चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.बी. चेस्ट विभाग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	13,00.00 (-)10,69.20	2,30.80	1,24.65	(-)1,06.15	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,69.20 लाख की प्रत्याशित बचत पी.आई.यू. को हस्तांतरित बजट में बचत होने एवं मंत्री परिषद् द्वारा विभिन्न योजनाओं को आयुर्विज्ञान संस्था, जबलपुर से वित्त पोषित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.5314- सिवनी, छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण	पूरक	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.6335- चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	95,00.00 (-)83,41.00	11,59.00	7,28.84	(-)4,30.16	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83,41.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः पी.आई. यू. को हस्तांतरित बजट में बचत, प्रारंभिक निर्माण कार्य एजेंसियों को भुगतान हेतु आंतरिक बचत उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई (₹ 27,41.00 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)3,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)15,00.00	10,00.00	4,70.00	(-)5,30.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.7280- मानसिक चिकित्सालय इन्दौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,10.00 (-)24.18	85.82	18.51	(-)67.31	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24.18 लाख की प्रत्याशित बचत अनिवार्य व्यय किये जाने और निर्माण कार्य के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु विशेष परिस्थितियों में बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.800.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)25,44.00	14,56.00	3,08.01	(-)11,47.99	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 25,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः शीर्ष में संभावित बचत परिलक्षित होने, दायित्वों के भुगतान, अनिवार्य व्ययों के भुगतान हेतु एवं निर्माण एजेंसियों के देयकों के भुगतान किये जाने के कारण हुई (₹ 20,44.00 लाख)। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा समाप्त

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	55,00.00 12,00.0	67,00.00	62,93.09	(-)4,06.91	₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0420.9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	1,44,00.00 1,00.00 56,00.00	2,01,00.00	1,94,94.81	(-)6,05.19	₹ 56,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अंशतः एम.पी.आर.डी.सी. एवं पी.आई.यू. व अन्य निर्माण एजेंसियों के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान से पूर्व लंबित देयकों के भुगतान हेतु हुआ (₹ 54,00.00 लाख)। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4210-03.105.0101.7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	25,05.00 55,00.00 97,83.67	1,77,88.67	1,52,88.17	(-)25,00.51	₹ 97,83.67 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,12,84.07 लाख की वृद्धि एवं ₹ 15,00.40 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 14,95.90 लाख) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि का कारण लम्बित दायित्वों का भुगतान, ₹ 1,50 करोड़ के बजट के मांग के विरुद्ध केवल ₹ 10 करोड़ का बजट स्वीकृत किये जाने, निर्माण एजेंसी के लंबित देयकों के भुगतान हेतु जबकि कमी अनिवार्य व्यय किये जाने एवं निर्माण कार्यों के लंबित देयकों के भुगतान के दौरान विशेष परिस्थितियों में बचत, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने एवं मंत्री परिषद् द्वारा विभिन्न योजनाओं को आयुर्विज्ञान संस्था, जबलपुर से वित्त पोषित किये जाने के कारण संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,09,29,43,79			
पूरक	36,39,34,22	3,45,68,78,01	2,69,79,07,76	75,89,70,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				49,84,82,51

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,54,80,01			
पूरक	61,17,94	2,15,97,95	72,25,31	(-)1,43,72,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				70,72,55

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 14,15,47.79 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 22,23,86.43 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 36,39,34.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 75,89,70.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 49,84,82.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.196.0101.8403- पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल पूरक पुनर्वि.	49,71,18.21 16,00,00.00 (-)7,85,45.97	57,85,72.24	57,68,22.10	(-)17,50.14	प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
2215-02.198.0703.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	4,49,19.58 (-)2,66,94.66	1,82,24.92	1,37,32.96	(-)44,91.96	₹ 2,66,94.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-02.198.0702.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	5,61,58.70 (-)3,33,74.92	2,27,83.78	1,71,67.91	(-)56,15.87	₹ 3,33,74.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-02.198.0701.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	12,23,21.72 (-)7,27,01.20	4,96,20.52	3,73,88.35	(-)1,22,32.17	₹ 7,27,01.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-03.198.0703.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	15,00,00.00 (-)1,50,00.00	13,50,00.00	13,50,00.00	0.00	₹ 1,50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0702.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	15,00,00.00 (-1,50,00.00)	13,50,00.00	13,50,00.00	0.00	₹ 1,50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2216-03.198.0701.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	36,00,00.00 (-7,76,33.86)	28,23,66.14	28,23,66.14	0.00	₹ 7,76,33.86 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2501-06.198.0702.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-1,14,79.16)	85,20.84	65,20.84	(-)20,00.00	₹ 1,14,79.16 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2501-06.198.0701.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	2,92,00.00 (-1,63,24.58)	1,28,75.42	99,55.42	(-)29,20.00	₹ 1,63,24.58 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2505-01.198.0702.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	7,00,00.00 1,50,00.00 (-71,93.99)	7,78,06.01	7,08,06.01	(-)70,00.00	₹ 71,93.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2505-01.198.0701.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	8,00,00.00 2,50,00.00 (-1,49,23.73)	9,00,76.27	8,20,76.27	(-)80,00.00	₹ 1,49,23.73 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0702.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,96,00.00 (-)1,11,26.19	2,84,73.81	2,45,13.81	(-)39,60.00	₹ 1,11,26.19 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के एवं वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0701.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	4,95,00.00 (-)99,07.65	3,95,92.35	3,46,42.35	(-)49,50.00	₹ 99,07.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के एवं वित्त विभाग से आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0101.1221- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	20,13,27.00	20,13,27.00	17,87,79.42	(-)2,25,47.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2853-02.198.0101.6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	मूल पुनर्वि.	2,79,97.53 71,07.74	3,51,05.27	1,53,34.20	(-)1,97,71.07	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 71,07.74 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।
3604-197.0101.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,69,63.05 6,20.83	2,75,83.88	1,66,12.09	(-)1,09,71.79	₹ 6,20.83 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 36,04.74 की कमी एवं ₹ 42,25.57 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण डी.डी.ओ द्वारा आहरण न किये जान था। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-198.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	पूरक पुनर्वि.	1,09,31.90 (-)1,09,31.90	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
3604-198.6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	पूरक पुनर्वि.	1,03,97.18 (-)1,03,97.18	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
3604-198.0103.7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल पूरक	1,67,90.40 29,26.79	1,97,17.19	53,15.28	(-)1,44,01.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
3604-198.0102.7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल पूरक	2,60,79.16 50,00.00	3,10,79.16	1,11,89.83	(-)1,98,89.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
3604-198.0101.7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल पूरक	8,77,91.52 1,24,34.70	10,02,26.22	7,58,63.16	(-)2,43,63.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0102.6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन	मूल पुनर्वि.	52,00.00 8,66.00	60,66.00	60,66.00	0.00	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,66.00 लाख की निधियों का आवर्धन ई.एम.आई. का बैंकों को भुगतान किये जाने के कारण हुई।

पूँजीगत:

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, (जून 2018 में ₹ 61,00.80 लाख एवं जनवरी 2019 में ₹ 17.14 लाख का प्राप्त किया गया) ₹ 61,17.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 1,43,72.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 70,72.55 लाख मात्र की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	3,30.00 (-)3,30.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2019)।
4515-800.0103.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	88,00.00 (-) 47,50.85	40,49.15	9,63.04	(-)30,86.11	₹ 47,50.85 लाख की प्रत्याशित डी.डी.ओं द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,87,78,03			
पूरक	0	1,87,78,03	1,87,77,98	(-) 5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	47,02,31,35			
पूरक	5,74,25,55	52,76,56,90	41,94,34,25	(-)10,82,22,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,68,35,49

कुल व्यय ₹ 41,94,34.25 लाख में महिला एवं बाल विकास विभाग के शीर्षान्तर्गत 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रायोजित योजना (सामान्य)-0658-आंगनवाड़ी सेवायें (₹ 22,20.79 लाख), 2235-02-102-0702-केन्द्र प्रायोजित योजना एस.टी.एस.पी. (उप योजना)-0658-आंगनवाड़ी सेवायें (₹ 10,00.00 लाख) एवं 2235-02-102-0703-केन्द्र प्रायोजित योजना-अनुसूचित जाति उप योजना (उप योजना)-0658-आंगनवाड़ी सेवायें (₹ 29,97.96 लाख) ₹ 62,18.75 लाख की राशि शामिल है और 31 मार्च 2019 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00			
पूरक	0	15,00	0	(-)15,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				15,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,33,52,06			
पूरक	0	1,33,52,06	28,62,43	(-)1,04,89,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,03,42,40

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 5,74,25.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 10,82,22.65 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2019 को ₹ 10,68,35.49 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.5508- महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव	मूल पुनर्वि.	4,50.00 (-)2,14.64	2,35.36	1,08.03	(-)1,27.33	समर्पण के रूप में ₹ 2,14.64 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.102.0830- किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	मूल पुनर्वि.	34.50 (-)32.92	1.58	0.17	(-)1.41	समर्पण के रूप में ₹ 32.92 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.102.1201.1291- आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-सिनप)/ एन.एन.एम.	मूल पूरक पुनर्वि.	75,44.57 2,12,34.38 (-)2,18,83.74	68,95.21	68,87.16	(-)8.05	समर्पण के रूप में ₹ 2,18,83.74 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.102.0701.0658- आँगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	3,46,06.08 (-)92,74.21	2,53,31.87	2,53,31.68	(-)0.19	₹ 2,53,31.68 लाख का व्यय इस शीर्ष में ₹ 22,20.79 लाख के नामे द्वारा बढ़ाया गया तथा 31 मार्च 2019 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा को जमा किया गया। ₹ 92,74.21 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,47,36.21 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,42,74.21 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,62.00 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,62.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भारत सरकार से स्वीकृति ना प्राप्त होने, कई पदों के वेतन अन्य योजनाओं से आहरित किये जाने के कारण हुई (₹ 1,47,16.21 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0701.9248- किशोरी शक्ति योजना	मूल पुनर्वि.	3,30.00 (-)3,30.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0830- किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	मूल पुनर्वि.	34.50 (-)34.50	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.9132- रूषा किरण केन्द्र (निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था)	मूल पुनर्वि.	9,93.69 (-)7,90.98	2,02.71	2,02.11	(-)0.60	समर्पण के रूप में ₹ 7,90.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0801.1071- महिला हेल्प लाईन 181	मूल पुनर्वि.	1,14.63 (-)1,14.63	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0702.1204- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	मूल पुनर्वि.	10.68 (-)10.68	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.1204- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	मूल पुनर्वि.	3,37.80 (-)3,37.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.1422- ग्राम कन्वर्जेशन एवं सुविधा सेवा	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.1914- उज्ज्वला योजना	मूल पुनर्वि.	15.50 (-)15.50	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.2375- सेफ सिटी कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	1,74.51 (-)1,74.51	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.5285- राज्य महिला संसाधन केन्द्र	मूल पुनर्वि.	33.45 (-)33.45	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0701.6917- प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई)	पूरक पुनर्वि.	1,10,16.65 (-)30,08.42	80,08.23	80,08.23	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 30,08.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.9028-पूर्ण शक्ति केन्द्र योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0103.5033-वैश्या उन्मूलन योजना	मूल पुनर्वि.	3,87.11 (-)3,09.08	78.03	78.03	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,09.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0101.5033 - वैश्या उन्मूलन योजना	मूल पुनर्वि.	12.63 (-)12.63	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.103.0101.5067-लाइली लक्ष्मी योजना	मूल पुनर्वि.	5,87,41.33 (-)70,71.59	5,16,69.74	5,16,69.74	0.00	₹ 70,71.59 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 69,72.03 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 99.56 लाख) प्रावधान में अंशतः आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने के कारण संभावित बचत के कारण हुआ (₹ 98.56 लाख)। शेष बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2235-02.800.0101.3457-मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)86.87	13.13	13.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 86.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2236-02.101.0703.6392 - किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	90,24.74 (-)78,21.98	12,02.76	12,02.76	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 78,21.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
2236-02.101.0702.9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	4,85,17.95 (-)1,14,61.22	3,70,56.73	3,70,88.43	+31.70	समर्पण के रूप में ₹ 1,14,61.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2236-02.101.0701.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	1,37,05.26 (-)1,12,15.10	24,90.16	24,90.16	0.00	₹ 1,12,15.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 62,15.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 50,00.00 लाख) अंशतः भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी होने से हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0701.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	6,00,00.02 (-)70,66.84	5,29,33.18	5,29,35.52	+2.34	समर्पण के रूप में ₹ 70,66.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

प्रभारित

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.9041- महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

पूंजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 1,04,89.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,03,42.40 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	13,52.00 (-)13,52.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4235-02.102.0701.0658- ऑगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	51,00.00 (-)51,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.102.0101.5360- ऑगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)29,90.34	30,09.66	28,62.43	(-)1,47.23	समर्पण के रूप में ₹ 29,90.34 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0101.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)8,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,29,83,55			
पूरक	सांकेतिक	2,29,83,55	1,91,11,76	(-)38,71,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				15,37,85

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,41,40			
पूरक	0	3,41,40	72,09	(-)2,69,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				2,24,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 38,71.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 15,37.85 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0931- केन्द्रीय कार्यालय	मूल पुनर्वि.	4,93.72 22.00	5,15.72	3,84.22	(-)1,31.50	₹ 22.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 34.25 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कैंसर की बीमारी से संबंधित इलाज हेतु कमिश्नर की पत्नी के कैंसर से संबंधित लंबित चिकित्सा देयकों की पूर्तिपूर्ति एवं नवीन वाहन के क्रय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.2542-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल पुनर्वि.	9,83.87 (-)13.00	9,70.87	8,41.77	(-)1,29.10	₹ 13.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 15.10 लाख की कमी एवं ₹ 2.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2851-104.0101.9062-हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को स्थापना हेतु अनुदान	मूल पूरक	6,09.01 सांकेतिक	6,09.01	4,58.22	(-)1,50.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2851-105.0101.1068-खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान	मूल पूरक	14,08.27 सांकेतिक	14,08.27	9,77.37	(-)4,30.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2851-107-3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	23,90.45 (-)4,07.78	19,82.67	19,48.51	(-)34.16	₹ 4,07.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,09.33 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,07.78 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.55 लाख) एवं ₹ 1.55 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि ग्रेड-पे एवं अवकाश यात्रा सुविधा के देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 4,09.33 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	1,61.28 (-)24.32	1,36.96	56.55	(-)80.41	समर्पण के रूप में ₹ 24.32 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0102.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	5,22.13 (-)2,02.69	3,19.44	2,38.58	(-)80.86	समर्पण के रूप में ₹ 2,02.69 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (₹ 10.17 लाख)। ₹ 1,92.52 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0102.5146- टशर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	6,91.00 (-)2,05.85	4,85.15	3,95.19	(-)89.96	समर्पण के रूप में ₹ 2,05.85 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	18,70.39 (-)3,29.33	15,41.06	12,89.36	(-)2,51.70	₹ 3,29.33 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण नहीं किये जाने एवं विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.6778- एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल पुनर्वि.	6,80.01 (-)1,01.44	5,78.57	4,82.81	(-)95.76	समर्पण के रूप में ₹ 1,01.44 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 2,69.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 2,24.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0103.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	2,94.00 (-)2,24.92	69.08	53.19	(-)15.89	₹ 2,24.92 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (₹ 65.85 लाख)। ₹ 1,59.07 लाख की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	47.40	47.40	18.90	(-)28.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें**

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई है।

2018-19 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—		(लाख ₹ में)		
(1) भंडार	(-)0.27	0.00	0.00	(-)0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2.21	0.00	0.00	+2.21
योग	+1.94	0.00	0.00	+1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-)1,94.83	0.00	0.00	(-)1,94.83
(2) भंडार	+11,80.11	0.00	0.00	+11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+8,01.70	0.00	0.00	+8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+49.66	0.00	0.00	+49.66
योग	+18,36.64	0.00	0.00	+18,36.64

**अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,10,72,95			
पूरक	2,30,08,00	25,40,80,95	24,49,99,58	(-)90,81,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,28,78

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00,00			
पूरक	0	6,00,00	4,08,37	(-)1,91,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				91,63

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 90,81.37 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 30,08.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 90,81.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,28.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 90,81.37 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:—

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

[अ] बचत

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.102.6434- ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल परिवहन	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-)7,60.00	3,40.00	93.41	(-)2,46.59	₹ 7,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल परिवहन की माँग कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-02.101.2018- नगद दान	मूल पूरक पुनर्वि.	72,00.00 50,00.00 (-)48,88.40	73,11.60	71,39.16	(-)1,72.44	₹ 48,88.40 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्त वर्ष में बाढ़ से क्षति न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.102.6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल	5,00.00	5,00.00	1,06.24	(-)3,93.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.103.6949- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि	मूल	7,00.03	7,00.03	0.00	(-)7,00.03	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

[ब] आधिक्य

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-02.101.0747- ओला पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	40,00.00 1,59,00.00	1,99,00.00	1,93,36.09	(-)5,63.91	₹ 1,59,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,00,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 41,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि ओला पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी ओला से व्यापक क्षति न होने से ओला पीड़ितों को कम राहत राशि वितरित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.800.5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अन्तर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	मूल	1,10,00.00				₹ 12,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन राजस्व पुस्तक 6-4 के अन्तर्गत आपदा में आर्थिक सहायता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
	पुनर्वि.	12,00.00	1,22,00.00	1,32,88.65	+10,88.65	
2245-80.800.7249-कीट प्रकोप से क्षति	मूल	3,96.05				₹ 44,88.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कीट प्रकोप से प्रभावितों को राहत राशि के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पुनर्वि.	44,88.40	48,84.45	35,33.45	(-)13,51.00	

(4) अकाल राहत निधि					
2245-05-101-0474- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि			0.01	0.00	(-) 0.01
<p>यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई हैं। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।</p>					
<p>वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।</p>					

31 मार्च 2019 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-				
विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-निधि लेखा	(-)5,92.81	0.00	0.00	(-)5,92.81
(2) 102-निवेश लेखा	(-)5.34	0.00	0.00	(-)5.34
कुल	(-)5,98.15	0.00	0.00	(-)5,98.15
<p>निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2018-19 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।</p>				

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(5) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2018-19 हेतु निधि का अंशदान ₹ 10,16,00.00 लाख निश्चित किया गया, जिसका 90 प्रतिशत (₹ 9,14,40.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 10 प्रतिशत (₹ 1,01,60.00 लाख) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-भारत की राज्य आपदा राहत निधि" में अंतिम शेष ₹ 1,02,46.44 लाख था। यह राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा निधि में मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों-111-आपदा राहत निधि से अंतरित की गई है। क्योंकि आपदा राहत निधि-14 दिसम्बर 2010 से अस्तित्व में नहीं है। म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शेषों के प्रभाजन के फलस्वरूप मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अन्तर्गत म.प्र. का 1 अप्रैल 2018 को ₹ 75,18.84 लाख (क्रेडिट) का शेष था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन धन निधि-अकाल राहत निधि" में ₹ 10,16,00.00 लाख नामे कर, मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 10,16,00.00 लाख की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 10,16,00.00 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2019 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹ 75,18.84 लाख का शेष था। जबकि निधि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी- 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2018-19 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

* भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान म.प्र. सरकार को जारी अतिरिक्त सहायता के रूप में राशि ₹ 3,34,00.00 लाख प्राप्त हुई, जो कि म.प्र. सरकार द्वारा वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय समाप्त

पूँजीगत:

- (6) ₹ 1,91.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 91.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-101.1301.2065-14वाँ वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)91.63	4,08.37	4,08.37	0.00	समर्पण के रूप में 91.63 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, के दौरान भी बचत हुई थी।
6245-01.800.2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें**

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00,00			
पूरक	5,00,00,00	10,00,00,00	8,00,00,00	(-)2,00,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,00,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 2,00,00.00 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जून 2018 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.1203.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (वाह्य वित्त पोषित)	मूल पूरक पुनर्वि.	60,00.00 60,00.00 (-)24,00.00	96,00.00	96,00.00	0.00	इन शीर्षों के अन्तर्गत समर्पण के रूप में ₹ 24,00.00 लाख, ₹ 60,00.00 लाख एवं ₹ 1,16,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
4515-800.1202.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (वाह्य वित्त पोषित)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,50,00.00 1,50,00.00 (-)60,00.00	2,40,00.00	2,40,00.00	0.00	
4515-800.1201.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (वित्त पोषित)	मूल पूरक पुनर्वि.	2,90,00.00 2,90,00.00 (-)1,16,00.00	4,64,00.00	4,64,00.00	0.00	

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	44,65,00			
पूरक	0	44,65,00	43,81,05	(-)83,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				89,86

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,92,22,35			
पूरक	0	4,92,22,35	4,13,01,94	(-)79,20,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				52,56,33

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 31 मार्च 2019 को किया गया ₹ 89.86 लाख का अभ्यर्पण, ₹ 83.95 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।

पूंजीगत:

- (2) ₹ 79,20.41 लाख की उपलब्ध बचत राशि के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 52,56.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0103.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	45,33.00 (-4,83.83)	40,49.17	39,96.38	(-)52.79	₹ 4,83.83 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4515-103.0102.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	82,35.00 (-11,74.64)	70,60.36	68,54.02	(-)2,06.34	₹ 11,74.64 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।
4515-103.0101.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	72,32.00 (-30,56.87)	41,75.13	37,76.41	(-)3,98.72	₹ 30,56.87 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 4,49.11 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 26,07.76 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0101.5775- विन्ध्य विकास प्राधिकरण	मूल पुनर्वि.	4,51.27 (-71.82)	3,79.45	3,60.07	(-)19.38	₹ 71.82 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

**अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली पालन, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2700-मुख्य सिंचाई, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,05,79			
पूरक	0	2,05,79	1,85,14	(-)20,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 एवं 31 मार्च 2019)				20,60

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,00,11			
पूरक	0	30,00,11	29,99,99	(-)12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 20.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 20.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2403-800.0701.6078- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास	मूल पुनर्वि. 2,05.71 (-)20.57	1,85.14	1,85.14	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 20.57 लाख की प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने से दस प्रतिशत राशि विमुक्त न होने के कारण हुई।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 0.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 0.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 62—पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,96,48,13			
पूरक	0	1,96,48,13	1,71,60,32	(-)24,87,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-)1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 24,87.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 24,38.01 लाख अभ्यर्पित किये गये, किन्तु स्वीकृति कट ऑफ दिनांक (24.05.2019) के पश्चात् दिनांक 07.06.2019 को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2515-101.2474- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	मूल 1,88,21.27	1,88,21.27	1,65,69.73	(-)22,51.54	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 30.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि का कारण ग्रेड वेतन का भुगतान जबकि कमी का कारण पदों का रिक्त रह जाना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल 6,72.06	6,72.06	4,81.76	(-)1,90.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों का कल्याण, 4225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,18,37			
पूरक	0	25,18,37	16,21,15	(-)8,97,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				29

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00,00			
पूरक	0	6,00,00	23,31	(-)5,76,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 8,97.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 0.29 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.6609- पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	मूल	58.17	58.17	23.11	(-)35.06	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63— अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.8244-	मूल	1,79.86	1,79.86	1,16.48	(-)63.38	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
अल्प संख्यक आयोग						
2225-03.800.9413-	मूल	1,68.21	1,68.21	77.23	(-)90.98	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
वक्फ न्यायाधिकरण का गठन।						
2225-03.800.0801.2082-	मूल	4,50.00	4,50.00	0.00	(-)4,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
अल्प संख्यकों को मदरसा / शिक्षा प्रदान करना						
2225-03.800.0101.6626-	मूल	51.00	51.00	0.00	(-)51.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार						
2225-03.800.0101.7215-	मूल	6,40.00	6,40.00	5,33.22	(-)1,06.78	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं ()
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना						
2225-03.800.0101.7571-	मूल	1,00.00	1,00.00	33.42	(-)66.58	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना						

पूँजीगत:

- (3) ₹ 5,76.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0801.5617-	मूल	6,00.00	6,00.00	23.31	(-)5,76.69	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम						

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	74,01,20,94			
पूरक	6,89,47,00	80,90,67,94	73,17,77,88	(-)7,72,90,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				88,42,30

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,91,56,48			
पूरक	95,60,72	4,87,17,20	4,86,29,73	(-)87,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,16,93,00			
पूरक	0	1,16,93,00	76,12,61	(-)40,80,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 6,84,47.00 लाख) एवं जनवरी 2019 में (₹ 5,00.00 लाख) का प्राप्त किया गया ₹ 6,89,47.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,72,90.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 88,42.30 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01.101.0101. 0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि	2,18,96.93 (-)57,09.51	1,61,87.42	1,61,87.42	0.00	₹ 57,09.51 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 67,80.06 लाख की कमी (समर्पण ₹ 57,09.51 + पुनर्विनियोग ₹ 10,70.55) एवं ₹ 10,70.55 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत थी। जबकि वृद्धि का कारण न्यायालीन प्रकरणों के निर्णय के परिपालन में, एरियर्स के भुगतान अधिक होने के कारण, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने से, पिछले वर्षों से वर्दी के लंबित देयकों के भुगतान हेतु, निर्लंबित कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग के अनुसार निर्वाह भत्ते के भुगतान करना था। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.191.1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	1,23,25.88	1,23,25.88	0.00	(-)1,23,25.88	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2217-05.191.0103. 7145- मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.191.0102.7145-	मूल	25,00.00	25,00.00	3,67.95	(-)21,32.05	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम						
2217-05.191.0101.7145-	मूल	26,50.00	26,50.00	1,04.75	(-)25,45.25	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम						
2217-05.192.1325-	मूल	76,26.18	76,26.18	0.00	(-)76,26.18	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान						
2217-05.192.0101.7145-	मूल	17,75.00	17,75.00	1,25.91	(-)16,49.09	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम						
2217-05.193.1325-	मूल	61,38.94	61,38.94	0.00	(-)61,38.94	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान						
3604-191.9436-	मूल	40,92.00	40,92.00	25,77.96	(-)15,14.04	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान						
3604-192.7333-	मूल	96,14.00	96,14.00	76,91.20	(-)19,22.80	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)।
निर्यात कर क्षतिपूर्ति						

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 40,80.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6217-60.191.1203.7336-	मूल	33,00.00	33,00.00	20,21.28	(-)12,78.72	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)						

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6217-60.191.1202.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	12,00.00	12,00.00	7,95.00	(-)4,05.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.192.1203.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	24,00.00	24,00.00	14,70.00	(-)9,30.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.193.1203.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	18,00.00	18,00.00	9,67.50	(-)8,32.50	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष में 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,56,11			
पूरक	3,54,00	38,10,11	27,79,19	(-)10,30,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,30,92

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,02			
पूरक	0	1,00,02	0	(-)1,00,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,00,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 3,54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 65—विमानन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय-	मूल	33,56.10	26,99.81	26,99.81	0.00	₹ 10,10.29 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10,60.29 लाख की कमी (समर्पण ₹ 10,10.29 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 50.00 लाख) एवं ₹ 50.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी चुनावी वर्ष होने के कारण शासकीय उड़ानों में कमी, मितव्ययता बरतने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई। ₹ 50.00 लाख की वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17, एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	3,54.00				
	पुनर्वि.	(-)10,10.29				

पूंजीगत:

(3) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमान पत्तन का विकास	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,34,44,44			
पूरक	0	9,34,44,44	8,14,28,50	(-)1,20,15,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				22,44

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	26,75,02			
पूरक	0	26,75,02	10,10,70	(-)16,64,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 1,20,15.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को मात्र ₹ 22.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.1474-जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल	15,72.12	15,72.12	13,30.71	(-)2,41.41	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 14.15 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि कर्मचारी को लीवर ट्रान्सप्लान्टेशन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0801.2676-11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	92,40.00	92,40.00	73,66.81	(-)18,73.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2225-03.277.0101.0496-आश्रम और छात्रावास	मूल पुनर्वि.	7,67.21 (-)3.15	7,64.06	4,52.88	(-)3,11.18	₹ 3.15 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 16.55 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3.15 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 13.40 लाख) एवं वृद्धि ₹ 13.40 लाख का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः फर्नीचर क्रय न करने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि मुख्यतः सातवां वेतनमान लागू किये जाने के कारण हुई (₹ 8.00 लाख)। ₹ 5.40 लाख की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.2676-11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	5,69,35.00 (-)6,35.00	5,63,00.00	4,86,23.43	(-)76,76.57	₹ 6.35,00 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.6890-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,41.40 (-)17.42	9,23.98	4,98.01	(-)4,25.97	₹ 17.42 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी (समर्पण ₹ 17.42 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.15 लाख) एवं ₹ 3.15 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी फर्नीचर क्रय न करने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई, ₹ 3.15 लाख की वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0101.7215-	मूल	30,00.00	30,00.00	26,69.42	(-)3,30.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना						
2225-03.800.8316-	मूल	2,82.43	2,82.43	1,08.26	(-)1,74.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग						

पूंजीगत:

- (3) ₹ 16,64.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512-	मूल	5,70.00	5,70.00	68.26	(-)5,01.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण						
4225-03.800.0701.6889-	मूल	21,00.00	21,00.00	9,42.44	(-)11,57.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
जिला स्तरीय कन्या छात्रावासों का भवन निर्माण						

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,40,12,75			
पूरक	45,09,28	6,85,22,03	5,02,19,72	(-)1,83,02,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				77,49,36

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,10,00			
पूरक	0	2,10,00	1,96,21	(-)13,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,93

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,71,52,52			
पूरक	32,15,00	4,03,67,52	2,53,33,73	(-)1,50,33,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (14 फरवरी, 22 एवं 31 मार्च 2019)				74,66,53

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 45,09.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,83,02.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को केवल ₹ 77,49.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.0183- अन्य अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)23,53.23	76,46.77	76,35.96	(-)10.81	₹ 23,53.23 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.1481- जिला प्रशासन	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)3,48.70	2,51.30	2,47.18	(-)4.12	समर्पण के रूप ₹ 3,48.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.3383- विशेष मरम्मत-भवन	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-)4,01.93	7,98.07	7,87.23	(-)10.84	समर्पण के रूप में ₹ 4,01.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.001.2418- निष्पादन	मूल पूरक	1,46,50.25 44,75.00	1,91,25.25	1,60,82.43	(-)30,42.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2059-80.001.7246- परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	1,16,48.67	1,16,48.67	53,49.48	(-)62,99.19	₹ 62,99.19 लाख की बचत जिला इकाईयों द्वारा कार्यालय व्यय का भुगतान सुपरविजन प्रभार से करने, नवीन पद संरचना की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य और प्रत्याशा में वेतन भत्ते मद में प्रावधान अधिक होने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण होना सूचित की गई।
2216-05.053.0183- अन्य अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)23,95.40	56,04.60	56,25.33	+20.73	समर्पण के रूप में ₹ 23,95.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2216-05.053.1316- एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)29,07.46	70,92.54	70,99.90	+7.36	समर्पण के रूप में ₹ 29,07.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.4220- चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	0.01 20,00.00	20,00.01	13,19.54	(-)6,80.47	₹ 20,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों की प्रगति के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

(5) उचंत लेन-देन :-

इस अनुदान के व्यय में 2059-लोक निर्माण 'उचंत' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ₹ 0.01 लाख की राशि सम्मिलित है। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (5) में की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान इस अनुदान में विभिन्न 'उचंत' उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2019 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)62,89.91	0.00	0.00	(-)62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,47,81.37	0.01	0.00	+1,47,81.38
योग	+ 1,09,77.94	0.01	0.00	+1,09,77.95

प्रभारित

- (6) ₹ 13.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 5.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
 (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	संपूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता पी.आई.यू. स्तर पर कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जून 2018 (₹ 30,15.00 लाख) एवं जनवरी 2019 (₹ 2,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 32,15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 1,50,33.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 14 फरवरी, 22 एवं 31 मार्च 2019 को ₹ 74,66.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0848-जिला बुरहानपुर में नवीन जेल की स्थापना	मूल	9,00.00	9,00.00	0.00	(-)9,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अप्रयुक्ता नवीन कार्य प्रारम्भ न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0701.2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)20,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4059-01.051.0101.0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)4,58.82	15,41.18	7,99.78	(-)7,41.40	समर्पण के रूप में ₹ 4,58.82 लाख एवं ₹ 7,41.40 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण होना सूचित की गई।
4059-01.051.0101.1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	5,00.00 7,00.00 (-)4,00.00	8,00.00	4,31.42	(-)3,68.58	समर्पण के रूप में ₹ 4,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण हुई (अक्टूबर 2019)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7212-राज भवन में ऑडिटोरियम का निर्माण	मूल पूरक	60.00 6,65.00	7,25.00	2,04.13	(-)5,20.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4059-01.051.0101.8041-लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उप संभागीय कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	51.59	(-)9,48.41	₹ 9,48.41 लाख की बचत नवीन कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	20,00.00	20,00.00	3,17.91	(-)16,82.09	₹ 16,82.09 लाख की बचत 2018-19 के दौरान दायित्व निर्मित न होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0701.2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4216-01.106.0701.6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	मूल	50,00.00	50,00.00	44,99.74	(-)5,00.26	₹ 5,00.26 लाख की बचत बजट नियंत्रण अधिकारी-1902 द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण होना सूचित की गई।
4216-01.106.0103.1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)6,40.00	1,60.00	0.00	(-)1,60.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1,60.00 लाख की अंतिम बचत नवीन कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण होना सूचित की गई।
4216-01.106.0102.1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)7,60.00	2,40.00	0.00	(-)2,40.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,60.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2,40.00 लाख की अंतिम बचत नवीन कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण होना सूचित की गई।
4216-01.106.0101.1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	22,62.00 (-)15,15.60	7,46.40	2,20.94	(-)5,25.46	समर्पण के रूप में ₹ 15,15.60 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 5,25.46 लाख की अंतिम बचत नवीन कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण होना सूचित की गई।

**अनुदान संख्या 68—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत)

राजस्व:

	कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,73,80,26		
पूरक	0	2,73,80,26	(-)15,88,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 15,88.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2810-01.001.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल 2,02.24	2,02.24	1,23.26	(-)78.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-02.101.0101.7312-सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल 75.00	75.00	0.00	(-)75.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.800.0101.1305-नवकरणीय ऊर्जा का म.प्र. में ब्रांड बिल्डिंग एवं प्रचार	मूल 2,25.00	2,25.00	1,26.00	(-)99.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2810-60.800.0101.3220-म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	मूल 13,25.00	13,25.00	11,92.50	(-)1,32.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्षान्तर्गत 2017-18, 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.800.0101.5683-उद्योग संवर्धन नीति में पूंजी अनुदान	मूल 7,35.00	7,35.00	90.00	(-)6,45.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2810-60.800.0101.5694-उद्योग संवर्धन नीति 2014 में ब्याज अनुदान	मूल 5,88.00	5,88.00	60.00	(-)5,28.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

**अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	32,65,38			
पूरक	सांकेतिक	32,65,38	13,08,11	(-) 19,57,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,24,08

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	2,79,35	(-)2,20,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,20,65

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 19,57.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2019 को ₹ 19,24.08 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0103.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	57.00 (-)57.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 57.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 69— विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0102.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	8.00 (-)8.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई।
2225-01.102.0101.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	35.00 (-)35.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 35.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई।
2225-01.277.0103.7393-विमुक्त जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	12,26.41 (-)2,04.56	10,21.85	10,20.88	(-)0.97	₹ 2,04.56 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 7,17.56 लाख (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 5,13.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7396-पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	मूल पुनर्वि.	1,25.40 (-)1,25.40	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,25.40 लाख की संपूर्ण प्रावधान प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0103.4986-विमुक्त घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि.	69.00 (-)50.37	18.63	18.63	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50.37 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0103.7168-विमुक्त जाति आवास योजना	मूल पुनर्वि.	3,24.90 (-)2,82.20	42.70	33.12	(-)9.58	समर्पण के रूप में ₹ 2,82.20 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0103.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	3,44.85 (-)3,44.85	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,44.85 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0103.7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल पुनर्वि.	62.71 (-)62.71	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 62.71 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से माँग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69— विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0102.7168- विमुक्त जाति आवास योजना	मूल पुनर्वि.	45.60 (-)45.60	0.00	0.00	0.00	₹ 45.60 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0101.7168- विमुक्त जाति आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,99.50 (-)1,93.60	5.90	3.30	(-)2.60	₹ 1,93.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2225-01.800.0101.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	2,11.75 (-)1,64.72	47.03	47.03	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,64.72 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

पूँजीगत:

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	2,85.00 (-)97.65	1,87.35	1,87.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 97.65 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4225-01.800.0102.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	40.00 (-)15.00	25.00	25.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
4225-01.800.0101.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,75.00 (-)1,08.00	67.00	67.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,08.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 70—प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2852—उद्योग)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	39,05	(-) 60,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 60.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.1951- फ्रेन्ड्स ऑफ एम.पी. कॉनक्लेव	मूल	1,00.00	1,00.00	39.05	60.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 71-पर्यावरण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60,82,14			
पूरक	0	60,82,14	54,73,92	(-) 6,08,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 6,08.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.106.0101.8049-म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान	मूल 18,19.89	18,19.89	16,37.90	(-)1,81.99 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2217-05.191.0101.0513-इनवायरोमेन्टल रिसर्च एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग	मूल 5,85.00	5,85.00	5,26.50	(-)58.50 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।
2217-05.191.0701.5240-राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी.ए.)	मूल 28,78.25	28,78.25	25,90.42	(-) 2,87.83 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

अनुदान संख्या 72-आनंद

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,50,00			
पूरक	0	8,50,00	3,44,25	(-) 5,05,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 5,05.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.1476- आनन्दम	मूल	8,50.00	8,50.00	3,44.25	5,05.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2019)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvii पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(हजार ₹ में)		
10. वन-			
राजस्व-			
प्रभारित	80,00,00	36,38,89	(-)43,61,11
12. ऊर्जा-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	3,51,00,00	18,00,00	(-)3,33,00,00
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
पूँजीगत-			
दत्तमत	56,00,00		(-)56,00,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	6,35,00,00	13	(-) 6,34,99,87
23. जल संसाधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	3,39,93,50	10,31	(-)3,39,83,19
पूँजीगत-			
दत्तमत	29,48,00	18,69	(-)29,29,31
24. लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल			
पूँजीगत-			
दत्तमत	3,00,00,02	0	(-)3,00,00,02
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	13,32,63	0	(-)13,32,63
पूँजीगत-			
दत्तमत	8,50,00	0	(-)8,50,00
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,19,65,51	0	(-)1,19,65,51
30. ग्रामीण विकास-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	10,42,00,00	1,44,42,77	(-)8,97,57,23

परिशिष्ट-I समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
		(हजार ₹ में)	
33. जनजातीय कार्य			
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,25,00,00	4,11,73,74	+1,86,73,74
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,75,00,00	0	(-)2,75,00,00
48. नर्मदा घाटी विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	14,85,00	0	(-)14,85,00
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,65,94,45	0	(-)2,65,94,45
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
राजस्व-			
दत्तमत	63,00,00	15,49,15	(-) 47,50,85
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	10,16,00,00	10,16,00,00	0
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,75,00,00	0	(-)4,75,00,00
68. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,50,00,00	0	(-)1,50,00,00
योग-			
राजस्व-			
दत्तमत	24,66,76,64	10,31,59,46	(-)14,35,17,18
प्रभारित	80,00,00	36,38,90	(-)43,61,10
पूँजीगत-			
दत्तमत	29,12,92,47	5,74,35,33	(-)23,38,57,14
महायोग			
राजस्व	25,46,76,64	10,67,98,36	(-)14,78,78,28
पूँजीगत	29,12,92,47	5,74,35,33	(-)23,38,57,14

परिशिष्ट-II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvii पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658- आंगनवाडी सेवायें	2,53,31.87	2,53,31.68	22,20.79
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658- आंगनवाडी सेवायें	1,87,65.72	1,87,65.72	10,00.00
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658- आंगनवाडी सेवायें	3,13,42.40	3,12,54.90	29,97.96
योग		7,54,39.99	7,53,52.30	62,18.75

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in